समसामयिकी

मई - 2015

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

4. केन्द्रीय मंत्रीमंडल के द्वारा व्हिसल ब्लोवर संरक्षण अधि-नियम, 2011 मे संशोधन को स्वीकृति
5. भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को संसद की मंजूरी:
5. संयुक्त राष्ट्र लोकसेवा पुरस्कार
5. विचाराधीन कैदियों की दयनीय अवस्था
6. काले धन पर विधेयक
7. नया बेनामी हस्तांतरण (निषेध) विधेयक 2015
7. सरकारी विज्ञापनों के लिए खिची सीमारेखा
8. सूचना के अधिकार अधिनियम के 10 वर्ष - एक सन्दर्भ
9. ए.एफ.एस.पी.ए. को त्रिपुरा से हटाया गया
9. यूथेनेशिया: जीवन का अधिकार बनाम मृत्यु का अधिकार
11. नगर प्रबंधन की चुनौतियाँ

अंतर्राष्ट्रीय संबंध : भारत एवं विश्व

13. 'स्पेशल 301 रिपोर्ट'
13. चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत-ईरान के मध्य समझौता ज्ञापन
14. भारत-मंगोलिया संबंध
15. भारत-दक्षिण कोरिया संबंध
17. GCC सम्मेलन 2015
18. गहरा समुद्रीतल उत्खनन: भारत चीन और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण
18. आयरलैंड: समलैंगिक विवाह
18. ब्रिटेन चुनाव
18. राष्ट्रपति की रूस यात्रा
19. भारत वियतनाम: सुरक्षा सहयोग
19. भारत ने चीन को इण्टरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए आमंत्रित किया
19. सिम्बेक्स – 15
19. प्रधानमंत्री का चीन दौरा
20. वरुण - 2015: भारत-फ्रांस नौसैनिक अभ्यास
20. यू.एन डैग हैमरस्क्जोल्ड अवार्ड से सम्मानित दो भारतीय
20. H–4 वीजा मुद्दा
21. विश्व स्वास्थ्य समागम

अर्थव्यवस्था

22. भारत मे रणनीतिक तेल भंडारण
22. बैंको में आंतरिक लोकपाल
23. चीन के साथ व्यापार घाटा
23. प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश
23. भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% की वृद्धि
24. सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी प्रतिभूतियाँ
24. ब्रिक बैंक
24. पूंजी खाते में परिवर्तनीयता
25. पार्टीसिपेटरी-नोट्स के माध्यम से निवेश
25. वर्चुअल नेटवर्क आपरेटर (V.N.O.)
26. प्री डेटरी प्राइसिंग
26. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडी आई (FDI)
26. भारत का खुदरा व्यापार क्षे
27. नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) इनिशि-एटिव (भारत नेट)
27. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (N.P.P.A.)
27. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के क्रियान्वयन की स्थिति

सामाजिक एवं स्वास्थ संबंधी मुद्दे

29. राष्ट्रीय क्षयरोग संशोधित नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन
29. लेबर कोड (संहिता)
30. कैबिनेट के द्वारा बाल श्रम अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
30. भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) के द्वारा निर्धारित लक्ष्य से पिछड़ा
31. च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (C.B.C.S.)
31. विश्व शिक्षा मंच 2015
32. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) : लेखा-जोखा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

34. सैगा हिरण
34. भारतीय पैंगोलिन
35. हीटवेव (ताप लहर)
36. न्यू होराइजंस
37. भौंरा (बम्बलबीज)
37. सामाजिक कीट
37. व्हिटले पुरस्कार
37. मैसेन्जर (MESSENGER) मर्करी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जिओ केमेस्ट्री एण्ड रेजिंग, स्पेस क्राफ्ट

VISION IAS

37. भूमंडलीय तापन का प्रभाव
37. एस्ट्रोसैट (ASTROSAT)
38. मल्टी आब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार (MOTR)
38. स्कैटसैट (SCATSAT)
38. अस्त्र (ASTRA MISSILE) प्रक्षेपास्त्र
38. नेलोंग घाटी
39. उत्तर भारत का अत्यधिक धूलभरा तूफ़ान (डस्ट स्टार्म)
39. पक्षी भी रखते हैं गरिमा के साथ जीने का अधिकार
39. भारत बना सर्न (CERN) का एसोसिएट सदस्य
39. आकाश (AKASH)
39. ब्रह्मोस भू-तल प्रहारक क्रूज प्रक्षेपास्त्र
40. आइ.एन.एस. सरदार पटेल : भारतीय नौसेना में शामिल
40. भारत में परमाणु उर्जा उत्पादन
40. गुरुत्वीय तरंगे
40. एलगल ब्लूम परिघटना की तात्क्षणिक पहचान
41. ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड/ गोडावण

योजना एवं परियोजना

42. उस्ताद (USTAAD) योजना
42. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
42. महिला सशक्तीकरण के लिए योजना
43. प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई सामाजिक सुरक्षा से संबंधित तीन योजनाएँ
43. राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता परियोजना
43. नमामि गंगे योजना

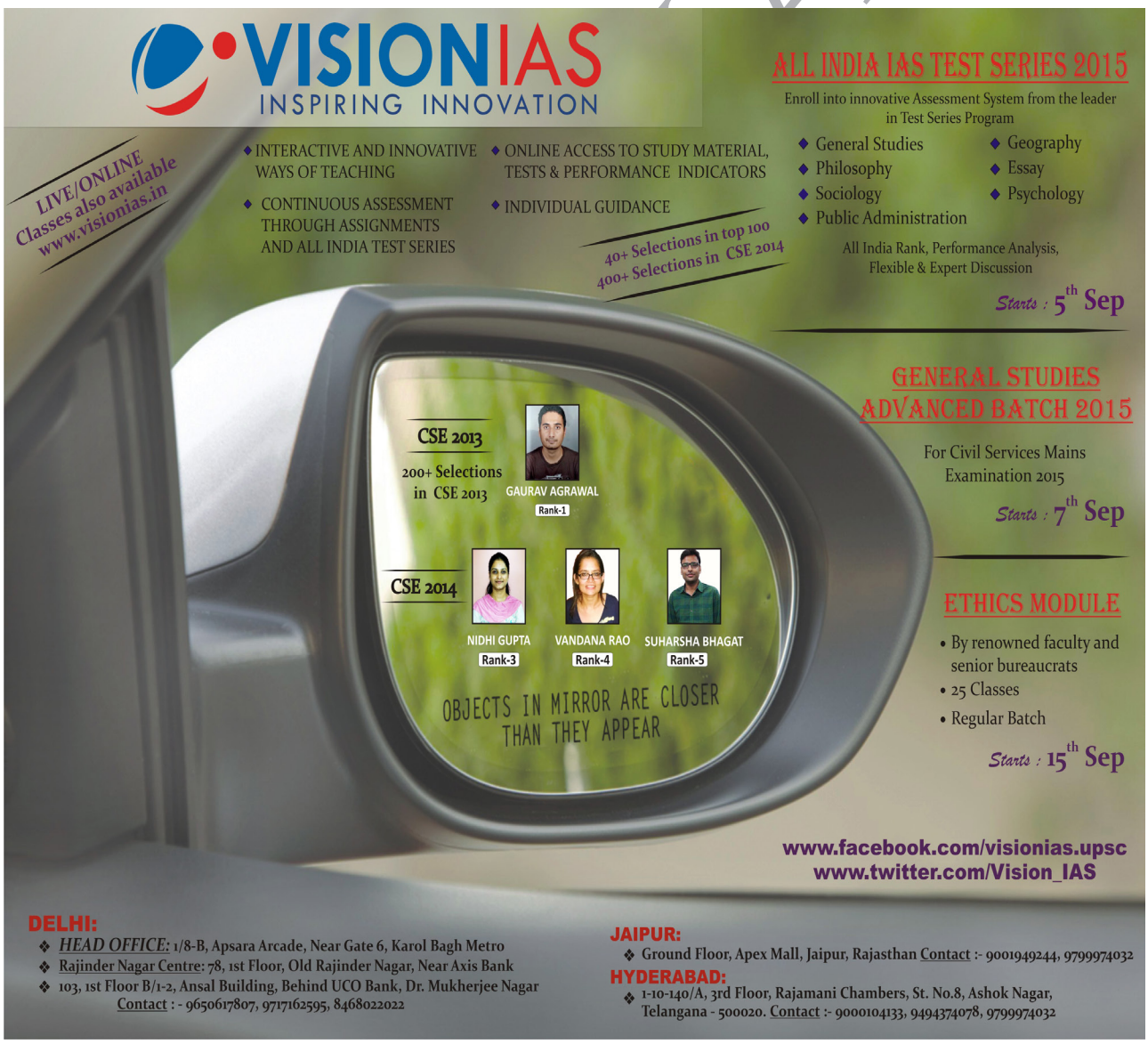

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

केन्द्रीय मंत्रीमंडल के द्वारा व्हिसल ब्लोवर संरक्षण अधिनियम, 2011 मे संशोधन को स्वीकृति

- संशोधन उन प्रावधानों को निहित रखता है, जिनके द्वारा उन संरक्षक प्रावधानों को और अधिक मजबूत किया गया है, जिन्हें व्हिसल ब्लोवर संरक्षण अधिनियम में इसलिए शामिल किया गया था ताकि राष्ट्र की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा तथा वैज्ञानिक और आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचाने वाले अनुचित प्रकटीकरण को रोका जा सके।
- इन संरक्षणों को उन प्रकटीकरण के संबंध में भी प्रदान किया गया है, जो आर.टी.आई अधिनियम-2005 की धारा 8(1) के अनुसार अधिनियम की सीमा से परे हैं।

संशोधन की आलोचना के बिंदु

1. भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष से संबद्ध कार्यकर्ताओं का तर्क है, कि संशोधन में निहित प्रावधान रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में निहित भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष को कमजोर करेगा।
2. पिछले कुछ वर्षों में बोफ़ोर्स, स्कोर्पियन, टाट्रा ट्रक और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे संदिग्ध समझौतों को व्हिसल ब्लोवर के द्वारा ही खुलासा किया गया है।

व्हिसल ब्लोवर एक्ट-2011

- परिभाषा - व्हिसल ब्लोविंग ऐसा कृत्य है, जिसमें किसी संगठन या संस्थान में गैरकानूनी या अनैतिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का प्रकटन उसी संस्थान के कर्मचारी या भागीदार के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था 2004 में सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा की गई। अधिसूचना व्हिसल ब्लोवर सत्येन्द्र दुबे की हत्या के बाद, सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देश पर जारी की गई थी।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2007 में यह संस्तुति की थी, कि इस संबंध में सूचना प्रदाता को बदले की कार्यवाही से बचाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
- भारत संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय (कनवेंशन) का हस्ताक्षर कर्ता देश है। यह अभिसमय व्हिसल ब्लोवर को संरक्षण प्रदान करने संबंधी प्रावधान निहित रखती है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

1. अधिनियम किसी लोकसेवक अथवा किसी भी व्यक्ति जिसमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है, को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जनहित से जुड़े तथ्यों का प्रकटन कर सकते हैं। भले ही इस प्रकार के प्रकटीकरण में ऐसी सामग्री शामिल हो जो आफीसियल सीक्रेट अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अन्तर्गत आती है।
2. **सक्षम प्राधिकारी:** अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार
   - प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री- मंत्रियों के संबंध में
   - सभापति/अध्यक्ष- सांसद और विधायकों के संदर्भ में
   - केन्द्रीय/राज्य सतर्कता आयुक्त अथवा अन्य कोई प्राधिकृत प्राधिकारी- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए
   - सशस्त्र बलों अथवा लोकव्यवस्था/आसूचना इकाइयों अथवा कोई व्यक्ति जो इन संगठनों की संचार शाखा से संबंधित हो -एक सी.ए.,जिसे इस कार्य के लिए उपयुक्त मानते हुए प्राधिकृत किया गया हो।
3. सी.ए., इस कार्य के लिए सी.बी.आई अथवा पुलिस प्राधिकारियों की सहायता के माध्यम से एक्ट के प्रावधानों के अनुरुप जाँच कर सकता है। इस संदर्भ में सी.ए. के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होगी।
4. इस संबंध में सी.ए. के द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देश बाध्यकारी होगें। सार्वजनिक प्राधकारियें को सी.ए. के द्वारा की गई संस्तुतियों पर तीन माह के अंदर कार्यवाही करनी होगी अन्यथा उन्हें इन दिशा निर्देशों को कार्यान्वित न करने के लिए तीस हजार तक का अर्थदंड भुगतना पड़ सकता है।
5. विशेष संरक्षक बल (एस.पी.जी.) को अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। इस संबंध में शीर्ष न्यायालयों (उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों) को अधिनियम की सीमा में लाने की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया है।
6. यह गोपनीयता को सुनिश्चित करता है और किसी ऐसे लोकसेवक के विरूद्ध दंड का प्रावधान भी करता है, जो शिकायत कर्ता की पहचान को बिना उचित अनुमति के उजागर करता है। ऐसे अधिकारी को तीन वर्ष का कारावास अथवा 50,000 रुपये का दंड भुगतना पड़ सकता है।

अधिनियम में निहित कमियाँ

- पहचान रहित शिकायत कर्ता की शिकायतों को, अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि अधिनियम इस अर्थ में व्हिसल ब्लोअर को संरक्षण प्रदान करता है, कि सी.वी सी/एस.वी.सी, व्हिसल ब्लोअर के द्वारा संगठन के मुखिया के समक्ष सहमति के बिना, उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते।
- यदि व्हिसल ब्लोअर अपनी पहचान प्रकटित करने के संबंध में सहमति नहीं प्रदान करना चाहता है ,तो उसे अपनी शिकायत के संदर्भ में पुष्ट एवं संपूर्ण दस्तावेज प्रदान करने होंगे । गुप्त शिकायतकर्ताओं और ऐसी शिकायतों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतभेद है। अमेरिका इंग्लैंड, कनाडा और आस्ट्रेलिया पहचान रहित शिकायतों को स्वीकार करते हैं जबकि ऐसी गुमनाम शिकायतों को इटली और स्लोवाकिया स्वीकार नहीं करते।
- व्हिसल ब्लोअर को दो वर्ष तक के कारावास अथवा अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर अथवा गलत इरादे से ऐसे तथ्यों का प्रकटन किया है जो

VISION IAS

गलत है अथवा गुमराह करने वाले है। इस संबंध में गठित संसदीय स्थायी समिति ने दंड में कमी की अनुशंसा की है, ताकि व्हिसल ब्लोअर सूचना के प्रकटन में भय ना महसूस करे।

- निजी संस्थानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- व्हिसल ब्लोअर का उत्पीड़न अपने आप में किन संदर्भों को निहित रखता है, इसकी कोई स्पष्ट और व्यापक परिभाषा न होना, एक बड़ी समस्या है।
- यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि सी.वी.सी/एस.वी.सी के स्थान पर लोकपाल और लोकायुक्त को सक्षम प्राधिकारी बनाया जाना चाहिए।

भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को संसद की मंजूरी:

पृष्ठभूमि

- 1960 के बेरुबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को प्रदान की गयी शक्ति के संबंध में व्यवस्था दी गयी थी ।न्यायालय के अनुसार इस शक्ति के अन्तर्गत संसद राज्यों का क्षेत्र घटा सकती है, किन्तु इसमें किसी राज्य से उसके क्षेत्र को अलग कर विदेशी राज्य को हस्तांतरण शामिल नहीं है। अत: इस संबंध में अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के द्वारा संविधान में संशोधन करना होगा।

119 वां संविधान संशोधन विधेयक :

- बेरुबाड़ी मामले मे दिए गए निर्णय के आलोक में भारत सरकार के द्वारा 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, ताकि भारतीय भू-भाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण संभव हो सके। समझौता 111 भारतीय अधिवास (एन्कलेव) तथा 51 बांग्लादेशी अधिवासों (एन्कलेव) की अदला-बदली से सम्बन्धित है। भारतीय अधिवास बांग्लादेशी भूमि के 17,149 एकड़ में फैले हुए है, जबकि बांग्लादेशी अधिवास 7,110 एकड़ भूमि में फैले हुए है। भू-क्षेत्र का कुछ भाग बांग्लादेश को प्रदान करना पड़ेगा।
- चूँकि विधेयक असंम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भू-क्षेत्रों के आदान-प्रदान से संबंधित है, अत: संविधान की पहली अनुसूची में इन राज्यों से जुड़े प्रावधानों में संशोधन का प्रावधान भी विधेयक करता है।

समझौते के सकारात्मक प्रभाव

- यह इन एन्कलेव में निवास करने वाले राज्य-विहीन लोगों को संबंधित राज्य की नागरिकता प्रदान कर उनकी दशा में सुधार लाएगा।
- यह मेघालय, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े सीमा विवादों का समाधान करेगा।
- अवैध अप्रवास, स्मगलिंग और विविध आपराधिक गतिविधियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर-पार से संबंधित है, पर रोक लगाएगा और भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करेगा।

संयुक्त राष्ट्र लोकसेवा पुरस्कार

- 'खुले में शौच की समस्या से मुक्त' - प्रथम जिला घोषित होने वाले नाडिया जिले को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार इसे लोकसेवाओं के बेहतर प्रदाता या सुधारकर्ता की कोटि में दिया गया है।
- नाडिया जिले ने "साबर शौचागर' कार्यक्रम के अंतर्गत सबके लिए शौचालय उपलब्ध करवाकर ख्याति अर्जित की है।
- जिले को, खुले में शौच की समस्या से मुक्त करने के लिए नाडिया में अभियान अक्टूबर 2013' में प्रारंभ किया गया।
- जब अभियान प्रारंभ किया गया था तब जिले में 33.8 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते थे। अब यह आंकड़ा 0.02% पर पहुँच गया है और 99.8% लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं।

विचाराधीन कैदियों की दयनीय अवस्था

परिभाषा- विचाराधीन कैदी वे व्यक्ति होते है, जिनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही होती है अथवा ऐसे लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल में रखा गया है। ऐसे लोग जिनके विरूद्ध जाँच चल रही होती है, 78वें विधि आयोग के द्वारा उन्हें भी विचाराधीन अथवा 'अन्डरट्रायल' की परिभाषा में शामिल किया गया है।

- अधिकृत आंकडों के अनुसार 2,78,000 कैदी अथवा भारतीय जेलों में बंद कुल कैदियों का दो तिहाई से अधिक ऐसे लोग हैं, जिनके खिलाफ़ न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।
- सरकार के स्वयं के आकलन में भी यह स्वीकार किया गया है, कि विचाराधीन कैदियों में अधिकांश ऐसे हैं, जिन्हें यदि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जितनी सजा दी जाती है, उससे अधिक अवधि से वे जेल में हैं। यह स्थिति विधि के शासन की अवधारणा के विरूद्ध है।

विचाराधीन/ अण्डरट्रायल मामलों मे वृद्धि के कारण

- विचाराधीन कैदियों की दशा का मुख्य कारण गरीबी प्रतीत होती है क्योंकि इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो निर्धनता की वजह से अपनी उन्मुक्ति के लिए आवश्यक 'बेल बान्ड' की राशि नहीं भर पाते हैं।
- कैदियों की दशा से संबंधित सूचनाओं के संबंध में उपयुक्त प्रबंध न होना।
- विचाराधीन मामलों के निरीक्षण के लिए सक्रिय और प्रभावी निरीक्षण समितियों का अभाव।
- पर्याप्त कानूनी सहायता का अभाव।
- ऐसे मामलों के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलंब समस्या को और अधिक गंभीर बना देता है।

अपराध प्रक्रिया संहिता

- जेलों में कैदियों की अत्यधिक संख्या को कम करने के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता 2005 में संशोधन करके धारा 436A को जोड़ा गया।
- इस धारा के अनुसार किसी विचाराधीन कैदी को यदि उसने उसे प्राप्त होने वाली अधिकतम सजा की आधे से अधिक अवधि कारावास में गुजार दी है, तो उसे निजी मुचलके अथवा बान्ड पर छोड़ा जा सकता है।

विचाराधीन मामलों पर निरीक्षण समिति

VISION IAS

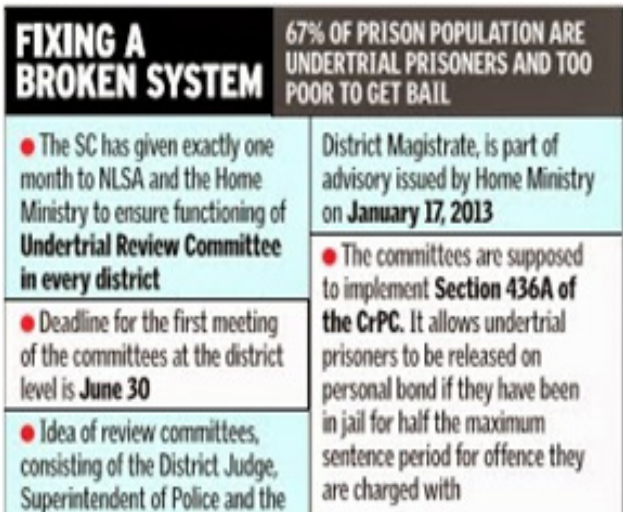

- **निष्कर्ष:** विभिन्न राज्यों में विधिक सेवा प्राधिकारियों को जेल में बंद कैदियों में, अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता फैलानी चाहिए, विशेष रुप से उनकी कारावास से मुक्ति के संदर्भ में।
- जेलों में बंद कैदियों पर होने वाले खर्च, स्थान और संसाधनों में व्यय को देखते हुए, यह सरकार के हित में है कि वह जेल में कैदियों की संख्या कम करे और कारावासों पर अत्यधिक बोझ न पड़ने दे।
- यद्यपि विचाराधीन कैदियों को महज जमानत पर रिहा करना समस्या का वास्तविक समाधान नहीं है, इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र बनाना होगा ताकि मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके।
- किसी कानूनी मुक़दमे का इतने अधिक समय तक निर्णय न होना, जितना कि उसके लिए कारावास दिया जा सकता हो। हमारी न्याय व्यवस्था की दयनीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। यथाशीघ्र इस स्थिति पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, तभी हमारी अपराध और इससे संबंधित न्याय व्यवस्था को जीवंत रखा जा सकेगा।

काले धन पर विधेयक

संसद के द्वारा अघोषित विदेशी आय एवं संपदा (करारोपण) विधेयक, 2015 को पारित कर दिया गया है। विधेयक को कालाधन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- अघोषित विदेशी आय अथवा संपदा पर 30 प्रतिशत की एक समान दर से करारोपण किया जाएगा। वर्तमान आयकर कानूनों के तहत प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की कटौती, छूट या होने वाली किसी हानि की स्थिति में प्राप्त होने वाली छूट को काला धन के मामले में नहीं प्रदान किया जायेगा ।
- विदेशी संपदा से संबंधित आय को छुपाने पर, ऐसी आय पर लगाए जाने वाले कर की तीन गुना राशि, अर्थदंड के रूप मे आरोपित की जा सकेगी (अघोषित आय अथवा अघोषित संपदा का 90 प्रतिशत)
- विधेयक ऐसे लोगों को एक अवसर प्रदान करता है, जो विदेशों में आय अथवा संपदा धारण करते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी विदेशी आय अथवा संपदा को घोषित करके दंडात्मक प्रावधानों से बच सकते हैं।
- विदेशी आय के संबंध में रिटर्न दाखिल करने में असफल रहने पर 10 लाख का अर्थदंड लगाया जा जायेगा।
- दोबारा और लगातार ऐसा अपराध करने पर 3-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी साथ ही एक करोड़ का अर्थदंड का भी भुगतान करना होगा।
- विधेयक केन्द्र सरकार को अन्य विदेशी राज्यों के साथ समझौते करने, सूचनाओं को साझा करने, करों की वसूली एवं दोहरे कराधान संबंधी समझौतों को करने की शक्ति प्रदान करता है।
- ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में ऐसे खाते रखते हैं, जिनमें बहुत ही कम राशि है तथा वे अज्ञानता या भूलवश ऐसी आय की जानकारी सरकार को नहीं दे पाए हैं, उन्हें इस विधेयक में संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसे लोग जिनके खातों में साल में किसी भी समय 5 लाख से अधिक राशि नहीं रही है, उन पर दंड आरोपित नहीं किया जाएगा। अथवा उन्हें कर वंचन का अपराधी नहीं माना जाएगा।
- कर प्राधिकारियों के पास खोज और निरीक्षण, सम्मन जारी करने, सशरीर उपस्थिति पर बाध्य करने, साक्ष्य प्रस्तुति की मांग करने और बैंक खातों तथा इससे संबंधित दस्तावेजों को खंगालने की पूरी शक्ति होगी।
- इस संबंध में कोई भी अपील आय कर अधिकरण में की जा सकेगी तथा इससे जुड़े हुए तात्विक रुप से महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों का निर्धारण उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा।

प्रस्ताविक कानून	तथ्य सार
3-10 साल सजा	**अर्थदंड**
• जानबूझकर विदेशी आय में कर चोरी का प्रयास।	• विदेशों में अर्जित, अघोषित आय अथवा संपदा पर तीन गुना कर जो कि 30 प्रतिशत की नियत दर के अतिरिक्त होगी।
6 माह से 7 साल तक की सजा • विदेशी संपदा और बैंक एकाउंट के संबंध में रिटर्न दाखिल न कर पाने की स्थिति में • किसी दूसरे व्यक्ति को भी गलत रिटर्न दाखिल करने को प्रेरित करने के लिए।	• विदेशी आय एवं संपदा के संबंध में रिटर्न दाखिल न कर पाने की स्थिति में, भले ही ऐसा व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल कर चुका हो उसे 10 लाख का अर्थदंड भुगतना होगा।

VISION IAS

• बैंक एकाउंट एवं विदेशी संस्थानों के संबंध में गलत सूचना प्रदान करने के लिए प्रेरित करने पर भी ऐसी सजा दी जा जायेगी।	• अब तक में विदेशी संपदा और आय को घोषित करने का एक मात्र अवसर, एक बार के लिए ही प्रदान किया गया है। इसके तहत 3 प्रतिशत कर चुकाने के अलावा इतनी ही राशि अर्थदंड के रुप में भी चुकानी होगी।
कोई अभियोग-अर्थदंड नहीं • ऐसे विदेशी खाते जिनमें अल्पराशियाँ है (5 लाख से कम) जो अज्ञानतावश या जागरूकता के अभाव में घोषित नहीं किए गए हैं।	• अब से इस प्रकार की अघोषित आय के नए कानून के तहत आरोपित की जाएगी।

नया बेनामी हस्तांतरण (निषेध) विधेयक 2015

बेनामी हस्तांतरण क्या है ?

यदि किसी संपत्ति के हस्तांतरण में संपत्ति की कीमत, हस्तांतरित संपत्ति के धारक के द्वारा न चुकाकर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाए, तो हस्तांतरण बेनामी कहा जाएगा।

विधेयक का उद्देश्य

देश के अंदर काला धन सृजित होने से रोकना।

प्रावधान

विधेयक बेनामी हस्तांतरण (निषेध) अधिनियम 1988 में संशोधन प्रस्तावित करता है। विधेयक के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि देश में किसी भी प्रकार के काले धन के सृजन और संग्रहण को रोक दिया जाए, विशेष रुप से रियल एस्टेट क्षेत्र में।

- विधेयक बेनामी हस्तांतरण को एक ऐसी व्यवस्था के रुप में परिभाषित करता है, जहाँ कि:
- संपत्ति की कीमत किसी अन्य के द्वारा चुकाई जाती है और धारित किसी अन्य के द्वारा की जाती है।
- संपत्ति काल्पनिक नामों से खरीदी जाती है।
- संपत्ति के स्वामी को इसका स्वामित्व ज्ञात नहीं है अथवा वह इस प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी होने से से इंकार करता है।
- विधेयक इस प्रकार की बेनामी संपत्ति को सरकारी संपदा घोषित करने और जब्त कर लेने का प्रावधान करता है तथा इस प्रकार के हस्तांतरण में कारावास की सजा का भी प्रावधान करता है।
- बेनामी हस्तांतरण की दशा में विधेयक अधिकतम दो वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान करता है।
- यह प्रभावित व्यक्ति को अपीलीय प्राधिकरण में जाने की सुविधा देता है। प्राधिकरण के द्वारा दिये गए निर्णय की तिथि से 120 दिन के अंदर हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है।

सरकारी विज्ञापनों के लिए खिची सीमारेखा

- उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं मंत्रियों और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र पर रोक लगा दी है।
- न्यायालय के अनुसार ऐसे चित्र सरकार की उपलब्धियों को व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के रुप में प्रचारित करते हैं। तथा 'व्यक्ति पूजा' जैसी बुराइयों को जन्म देते हैं। करदाताओं के धन का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष की छवि निर्माण अथवा महिमामंडन में नहीं किया जा सकता।

- न्यायालय ने माना कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के रुप में तीन व्यक्तियों के चित्रों का प्रयोग विज्ञापनों में किया जा सकता है, किंतु उसके लिए भी इन प्राधिकारियों की व्यक्तिगत अनुमति आवश्यक होगी।
- न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ,विधि विशेषज्ञ एन.आर माधव मेनन के नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय समिति के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में किया गया था। निर्णय इस समिति की उन सभी सिफ़ारिशों को समाहित करता है जिनका संबंध इन्टरनेट समेत सभी प्रकार के विज्ञापनों से है। किंतु निर्णय कुछ परिवर्तनों को भी प्रस्तावित करता है जैसे:
- माधव मेनन समिति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायधीश के अतिरिक्त, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी छूट प्रदान करना चाहती थी।
- न्यायालय माधव मेनन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय से आगे बढ़कर एक तीन सदस्यीय ओम्बुड्स मैन की स्थापना का भी प्रस्ताव रखती है, जिसमें शामिल व्यक्तियों का चरित्र और निष्ठा असंदिग्ध हो।

- न्यायपीठ ने मेनन समिति की ऐसे विज्ञापनों से संबंधित सरकार के प्रदर्शन के ऑडिट संबंधी सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया।
- चुनाव के सरकारी विज्ञापनों पर विशेष प्रतिबंध के सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया।
- विज्ञापन पर दिशा-निर्देश शीर्ष अदालत ने जनता के धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी किए निर्देश -

1. सरकार की कार्यावधि की समाप्ति को प्रमुखता से प्रदर्शित करना।
2. परियोजना, नीति और उपलब्धियों की घोषणा की स्वीकृति है क्योंकि यह नागरिकों को सूचना प्रदान कर सजग रखता है।
3. जन्मदिन, मृत्यु दिवस को स्मृत करना।

- सरकारी विभागों के द्वारा एक साथ कई विज्ञापन प्रकाशित किया जाना स्वीकृत नहीं है।
- संस्था की प्रधान उपलब्धियों को रेखांकित करना अस्वीकृत है क्योंकि प्रसिद्धि अर्जित की जानी चाहिए।
- निर्णय की आलोचना मुख्यमंत्री के चित्रों पर रोक से 'राज्यों के अधिकारों' का हनन होता है। संविधान प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री को समान दर्जा देता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के 10 वर्ष - एक सन्दर्भ

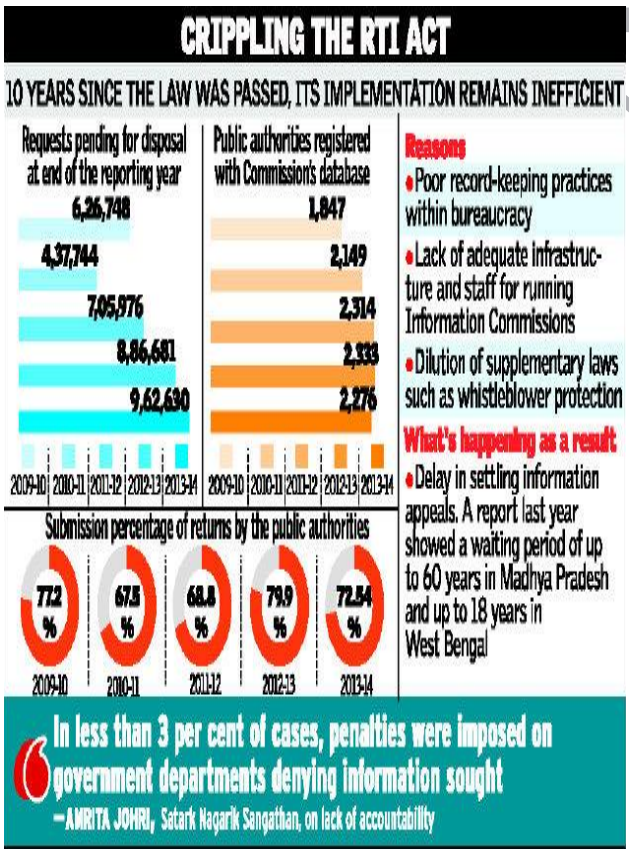

आर.टी.आई एक्ट - प्रणाली क्रियान्वयन में समस्या

- पारित किए जाने के 10 वर्षों के उपरांत भी अप्रभावी क्रियान्वयन की प्रष्टभूमि में निहित कारण:- नौकरशाही के द्वारा दस्तावेजों के अपर्याप्त संग्रह और रखरखाव की कमी की समस्या।
- सूचना आयोग के सुचारु संचालन के लिए विभागीय कर्मचारियों पर्याप्त स्टाफ का न होना।
- पूरक कानूनों जैसे व्हिसल ब्लोअर एक्ट आदि को कमजोर किया जाना।

फलस्वरूप:

सूचना प्राप्ति के संबंध की गई अपीलों के निपटारे में देरी होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार के मामलों के निपटारे में मध्यप्रदेश में 60 साल व पश्चिम बंगाल में 18 वर्ष का समय लगेगा।

- 3 प्रतिशत से भी कम मामलों में सरकारी विभागों द्वारा सूचना देने से मना करने पर दंड आरोपित किया गया, अमृता जोहरी -सर्तक नागरिक संगठन।
- शासकीय दस्तावेज को व्यवस्थित व सुरक्षित न रखा जाना। शासकीय कार्यालय में फाइलों के खो जाने की समस्या गंभीर है। किसी भी प्रकार की सूचना तभी प्रदान की जा सकती है, इस संबंध में व्यवस्थित रुप से दस्तावेज रखे गए हो।
- विभागीय कर्मचारियों और आवश्यक ढाँचागत सुविधाओं का अभाव- पर्याप्त विभागीय कर्मचारियों और ढाँचागत सुविधाओं की कमी सूचना आयोगों के सुचारु संचालन में बाधा पहुँचा रही है।
- पर्याप्त विभागीय कर्मचारियों की कमी के कारण सूचना आयोग निश्चित समय सीमा में, लोक शिकायतों का निपटारा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

पूरक कानूनों का कमजोर किया जाना

- अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद आर.टी.आई एक्ट पूरे देश में सरकारी जवाबदेही के प्रति पिछले दशक में आधारभूत जनांदोलन तैयार करने में सफल रहा है।सुचना के अधिकार से संबंधित संस्था आर.टी.आई असेसमेंट एंड एनालिसिस ग्रुप (आर.ए.ए.जी)की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस अधिनियम के अन्तर्गत 4-5 मिलियन आवेदन किए जाते हैं, यद्यपि इसके नकारात्मक परिणाम भी देखे गये हैं।
- 40 ऐसे कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, जिनके द्वारा ऐसी सूचनाएँ मांगी गई जिसमें सरकार के आतंरिक भ्रष्टाचार को प्रकटीकरण करने की क्षमता निहित थी। इस प्रकार की घटनाओं ने यह अनिवार्यता उत्पन्न की कि व्हिसल ब्लोअर को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएं।
- किंतु व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2015 ने इस संबंध में चिंता बढ़ा दी है कि संशोधन के द्वारा जनहित में व्हिसल ब्लोअर को उन्मुक्ति नहीं प्रदान की गई है तथा ऑफीसियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसे अभियुक्त बनाया जा सकेगा। संशोधन विधेयक, मौलिक अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से कमजोर करता है। विशेष रुप से उन प्रावधानों को जिनके द्वारा व्हिसल ब्लोअर को आर.टी.आई. एक्ट की धारा 8(1) के तहत छूट प्रदान की गई थी।

अप्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम

- अप्रभावी क्रियान्वयन से सूचना के अधिकार संबंधी अपीलों के निपटान में देरी होती है। RAAG की अक्टूबर 2014 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मामलों के निपटारे की वर्तमान दर कायम रही तो सभी लंबित अपीलों के निपटारे में 60 साल मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तथा 18 साल पश्चिम बंगाल में लगेगें।
- सरकारी विभागों के द्वारा तय समय सीमा के अनुसार सूचना न प्रदान करने के मामलों में, कुल मामलों के केवल 3 प्रतिशत में ही दंड आरोपित किया जायेगा ।

निष्कर्ष

- इन सीमाओं के बावजूद आर.टी.आई एक्ट के द्वारा पारदर्शिता की स्वस्थ पंरपरा का प्रारंभ हुआ है। पिछले दशक में नागरिकों की सूचनाओं तक पहुँच सहज हुई है। आसानी से वे संसद और अन्य विधायी संस्थाओं की कार्यवाहियों तक पहुँच सकते है। अत: सामान्य जन को सशक्त बनाने वाले ऐसे कानूनी साधनों को निरंतर जारी रख कर इन्हें और मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक सत्ता को जवाबदेह बनाया जा सके।

ए.एफ.एस.पी.ए. को त्रिपुरा से हटाया गया

- त्रिपुरा सरकार ने विशेष सशस्त्र बल अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए) को त्रिपुरा से हटाने का फैसला किया है। दृष्टव्य है कि यह अधिनियम त्रिपुरा में पिछले 18 वर्षो से अस्तित्व में था। अधिनियम राज्य में विप्लवकारी गतिविधियों पर रोकथाम के लिए लाया गया था।

सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) के मुख्य बिंदु : यह सन् 1958 में पारित किया गया। जब सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के कुछ विशेष भागों (अथवा जम्मू और कश्मीर को 1990 के तत्कालीन कानून के अनुरुप) 'अशांत क्षेत्र' (डिस्टर्बड) घोषित किया, तब यह प्रथम बार प्रभाव में आया।

- इस प्रकार प्रभावित क्षेत्र में सशस्त्र बलों के अधिकारी के हाथों में यह शक्ति होती है कि वह क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के उल्लंघन के लिए गोली चलाने का आदेश दे सके। इस प्रकार की परिस्थिति में किसी भी प्रकार का बल प्रयोग कर सकता है , भले ही इससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु संभव हो।ऐसी स्थिति विशेष रूप वसे तब उतपन्न होती है जब प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत इस क्षेत्र में पाँच से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होती। साथ ही ऐसे कानून के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति शस्त्र या किसी ऐसी वस्तु को लेकर नहीं चल सकता जिसे शस्त्र के रुप में प्रयोग किया जा सकता हो।
- ए.एफ.एस.पी.ए. की धारा 6 के अनुसार यदि सशस्त्र बलों से संबंधित व्यक्ति को इस कानून के अनुपालन में या इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे शक्ति प्रदान की गई है, या वह इसके लिए कोई कार्य करता है तो उस पर कोई अभियोग तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि केन्द्र सरकार से इसकी अनुमति न ले ली गई हो।
- सेना का दृष्टिकोण इस सन्दर्भ में यह है कि यह सैन्य बलों को सशक्त करने वाला अधिनियम है, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन में आवश्यक विधिक संरक्षण प्रदान करता है।

आलोचना

मानवाधिकारों के हनन और अधिनियम के दुरुपयोग को लेकर जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे राज्यों के द्वारा विशेष सशस्त्र बल अधिनियम की आलोचना की गई है। मानवाधिकारों का उल्लंघन सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए अभियानों के दौरान होता है। दृष्टव्य है कि अधिनियम सशस्त्र बलों को गोली चलाने की असीमित शक्ति प्रदान नहीं करता, विशेष रुप से तब जब इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना हो। एफ.एफ.एस.पी.ए. यह शर्त रखता है कि जिस व्यक्ति पर गोली चलाने का आदेश दिया जा रहा है उसके पास कम से कम शस्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ अवश्य होने चाहिए। अधिनियम की भावना के विपरीत, ऐसे अशांत क्षेत्रों में सेना बलों ने बिना किसी बात का ध्यान रखते हुए आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया है, जिसमें निर्दोष लोगों की भी मृत्यु हुई है।

अधिनियम में प्रमुख रुप से दो विसंगतियाँ है -

- किसी विशेष कृत्य की कानूनी युक्तियुक्तता के परीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 6 में निहित पूर्वानुमति का प्रावधान।
- ए.एफ.एस.पी.ए. पाँच या अधिक लोगों के शांतिपूर्ण एकत्रीकरण (भले ही यह सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के विरोध में हो) तथा हिंसक भीड़ के बीच कोई विभेद नहीं करता।

सुझाव:-

- अधिनियम की धारा 6 में संशोधन कर इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है - "यदि अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है तो उसके विरूद्ध तब तक कोई अभियोग नहीं चलाया जायेगा जब तक कि केन्द्र सरकार लिखित रुप से इसके कारण न प्रस्तुत करे और सक्षम न्यायालय इसकी कानूनी वैधता को स्वीकार करे। इस प्रकार अधिनियम के दुरुपयोग के मामले का हल किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री द्वारा सन् 2004 से गठित बी.पी. जीवन रेड्डी समिति के द्वारा ए.एफ.एस.पी.ए. में संशोधन की संस्तुति की गई थी।
- अधिनियम को उन क्षेत्रों से हटाया जा सकता है जहाँ संघर्ष का रुप, नृजातीय है तथा जिसे राज्य की पुलिस व्यवस्था के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे- असम
- ए.एफ.एस.पी.ए. से संबंधित जानकारी जनवरी की समसामयिकी में दी जा चुकी है।

यूथेनेशिया: जीवन का अधिकार बनाम मृत्यु का अधिकार

- चर्चा में क्यों - अरुणा शानबाग (67), जो कि मुंबई के किंग एंडवर्ड हास्पिटल (केईएम) की भूतपूर्व नर्स थी; कई वर्ष पूर्व यौन हिंसा का शिकार हुई थीं। वे पिछले 42 वर्षो से कोमा में थी। उन्हें 42 वर्ष पश्चात 19 मई 2015 को मृत घोषित किया गया। उनकी मृत्यु ने एक बार पुन: यूथेनेशिया को कानूनी रुप देने की बहस को जीवंत कर दिया है।

यूथेनेशिया का अर्थ

- 'यूथेनेशिया' शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इसका शब्दश: अर्थ होता है, 'एक अच्छी मृत्यु' परंतु प्रस्तुत सन्दर्भ में इसका अर्थ है दया भाव से प्रेरित हत्या। यूथेनेशिया विभिन्न् आयामों को समाहित करता है जैसे सक्रिय (कुछ ऐसा करना जो मृत्यु का कारण बने), निष्क्रिय (इलाज अथवा चिकित्सकीय आधार को रोक देना), ऐच्छिक (सहमति से) अनैच्छिक (अभिभावक या संरक्षक की सहमति से) तथा चिकित्सकीय सहयोग (जहाँ चिकित्सक किसी दवा को सुझाता है तथा कोई तीसरा पक्ष इन दवाओं का प्रयोग करता है जो मृत्यु का कारण बनती है।)
- जीवन के अपूर्ण अंत की प्रार्थना ने वर्तमान स्वास्थ्य आवरण व्यवस्था के संबंध में जटिल बहस छेड़ दी है। यह बहस अनेक जटिल आयामों यथा कानूनी, नैतिक, मानवीय अधिकार, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों से संबंधित है।

यूथेनेशिया के विरुद्ध तर्क

1. **भारत का संविधान:-** भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, जबकि यूथेनेशिया जीवन के अप्राकृतिक अंत को सुझाता है। यह संविधान की भावना के विपरीत और असंगत है। राज्य का दायित्व है यह कि वह जीवन की रक्षा करे तथा चिकित्सक का दायित्व रोगी के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, न कि उसे क्षति पहुँचाना। उच्चतम न्यायालय के द्वारा ज्ञान कौर सन् 1996 के मामले में यह स्पष्ट रुप से कहा गया है कि अनुच्देद 21 के द्वारा प्रदत्त जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मलित नहीं है।
2. **राज्य के द्वारा स्वास्थ्य** सुविधाएँ प्रदान करने के दायित्व का पालन नहीं: यूथेनेशिया को यदि विधिक आयाम प्रदान कर दिया जाये तो राज्य स्वास्थ्य से संबंधित मामलों क्षेत्र में निवेश से पीछे हट सकता है। (जीने के अधिकार में अन्तर्निहित संकल्पना)। हॉलैंड में यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दिये जाने के पश्चात् 'टर्मिनली इल पेशेन्ट' अर्थात् ऐसे मरीज जिनके पुन: सामान्य जीवन जीने की संभावना समाप्त हो गई है, उनके देखभाल में गंभीर कमी आई है।
3. **संदिग्ध मंतव्य:** नैतिक मूल्यों और न्याय में गिरावट के इस दौर में, परिवार के सदस्यों के द्वारा रोगी व्यक्ति की सम्पत्ति को हस्तगत करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अरूणा शानबाग मामले में इस मुद्दे को उठाया गया है।
4. **स्वास्थ्य संरक्षण व्यवस्था का व्यवसायीकरण:** निष्क्रिय यूथेनेशिया के मामले हमारे देश के अनेक निजी अस्पतालों में दिन-प्रतिदिन निष्क्रिय यूथेनेशिया के मामले घटित होते हैं, जहाँ कि निर्धनता और गरीबी से त्रस्त होकर लोग अपने परिजनों को उनके हाल पर छोड देने के लिए मजबूर हैं। यूथेनेशिया को यदि कानूनी रुप प्रदान कर दिया गया तो ये निजी अस्पताल बहुत कम धनराशि के लालच में बुजर्गों और नि:शक्त जनों को मृत्यु प्रदान करेगें। शीर्ष अदालत के द्वारा अरूणा शानबाग मामले में इसे भी स्पष्ट किया गया।
5. पीड़ा सहजीकरण (पैलिएटिव केयर) समर्थक: पीड़ा सहजीकरण देखभाल व्यवस्था, यूथेनेशिया की संकल्पना का विरोध करती है। पीड़ा सहजीकरण व्यवस्था रोगी को तनाव और दर्द से राहत प्रदान करती है तथा रोगी के देखभाल करने वाले को मानसिक सम्बल प्रदान करती है। इस प्रणाली के परिणाम दर्शाते हैं कि जिन 'टर्मिनली इल पेशेन्ट' ने यूथेनिशिया के लिए प्रार्थना की है वे अत्यधिक तनाव ग्रस्त थे जिसने उनके जीने की चाह खत्म कर दी। ऐसे रोगियों को पीड़ा सहजीकरण (पैलिएटिव) तथा जीवन शक्ति के पुनर्संचार की आवश्यकता होती है। जब कभी भी ऐसी देखभाल की व्यवस्था का अभाव होता है, निराश होकर अतिवादी उपायों जैसे आत्महत्या, यूथेनेशिया आदि का सहारा लेने की चर्चा होने लगती है । इन स्थितियों में पीड़ा सहजीकरण (पैलिएटिव) और जीवन जीने की इच्छा का पुनर्संचार करने वाली चिकित्सा, रोगी और परिवार की मनोबल बढ़ा कर सकती है।

यूथेनेशिया के पक्ष में तर्क

1. गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार: मृत्यु के अधिकार के समर्थकों का कहना है कि ऐसे लोग जिनके रोग के ठीक होने की संभावना नहीं है तथा जो अपंग असहाय और प्रतिक्षण गिरती अवस्था में हैं उन्हें सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार दिया जाना चाहिए।
2. देखभाल करने वाले व्यक्ति पर बोझ:- देखभाल करने वाले पर अत्यधिक बोझ होता है। ऐसे व्यक्तियों की सेवा में लगा व्यक्ति आर्थिक, मानसिक तथा भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही सामाजिक रुप से अत्यधिक दबाव में होता है।
3. चिकित्सा सुविधा की अस्वीकृति:- इस संकल्पना के अनुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से अस्वीकृत करने के अधिकार को कानून में मान्यता दे दी गई है। जिसमें लंबे समय तक चलने वाला इलाज भी शामिल है। उदाहरण के लिए -

(a) रक्त कैंसर से पीड़ित व्यक्ति नैसो गैस्ट्रिक (नलिका जिसके माध्यम से पोषक पदार्थ शरीर मे पहुँचाये जाते हैं) नलिका द्वारा उपचार अस्वीकृत करने का अधिकार निष्क्रिय यूथेनेसिया का मार्ग प्रशस्त करता है।

VISION IAS

(b) बहुत से व्यक्तियों का यह तर्क है कि सोलह सप्ताह के गर्भ का गर्भपात कराने की स्वीकृति सक्रिय अनैच्छिक यूथेनेसिया का ही एक उदाहरण है। विकृत और अपंग बच्चों की दया मृत्यु का मामला हॉलैंड में बहस का केंद्र बना हुआ है।

4. अंग प्रत्यारोपण को प्रोत्साहन:- टर्मिनली इल पेशेन्ट को यूथेनेसिया की स्वीकृत अंग दान की प्रवृत्ति में वृद्धि करेगा।

इस अर्थ में यूथेनेसिया न केवल मृत्यु के अधिकार को प्रदान करता है, अपितु यह अंग प्रत्यारोपण को सहज बनाकर जीवन जीने के अधिकार को भी प्रदान करता है।

यूथेनेसिया पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रिय अरुणा शानबाग की दया मृत्यु की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि केवल अस्पताल ही ऐसी कोई प्रार्थना कर सकता है। न्यायालय का निर्णय दो बिंदुओं पर आधारित है।

1. यदि हम इसे पूरी तरह मित्रों और परिजनों पर छोड़ देते हैं तो हमेशा इस बात की संभावना रहेगी कि इसका दुरुपयोग रोगी की संपत्ति को हासिल करने के लिए किया जाएगा है।
2. यदि यूथेनिशिया को वैधानिक रुप दे दिया गया तो, व्यवसायिक स्वास्थ्य क्षेत्र, अल्प राशि के लिए भी आसक्त और बुजर्गों को मृत्यु प्रदाता का कार्य करने लगेगा।

यूथेनेशिया पर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश

सक्रिय यूथेनेशिया: घातक इंजेक्शन के प्रयोग के द्वारा जीवन का अंत करना भारत में अवैध है।

निष्क्रिय यूथेनेशिया: व्यक्ति को जीवित रखने के लिए आवश्यक चिकित्सकीय आधारों एवं उपचार को रोक देने को उच्चतम न्यायालय के 2011 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कानूनी बनाया गया है।

इस संबंध में कोई भी निर्णय परिवार, जीवनसाथी, स्वजन अथवा घनिष्ठ मित्र रोगी व्यक्ति के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं। जीवन रक्षक प्रणाली को हटाया या जारी रखा जाये यह निर्णय उल्लिखित व्यक्ति ले सकते हैं, किंतु इन्हें उच्च न्यायालय की अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार की याचिका पर विचार करते हुए

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए दो न्यायाधीशों से बनने वाली पीठ का गठन करेगें।
- इस संदर्भ में पीठ तीन प्रख्यात चिकित्सकों को नामित करेगी ।
- चिकित्सकीय दल के द्वारा दी गई रिपोर्ट की एक प्रति स्वजनों और राज्य सरकार को दी जाएगी तत्पश्चात् ही कोई निर्णय दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:-

- भारत का संविधान 'जीवन के अधिकार' को सकारात्मक रुप से परिभाषित करता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को पोषण, स्वच्छ जल और आवश्यक स्वास्थय सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।
- इसके विपरीत वस्तु की स्थिति यह है कि अधिकांश राज्यों ने 'टर्मिनली इल पेशेन्ट' की देखभाल हेतु, उनकी चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। यदि राज्य अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता पूर्वक निभाए तो, 'टर्मिनली इल पेशेन्ट' यूथेनेशिया की प्रार्थना पर पुनर्विचार अवश्य करेंगे ।
- उच्चतम न्यायालय के इस विचार से कि हमारा भारतीय समाज अभी इस संवेदनशील मुद्दे का सामना करने के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, अत: इसे विचार प्रक्रिया के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए।

नगर प्रबंधन की चुनौतियाँ

केन्द्र सरकार ने हाल ही में एक लाख करोड़ रुपये की राशि नगर विकास पर खर्च करने की घोषणा की है। यह राशि 100 'स्मार्ट शहरों' और 500 ए.एम.आर.यू.टी. (अटल शहरीपुनर्नवीकरण एवं रुपांतरण मिशन) शहरों पर खर्च की जाएगी।

- सरकार के इस कदम ने नगरीय विकास एवं प्रबंधन की दक्षता पर बहस छेड़ दी है।

केन्द्र आधारित शहरी प्रबंधन से जुड़े मुद्दे:

- भारत के कुछ राज्यों का आकार विश्व के अनेक छोटे देशों से बड़ा है, जैसे उ॰ प्र॰ आकार में ब्राजील के, महाराष्ट्र जापान के तथा मैक्सिको बिहार के लगभग बराबर है। राज्यों का विशाल आकार इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि शहरी विकास और प्रबंधन की कोई भी योजना तभी कारगर हो सकती है जबकि यह विकेन्द्रीकृत हो। इसके पश्चात् भी केन्द्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों से इस सन्दर्भ में उसकी अनिच्छा ही प्रदर्शित होती है।
- शहरी विकास राज्य सूची का विषय है। अत: केन्द्र स्वयं शहरों का विकास या पुनर्विकास नहीं कर सकता। केन्द्र केवल इस कार्य के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन कर सकता है।

क्या राज्य इस शहरी प्रबंधन का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकते है ?

- इन समस्याओं के सन्दर्भ में केन्द्र को न केवल पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करना होगा अपितु राज्यों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे नगरीय इकाइयों से संबंधित निर्वाचित संस्थाओं को अधिकाधिक संसाधनों का हस्तांतरण करें। इस संदर्भ में चीन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहाँ उनके शहरों के विकास का कार्य, शहरों के महत्वाकांक्षी मेयरों के द्वारा किया गया है।
- परंतु क्या शहरी विकास और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से राज्यों पर निर्भरता उचित है? क्या वे योजना के उद्देश्यों का प्रभावी क्रियान्वयन कर पाएगें? इस विषय से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ ये है:
- राज्य सरकारें शहरों को इस बात की स्वतंत्रता नहीं देती हैं कि वे अपना प्रबंधन स्वयं करें। अपितु वे ऐसी राज्यव्यापी संस्थाओं का गठन करती हैं। जो नगर निकायों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करती हैं।
- स्थिति अधिक दुखद तब हो जाती है, जब कार्यकारी शक्तियाँ नगर निगम आयुक्त में निहित होती हैं, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त

होता है। इस स्थिति में नगर वासियों द्वारा निर्वाचित महापौर प्रतीक मात्र बनकर रह जाता है।

- प्राय: नगरीय निकायों के लिए परिभाषित राजनीतिक इकाई "वार्ड" का, विभाजन भी नागरिक सेवा प्रदान करने वाली राज्य की संस्थाओं के कार्यक्षेत्र से असंगत होता है।
- 74वें संविधान संशोधन के दो दशकों के बाद भी शहरी स्वशासन कमजोर है, तो इसका कारण राज्य सरकारों की मनोवृत्ति में बदलाव नहीं होना है। राज्य सरकारें, शहरी स्वशासन की इकाइयों को शक्तियाँ और संसाधन हस्तांतरित करने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होती हैं।

ए.एम.आर.यू.टी: सुधार के लिए प्रोत्साहन

- ए.एम.आर.यू.टी, अपनी पूर्ववर्ती योजना जे॰ एन॰ एन॰आर॰यू.एम की भांति शहरी प्रशासन में सुधार के लिए प्रोत्साहन की योजना है।
- यह कुछ आवश्यक परिवर्तनों को प्रस्तावित करती है, यथा नगरीय प्रशासन को समर्पित प्रशासकों का कैडर तैयार करना, नगर निकायों को कार्यों और कोष का हस्तांतरण। इस उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जायेगा।
- ए.एम.आर.यू.टी राज्य सरकारों को शहरी विकास की परियोजना का डिजाइन अपनी आवश्यकतानुसार बनाने की स्वायत्ता प्रदान करता है तथा इस संदर्भ में केन्द्र के निरीक्षण को ढ़ीला करता है। जबकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षण अत्यधिक मजबूत था।
- यह केन्द्र सरकार की भागीदारी को 33-50 प्रतिशत तक सीमित रखता है, अर्थात् योजना पूर्णत: राज्य सरकारों से संबंधित होगी । राज्य सरकार अधिक सहभागिता के तहत सफलता की ओर गंभीरता से प्रयासरत रहेगी।
- "शहरी चुनौती प्रतिस्पर्धा" के माध्यम से स्मार्ट शहरों का चयन किया जायेगा। यह स्थानीय नेतृत्व को परिवर्तन के लिए प्रेरित करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध : भारत एवं विश्व

'स्पेशल 301 रिपोर्ट'

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की 2015 में जारी स्पेशल 301 रिपोर्ट में, भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित वरीयता निरीक्षण सूची(प्रायेरिटी वॉच लिस्ट) में कायम रखा है। 'स्पेशल 301' रिपोर्ट, बौद्धिक संपदा अधिकारों के विश्वव्यापी क्रियान्वयन का वार्षिक सर्वेक्षण है। प्रत्येक वर्ष यू.एस.टी.आर उन राष्ट्रों को चिन्हित करता है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को पर्याप्त और प्रभावी सरंक्षण नहीं प्रदान करते है अथवा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर निर्भर अमेरिकी नागरिकों अथवा व्यक्तियों की अपने बाजारों तक उचित और न्यायपूर्ण पहुँच से रोकते है। यू.एस.टी.आर ने 72 व्यवसायिक साझेदार देशों का सर्वेक्षण कर अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में किया और उनमें से 37 को वरीयता निरीक्षण सूची (प्रायेरिटी वॉच लिस्ट) में रखा है।

रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण

प्राथमिकता वाले विदेशी राष्ट्र (priority foreign country): यह इस संबंध में निम्न स्तर का प्रदर्शन करने वाले देशों को समाहित करने वाला वर्गीकरण है। ऐसा राष्ट्र अपने स्वहित को ही केन्द्र में रखता है और ऐसी नीतियों और क्रियाकलापों को अपनाता है जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित उत्पादों पर सर्वाधिक विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस क्रम में चूँकि इस वर्ष की रिपोर्ट फार्मास्युटिकल्स और जेनेरिक दवाओं पर आधारित है। अत: संभव है कि भारत के क्रम को और अधिक गिराते हुए प्राथमिकता वाले विदेशी राष्ट्र की कोटि में शामिल कर दिया जाये।

प्राथमिक निगरानी सूची (priority watch list):- इस सूची में शामिल व्यापारिक साझेदार देशों में बौद्धिक संपदा संरक्षण संबंधी कमजोर प्रावधान और अनुपयुक्त क्रियान्वयन व्यापार समस्याओं को गंभीर बनाता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का कमजोर क्रियान्वयन, ऐसे अमेरिकी नागरिक जिनका संबंध बौद्धिक सम्पदा आधारित व्यवसायों से है, उनकी इन राष्ट्रों के बाजारों तक पहुँच को कमजोर बनाता है।

- अलजीरिया, अर्जेन्टाइना, चिली, चीन, इक्वेडोर, भारत, इंडोनेशिया, कुवैत, पाकिस्तान, रूस, थाइलैण्ड, यूक्रेन और वेनेजुएला आदि तेरह देश प्राथमिकता निरीक्षण सूची में है।

निगरानी निरीक्षण सूची (watch list)

- 24 व्यापारिक साझेदार इन अधिकारों को लेकर निरीक्षण सूची की इस कोटि में शामिल है। और इस सन्दर्भ में साझेदार देशों को द्विपक्षीय रूप से इस मुद्दे पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत-ईरान के मध्य समझौता ज्ञापन

- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चाबहार बंदरगाह का विकास भारत को (पाकिस्तान को बिना शामिल किये बिना) भूमि-समुद्र मार्ग प्रदान करेगा। भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री की मई में हुई ईरान यात्रा के दौरान, ईरानी नेतृत्व के साथ व्यापक बातचीत के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ईरान की पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली भौगोलिक रूप से मध्य स्थिति इसे अवसर प्रदान करती है कि यह भारत को केन्द्रीय एशिया तथा काकेशस और पूर्वी यूरोप से रेल मार्ग से संबद्धता प्रदान कर सके।
- भारत ने दस वर्ष के लिए चाबहार बंदरगाह पर दो बर्थ लीज पर लेने की इच्छा जताई है। बंदरगाह स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से विकसित किया जाएगा। एस पी वी ,इसमें 85.21 मिलियन डालर का निवेश करेगा। जिससे दोनों बर्थ को कंटेनर और बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनल में परिणत कर दिया जाएगा।

- चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान - बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है, यह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर है, जो कि रणनीतिक रूप से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भारत को अफगानिस्तान तक पाकिस्तानी क्षेत्र मे प्रवेश किये बिना भू-समुद्री मार्ग प्रदान करेगा। बंदरगाह को चीन द्वारा संचालित पाकिस्तानी बंदरगाह से उत्पन्न सामरिक चुनौती के प्रति संतुलनकारी तत्व के रूप में भी माना जा रहा है।
- चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत ईरानी सड़क नेटवर्क का उपयोग करके अफगानिस्तान के जेरांग तक पहुँच बना सकता है। जेरांग-डेलाराम मार्ग के माध्यम से अफगानिस्तान के गारलैंड हाइवे से जुड़ सकता है।
- बंदरगाह केन्द्रीय एशिया और खाड़ी देशों के साथ भारत के परिवहन और मालभाड़े में एक तिहाई तक की कटौती करेगा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भारत और अन्य देशों को ईरान के साथ कोई भी व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने से मना किया गया है क्योंकि अभी भी यू.एस.ए. और अन्य शक्तियों के साथ विवादित परमाणु मुद्दे पर वार्ता चल रही है।
- अटल बिहारी के नेतृत्व में बनी एन.डी.ए. सरकार ने 2003 में ही चाबहार बंदरगाह के विकास पर समझौता किया था। इसे उस समय ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के आलोक में इसे परिणत नहीं

VISION IAS

किया जा सका।

भारत-मंगोलिया संबंध

- प्रधानमंत्री 17 मई 2015 को मंगोलिया पहुँचे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला मंगोलिया दौरा है। वर्ष 2015, भारत-मंगोलिया, कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष और मंगोलिया में लोकतंत्र के पूरा होने के 25 वर्ष पूरे होने के लिए भी जाना जाएगा।
- बोध धर्म भारत-मंगालिया को सांस्कृतिक रूप से संबंद्ध करता है।
- भारत ने मंगोलिया के साथ कूटनीतिक संबंध 1955 में ही स्थापित किया था । भारत सोवियत गुट को छोड़कर प्रथम ऐसा देश था जिसने मंगालिया के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री के मंगोलिया यात्रा के फलस्वरुप फ़रवरी 1973 में एक घोषणापत्र जारी किया गया था। घोषणा उन सामान्य सिद्धांतों की स्थापना करता है, जिनके माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को संचालित किया जाना था। फरवरी 1994 में राष्ट्रपति ओचिरबत की भारत यात्रा के दौरान मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत ने मंगोलिया की संयुक्त राष्ट्र और नाम (NAM) में सदस्यता का समर्थन किया साथ ही मंगोलिया ने भी भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया।
- खनिजों की दृष्टि से संपन्न मंगोलिया ने खनिज क्षेत्र में भारत को आमंत्रित किया।मंगोलिया कोकिंग कोल, कॉपर, यूरेनियम और बहुमूल्य धातुओं के प्रचुर भंडार समाहित रखता है।
- भारत ने मंगोलिया के साथ वर्ष 2009 में ही नागरिक परमाणु भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया था।
- मंगोलिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $50 मिलियन डॉलर की उँचाइयों को छूने के बाद वर्ष 2014 में लगभग आधा $24 मिलियन डॉलर हो गया । इसके विपरीत मंगोलिया का चीन के साथ वर्ष 2013 में व्यापार 6 बिलियन डॉलर था। चीन मंगोलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा मंगोलिया में कुल निवेश का आधे से ज्यादा का निवेशक है।

प्रधानमंत्री की यात्रा के प्रमुख बिंदु

- किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की मंगोलिया की पहली यात्रा थी ।
- राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की वर्ष 2011 मंगोलिया यात्रा भारतीय शीर्ष नेतृत्व की अंतिम यात्रा थी।
- भारतीय प्रधानमंत्री को मंगोलिया की संसद (स्टेट ग्रेट हुराल) को संबंधित करने का विशिष्ट सम्मान भी प्राप्त हुआ। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किसी विदेशी नेतृत्व का प्रथम बार यह अवसर मिला है।
- प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मंगोलिया भारत की 'एक्ट ईस्ट पालिसी' का अनिवार्य अंग है। उन्होनें यह भी कहा कि दोनों देशों का भविष्य प्रशांत क्षेत्र के भविष्य के साथ गहनता से संबंद्ध है।
- भारत और मंगोलिया ने संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा व्यापक साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए, एक साझे वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों मे मित्रता और सहयोग संधि के नवीनीकरण पर भी सहमति हुई।
- प्रधानमंत्री ने मंगोलिया की आर्थिक क्षमता और आधारभूत ढाँचे को सशक्त करने के लिए 1 बिलियन डॉलर के 'लाइन ऑफ क्रेडिट' प्रदान करने की घोषणा भी की।
- उन्होंने मंगोलिया के लिए भारतीय तकनीकि और आर्थिक सहयोग प्रशिक्षण स्थानों (ITEC) को 150 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा की।
- दोनों देशों के बीच वर्ष 2015 में, कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 60वीं वर्षगांठ पर संयुक्त रूप से सांस्कृतिक आयोजन किए जाए। इस बात पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री सहमत हुए।
- दोनों देशों के प्रधानमंत्री साझे सांस्कृतिक विरासतों की पुनर्खोज के लिए, 'पवित्र त्रिपिटिका' के मंगोलियाइ भाषा में अनुवाद की साझी कार्य योजना पर कार्य करने के लिए सहमत हुए। दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा, पुलिसिंग, सर्विलेंस, वायु सेवा सायबर सुरक्षा और पुनर्नवीकृत ऊर्जा से संबंधित 13 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किया है को अंजाम दिया।

भारत-मंगालिया रणनीतिक संबंधों पर संयुक्त वक्तव्य :

- वायुसेवाओं पर दोनों देशों के बीच सहमति।
- पशु स्वास्थ्य और डेयरी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग पर सहमति।
- सजायाफ्ता व्यक्तियों के आदान-प्रदान पर सहमति।
- पारंपरिक औषधियों और होम्यापैथी के क्षेत्र में भारत मंगोलिया के बीच समझौता ज्ञापन करार किया गया।
- वर्ष 2015-2018 के बीच सांस्कृतिक संबंध आयोजित करने पर सहमति। भारत-मंगोलिया के बीच साइबर सुरक्षा पर सहमति, तथा इसके लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन करार किया गया।
- भारत के विदेश मंत्रालय के विदेशी सेवा संस्थान और मंगोलिया के विदेशी मामलों की राजनयिक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन करार किया गया।
- भारतीय विदेश मंत्रालय और मंगोलिया विदेशी मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन करार किया गया।
- भारत के नवीन पुनर्ववीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा मंगोलिया के पुनर्नवीकृत ऊर्जा मामलों से संबंद्ध मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन करार किया गया।
- भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और मंगोलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के बीच करार किया गया।
- मंगोलिया में भारत मंगोलिया मित्रता माध्यमिक स्कूल स्थापित करने पर सहमति।
- टाटा मेमोरियल सेंटर तथा मंगोलियन नेशनल सेंटर के बीच, 'भाभा-ट्रान टेली कोबाल्ट यूनिट, रेडियो थेरेपी सिम्युलेटर के साथ उपहार स्वरुप प्रदान किये जाने पर समझौता ज्ञापन करार किया गया।

निष्कर्ष

- भारतीय प्रधानमंत्री की मंगोलिया यात्रा ने, दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित, भ्रातृत्वपूर्ण सहयोग के नये युग का सूत्रपात किया है। यह प्रयास चीन के द्वारा पाकिस्तान में भारी निवेश किए जाने के

VISION IAS

संदर्भ में और भी अधिक महत्व रखता है। चीन यदि भारत की परिधि को घेरने का कोई भी संभव प्रयास कर सकता है, तो भारत भी चीनी परिधि को लेकर उतना ही गंभीर है। प्रधान मंत्री की मंगोलिया यात्रा भी यह संदेश देती है।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रासंगिकता को प्रकट करता है। इन समझौतों के माध्यम से सशक्त आर्थिक संबंधों के अतिरिक्त रणनीतिक अभिव्यक्ति भी हुई है। सांस्कृतिक संबंधों को आधार देने वाले दो प्रमुख सूत्र है- प्रथम बोध धर्म एवं द्वितीय दक्षिण कोरियाई जनमानस में प्रचलित यह विश्वास कि 48 ईपू. में अयोध्या की राजकुमारी ने महाराज किम सूरों से विवाह करने के लिए दक्षिण कोरिया की यात्रा की। किमं वंश की एक प्रख्यात शाखा जो अपने आप को गिमहाई किम कहती है, के द्वारा इस भारतीय संबंध सूत्र को गर्व से स्वीकार भी किया जाता है।

दोनों ही देशों का औपनिवेशिक शोषण का कटु अनुभव रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् दोनों ही देशों को विभाजन की दुखद त्रासदी से गुजरना है। दोनों देशों को पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के रुप में शत्रुवत परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी का भी सामना करना पड़ता है।

- सदी का पहला दशक दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में विस्तार का गवाह बना है। सन् 2010 में भारत-दक्षिण के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौता तथा 'व्यापक आर्थिक भागीदारी सहमति CEPA समझौता संपन्न हुआ।
- दोनों देशों के बीच 530 मिलियन डॉलर का व्यापार वर्ष 1992-1993 में था जो कि सन् 2006-07 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो कि चरघातांकीय वृद्धि प्रदर्शित करते हुए 2013 में 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दक्षिण कोरिया यात्रा

प्रधानमंत्री ने तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में दक्षिण कोरिया की यात्रा संपन्न की एवं राष्ट्रपति पार्क ग्यून हाई के साथ विविध मुद्दों पर विस्तृत विमर्श किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण कोरिया जापान के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसके साथ भारत की राजनयिक और सुरक्षा वार्ता 2+2 प्रारुप संपन्न होती है। जहाँ कि 2+2 प्रारुप का संबंध दोनों देशो के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता से है।

व्यापार संबंध

- भारत और दक्षिण कोरिया ने सन् 2010 में मुक्त व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) को सम्पन्न किया।
- ऐसी 300 दक्षिण कोरिया की कंपनियाँ है जिन्होंने कुल मिलाकर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत में किया है और 40000 लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है।
- भारतीय कंपनियों का दक्षिण कोरिया में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है तथा भारतीय कंपनियाँ फार्मास्युटिकल और आई. टी. (IT) के क्षेत्र में कोरिया की बाजारों में और अधिक पहुँच बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं।
- द्विपक्षीय व्यापार दक्षिण कोरिया के पक्ष में झुका हुआ है। भारत का व्यापार घाटा, वर्ष 2009-10 के 5.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 8.27 बिलियन डॉलर हो गया।
- कोरिया के वित्त और रणनीतिक मंत्रालय तथा वहाँ के आयात-निर्यात बैंक ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर दोनों देशों के आधारभूत संरचना विकास में पारस्परिक सहयोग के लिए उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की है।
- दस बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रयोग वरीयता वाले क्षेत्रों जैसे स्मार्ट सिटी, रेलवे आदि से संबद्ध निर्यात को उधार उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रयोग, आर्थिक विकास के लिए साझा कोष निर्मित करने में किया जायेगा।
- दोनों देश वर्ष 2016 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के पुनरीक्षण के लिए भी सहमत हुए।

घनिष्ठ संबंधों के निर्माण की ओर

- भारत दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक ऊँचाई पर ले जाते हुए इसे विशेष रणनीतिक भागीदारी में बदलने का निश्चय किया।

पारस्परिक सहमति

- वर्ष 2016 मे व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का पुनरीक्षण।
- सुनिश्चित करना हैं कि भारत चारो बहुपक्षीय एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का सदस्य हो।
- दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच संबंधों को मूर्त रुप देना।

भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने संबंधों को और अधिक ऊँचाई पर ले जाते हुए इसे विशेष रणनीतिक भागीदारी में परिणत करने का निश्चय किया। इस संबंध में सहयोग को और गहन बनाते हुए, रक्षा क्षेत्र में दोहरे कराधान से बचने समेत सात समझौते किए।

VISION IAS

FORGING CLOSER TIES

South Korea and India agree to upgrade bilateral relationship to **Special Strategic Partnership**

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एम.ओ.यू. की सूची

संख्या	समझौता ज्ञापन/ सहमति	विशेष
1.	भारतीय गणराज्य और कोरियाई गणराज्य की सरकारों के बीच दोहरे कराधान और कर चोरी को रोकने के लिए सहमति।	भारत एवं कोरियाई गणराज्य द्वारा दोहरा कराधान छूट संधि का पुनरीक्षण किया गया जो कि सन् 1985 में हस्ताक्षरित हुई थी। इसका उद्देश्य करदाताओं पर दोहरे भार को हटाना था।
2.	दृश्य और श्रव्य सामग्री के सह उत्पादन के लिए भारत और कोरियाई गणराज्य के मध्य सहमति।	समझौता भारत एवं दक्षिण कोरिया के सी.ई.पी.ए (CEPA) प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया। यह दोनों देशों को संयुक्त रुप से फिल्म, एनीमेशन और प्रसारण कार्यक्रमों के संयुक्त निर्माण में सक्षम बनाएगा। समझौता भारतीय और कोरिया सिनेमा के बीच सहयोग और साझेदारी के अवसर उपलब्ध कराएगा। दोनों देशों के फिल्म उद्योगों के मध्य आदान-प्रदान को संभव बनाएगा।
3.	भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिवालय और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन करार किया गया।	दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग के लिए आधार तैयार करेगा।
4.	भारतीय गणराज्य के ऊर्जा मंत्रालय और कोरियाई गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा संबंधी मामलों के मंत्रालय के बीच, विद्युत ऊर्जा और स्वीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ऊर्जा करार संपन्न हुआ।	समझौता ज्ञापन में निहित कल्पना के अनुसार यह दोनों देशों के बीच विद्युत ऊर्जा और नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग संभव बनाएगा। पुनर्नवीकृत ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा सूचना और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा वितरण और पारगमन तथा ऊर्जा दक्षता और संग्रहण के क्षेत्र में सहयोग को संभव बनाएगा।

VISION

5.	भारत के खेल एवं युवा मंत्रालय और कोरिया के लैंगिक क्षमता और परिवार मंत्रालय के बीच युवा मामलों के सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन।	समझौता ज्ञापन युवाओं से संबंधित मामले में सहयोग को बढ़ाएगा और मजबूत करेगा। यह युवाओं की विभिन्न आयोजनों, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में हिस्सेदारी, युवा कैम्प और उत्सवों में भागीदारी के माध्यम से सहयोग मजबूत करेगा।
6.	सड़क परविहन और राजमार्ग के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रारुप तैयार किया गया। इस क्षेत्र से संबंधित मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा कोरियाई गणराज्य के भूमि, आधारभूत ढाँचा और परिवहन मंत्रालय के बीच सहमति हुई।	भारत एवं दक्षिण कोरिया के सी.इ.पी.ए. (CEPA) प्रावधानों के अंतर्गत सहयोग के लिए निर्मित प्रारुप में सड़क राजमार्ग नीति, राजमार्गों की डिजाइन एवं निर्माण, मार्ग क्रियाविधि, मार्ग प्रबंधन एवं सुरक्षा, कुशल परिवहन व्यवस्था और टोल कलेक्शन की इलेक्ट्रानिक प्रणाली जैसे विषय शामिल हैं।
7.	भारत के जहाजरानी मंत्रालय और कोरिया के समुद्री और मत्स्य मामलों के मंत्रालय के बीच समुद्री यातायात एवं सम्भारिकी को लेकर समझौता ज्ञापन करार संपन्न।	समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री परिवहन एवं सम्भारिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है, जिसमें इस क्षेत्र से संबंधित तकनीकि और सूचनाओं को साझा करके समुद्री नाविकों का प्रशिक्षण विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और बंदरगाह संक्रियाएँ शामिल है।

निष्कर्ष

दोनों ही देशों में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। अत: कोरियाई पर्यटकों को 'वीजा ऑन अराइवल' और 'ई-वीजा' जैसी सुविधाएँ प्रदान करने का भारत का निर्णय पर्यटन क्षेत्र को विकसित होने का अवसर प्रदान करेगी। भारतीय फ़िल्में, भारतीय भोजन और योग कोरिया में व्यापक रुप से लोकप्रिय है।

भारत-कोरिया संबंधों का आधार बिंदु इनके बीच की गहन आर्थिक रणनीतिक संल्गनता है। यह तथ्य वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री की, भारत को विनिर्माण के क्षेत्र मे केन्द्र के रुप में विकसित करने की संकल्पना से पूरी तरह संगत है।

दक्षिण कोरिया पोत निर्माण का प्रमुख केन्द्र है, जोकि वर्तमान भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप रुचि का विषय है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्सान स्थित हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज का भ्रमण किया गया। यह भारत की इस क्षेत्र में कोरिया के अनुभव से लाभ उठाने के प्रति गंभीरता को प्रकट करता है।

GCC सम्मेलन 2015

खाड़ी क्षेत्र के अरब देशों के बीच सहयोग के लिए स्थापित की गई परिषद् को (Gulf Cooperation Council) खाड़ी सहयोग परिषद् (G.C.C.) कहा जाता है। यह बहरीन , कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) आदि सदस्यों से मिलकर बनने वाला क्षेत्रीय अंतर्सरकारी राजनीतिक-आर्थिक संघ है।

- G.C.C. 1999 से वर्ष में दो सम्मेलन आयोजित करता है। औपचारिक सम्मेलन दिसम्बर में आयोजित करता है। यह सामान्यत: एक-दो दिनों तक चलती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि मुद्दे या विषय कितने गम्भीर है।
- द्वितीय सम्मेलन का आयोजन मई माह में सऊदी अरब में किया गया। यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी किन्तु इसका कोई औपचारिक मुद्दा नहीं था। यह एक दिन तक चली
- G.C.C. का सम्मेलन वर्ष 2015 रियाद में संपन्न हुआ।
- G.C.C. का सम्मेलन बड़े ही निर्णायक समय पर आयोजित किया गया। सऊदी गठबंधन के द्वारा यमन विद्रोहियों पर बमबारी (Operation Decisive Storm), इस्लामिक चरमपंथ का बढ़ता प्रभाव और ईरान के साथ एक सशक्त अंतिम परमाणु करार पर वैश्विक चर्चा को देखते हुए सम्मेलन का समय अत्यंत महत्वपूर्ण था।
- फ्रांस के राष्ट्रपति फ्राँस्वा ओलांद पहले पश्चिमी राष्ट्राध्यक्ष थे , जिन्होंने खाड़ी सहयोग परिषद् की बैठक में हिस्सा लिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका -खाड़ी सहयोग परिषद् सम्मेलन

14 मई 2015 के कैम्प डेविड सम्मेलन में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खाड़ी सहयोग परिषद् के सभी 6 देशों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। मुलाकात का उद्देश्य सभी 6 देशों के ईरान के साथ परमाणु समझौते और मध्यपूर्व में तेहरान की अस्थिरकारी गतिविधियों से संबंधित चिंताओं को दूर करना था।

- अधिकांश खाड़ी देशों ने राष्ट्रपति ओबामा को यह स्पष्ट किया कि वे नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा समझौता चाहते है जिसमें अमेरिका खाड़ी देशों पर आक्रमण की स्थिति में, सुरक्षा की गारंटी दे।
- सामूहिक आत्म रक्षा नाटो का आधारभूत सिद्धांत है। इसकी अभिव्यक्ति अप्रैल 1949 की वाशिंगटन ट्रीटी के अनुच्छेद 5 में होती है। अनुच्छेद 5 स्पष्टत: करता है-"किसी एक राष्ट्र पर सशस्त्र हमला सभी सदस्य राष्ट्रों पर हमला माना जाएगा। सभी सदस्य, पीड़ित राष्ट्र की शीघ्र तत्क्षण सहायता करेंगे।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी देश संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को और तीव्र करने पर सहमत हुए हैं।

VISION IAS

गहरा समुद्रीतल उत्खनन: भारत चीन और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण

चीन ने हिंद महासागर में भारत के साथ गहरे समुद्रीतल के उत्खनन के क्षेत्र में उत्सुकता दिखाई है। चीन का यह प्रस्ताव उसकी 118 दिवसी 'गहरे समुद्री जलमग्न मानवयुक्त जियालोन' अभियान के पूरा होने के तुरंत बाद आया है जो कि दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में संपन्न हुआ। इस अभियान में हिंद महासागर में बहुमूल्य धातुओं सोने, चाँदी आदि के अवशेषों का पता चला है। चीन के प्रस्ताव के मुख्य बिंदु है।

- भारत और चीन समुद्री तल के उत्खनन क्षेत्र में एक समान स्तर पर है, यह स्थिति भारत को आदर्श भागीदार बनाती है।
- गहन समुद्री तल उत्खनन अत्यधिक लागत वाला और जोखिमपूर्ण है।
- भारत और चीन दोनों ही विकासशील देश हैं और अंतराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण के अनुबंधित देश भी हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी 1982 में संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून प्रसंविदा। और 1994 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के भाग ग्यारह के प्रावधानों के अनुपालन में इसकी स्थापना की गई।

यह प्राधिकरण ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से समुद्री अभिसमय के सदस्य देश, राष्ट्रों की सीमा से बाहर के समुद्री क्षेत्र, इसकी तलहटी, सतह संबद्ध मृदा आदि में उत्खनन से संबंधित क्रियाकलाप करते है। संगठन के माध्यम से ही राष्ट्रों की सीमाओं से परे समुद्री क्षेत्र और तलहटी आदि के क्रियाकलाप और गतिविधियाँ नियंत्रित होते है।

मुख्यालय - किंग्सटन, जमैका

सदस्यता - अंतर्राष्ट्रीय सी बेड (समुद्रतल) अथॉरिटी के 15 जनवरी 2015 को 167 सदस्य थे।

- प्राधिकरण का मुख्य कार्य गहरे समुद्री तल में उत्खनन गतिविधियों को विनियमित करना है। यह सुनिश्चित करना है कि गहरे समुद्र तल उत्खनन में सामुद्रिक पारिस्थितिकी को कोई नुकसान न पहुँचे।
- पॉलीमेटालिक नोड्यूल के खोज और नियमों को विनियमित करना, इसकी वरीयताओं में है। यह कार्य यह समुद्री उत्खनन करने वाले देश के साथ संयुक्त साझेदारी में करता है, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी का ध्यान रखते हुए सतत् विकास की रणनीति को अपनाया जाए।

आयरलैंड: समलैंगिक विवाह

- आयरलैंड गणराज्य के लोगों ने 3.2 मिलियन लोगों द्वारा भागीदारी किए गए एक रेफरेण्डम में, समलैंगिक विवाह के समर्थन में सशक्त बहुमत दिया गया ।
- आयरलैंड में लिखित संविधान है, जिसे केवल रेफरेण्डम के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।
- लोकप्रिय मतों के माध्यम से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला आयरलैंड प्रथम देश है।

ब्रिटेन चुनाव

- डेविड कैमरून के नेतृत्व वाली कंजरवेटिव पार्टी इंग्लैड के चुनावों में बहुमत के साथ वापस आ गई है। इस बार पार्टी सशक्त बहुमत के साथ अगले पाँच वर्षो तक ब्रिटेन पर शासन करने का जनादेश लेकर आई है।
- कंजर्वेटिव पार्टी ने 650 सीटों में बहुमत के लिए निर्धारित 326 सीटों के आंकड़ों को पार करते हुए 331 सीटे हासिल की।
- एक आकलन के अनुसार, भारत भूमि मे जन्में लगभग 615,000 मतदाताओं का समूह, एक ही विदेशी भूमि में जन्में मतदाताओं का सबसे बड़ा एकल समूह निर्मित करता है। लंदन स्थित (N.G.O.), माइग्रेण्ट राइट नेटवर्क के अनुसार इसमें भारतीय अप्रवासियों के इंग्लैण्ड में जन्में बच्चों की संख्या को नही जोड़ा गया है।

	Seats	Vote Share
Conservative Party	331	36.9%
Labour Party	232	30.4%
Scottish National Party	56	4.7%
Liberal Democratic Party	8	7.9%
UK Independence Party	1	12.6%
Democratic Unionist Party	8	0.6%

- वर्ष 2011 में संचालित की गई नवीनतम जनगणना के अनुसार इंग्लैण्ड में 1.4 मिलियन भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं।
- कीथ बाज, प्रीती पटेल और इनफ़ोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक सहित दस भारतीय, ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए जो अब तक में सर्वाधिक है।
- भारतीय मूल की प्रीती पटेल को मंत्री के रुप में कैमरून मंत्रीमंडल में स्थान दिया गया है।

राष्ट्रपति की रूस यात्रा

- हिटलर की सेना के 70 वर्ष पूरे होने की स्मृति में आयोजित विक्टरी डे परेड में भागीदारी करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रुस की यात्रा की।
- परेड प्रत्येक वर्ष 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने की स्मृति में आयोजित की जाती है।
- राष्ट्रपति ने 10 मई को रूस में 'नमस्ते इंडिया' सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन भी किया।

आयोजन का पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा बहिष्कार

- ऐसे समय में जब कि लगभग प्रत्येक अमेरिकी सहयोगी और यूरोपीय देशों ने समारोह का बहिष्कार किया जा रहा हो, उस समय राष्ट्रपति की यात्रा और समारोह में शिरकत, विशिष्ट महत्व रखती है। 70वीं परेड समारोह 50वीं और 60वें स्मृति समारोह से पूर्णत: विपरीत परिदृश्य प्रस्तुत करती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जार्ज बुश के द्वारा समारोह में शिरकत की गई थी।

विक्टरी डे परेड में भारतीय सेना की भागीदारी

- 9वीं ग्रेनेडियर रेजीमेण्ट के रुप में भारतीय सैन्य टुकड़ी ने रुस की विक्टरी डे परेड में भागीदारी की। भारतीय सैन्य टुकड़ी ने यह भागीदारी रुस के विक्टरी डे की स्मृति में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैनिक परेड में की।

भारत वियतनाम: सुरक्षा सहयोग

वियतनाम के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत वियतनाम ने 2015-2020 के लिए ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट आन डिफेंस कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए।

- दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग पर विस्तार से बात की, जिसमें समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा भी शामिल है।
- दोनों देशों ने वर्तमान रक्षा सहयोग और भागीदारी को जारी करने की बात को पुन: दोहराया।
- प्रधानमंत्री नगुएन तान दुंग की अक्टूबर 2014 में दिल्ली यात्रा के दौरान भारत ने वियतनाम को 100 मिलयन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रस्तावित किया था ताकि वियतनाम भारत से नौसैनिक जहाज को खरीद सके।

इसरो प्रस्ताव

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वियतनाम में एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया हैं।
- प्रस्ताव के द्वारा वियतनाम को भारतीय उपग्रहों के माध्यम से आंकड़ों को प्राप्त करने, संशोधित करने तथा विभिन्न अनुप्रयोगों के प्रयोग करने में, जिसमें की आपदा प्रबंधन भी शामिल है, उससे भारत की ओर से सहायता दी जाएगी।
- इसरों द्वारा स्थापित इस सुविधा का प्रयोग अंतरिक्ष में प्रशिक्षण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण में सहायता मिलेगी, जिसका फायदा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों को भी प्राप्त होगा।

भारत ने चीन को इण्टरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए आमंत्रित किया

आमंत्रण क्यों? चीन के साथ समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भारत ने गंभीरता दिखाई है। क्योंकि भारत नहीं चाहता कि हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, संघर्ष में परिणत हो।

भारत शक्तिशाली नौसेना के रुप में विकसित होने वाली शक्ति है, अत: भारत हिन्द महासागर क्षेत्र में खनिज व्यापार को सुरक्षित करना चाहता है। साथ ही भारत चीन के साथ हिन्द महासागर स्थिति सभी देशों श्री लंका, बांग्लादेश, म्यामार, पूर्वी अफ्रीका, सेशेल्स, मारीशस मालदीव और कम्बोडिया के साथ संगति बैठाना चाहता है।

इण्टरनेशनल फ्लीट रिव्यु

नौसेना 15 वर्षों के अन्तराल के पश्चात् रिव्यु का आयोजन कर रही है इससे पहले 2001 में इसका आयोजन किया गया था।

सिम्बेक्स – 15

भारत और सिंगापुर के मध्य द्विपक्षीय नौसनिक अभ्यास सिम्बेक्स – 15 का आयोजन 23 मई 2015 को सिंगापुर में किया गया ।

- अभ्यास का उद्देश्य दोनों मित्र देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और नौसेनाओं के बीच संपर्क बढ़ाना है।
- भारतीय पक्ष से - आई एन.एस सतपुडा (स्वदेश निर्मित मिसाइल स्टील्थ फ्रिग्रेट), आई.एन.एस कोमार्ता (नवीनतम स्वेदश निर्मित सबमैरीन वारफेयर कारवेटी) और लंबी दूरी के समुद्री रिकान्नसेंस एण्टी सबमैरीन (LRMRASW) P81 एयर क्राफ्ट ने अभ्यास में भाग लिया।

पृष्ठभूमि

भारत और सिंगापुर नौसेना के मध्य सामरिक सहयोग एवं, ए.एस. डब्ल्यू. (एण्टी सबमैरीन वारफेयर) प्रशिक्षण अभ्यास सन् 1994 से प्रारंभ हुआ था, जो कि पिछले २० वर्षों से लगातार बढ़ता गया है।

- सामरिक अभ्यास को सन् 1999 में वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास सिमबेक्स में परिणत कर दिया गया।
- अपने शुरू किए गए जाने के बाद से सिम्बेक्स अधिकाधिक सामरिक और रणनीतिक रुप से जटिल क्षेत्रों को समाहित करता गया है। यह एण्टी सबमैरीन वारफेयर से आगे बढ़कर अधिक जटिल मुद्दों यथा सामुद्रिक सुरक्षा नौ सैनिक अभियानों जैसे वायु सुरक्षा, हवा और सतह पर अभ्यास, खोज और बचाव इत्यादि मुद्दों को भी अपने अंतर्गत शामिल करता है।

प्रधानमंत्री का चीन दौरा

गत दो दशकों से भारत-चीन संबंधों पर कूटनीतिक बल, एक ऐसे सशक्त आर्थिक संबंधों के ढांचे को विकसित करने पर रहा है, जो लंबे समय में विकसित हुए विषम संबंधों और रणनीतिक मतभेदों को कम से कम कर सके।

- प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान भारत और चीन ने 24 समझौतों ऐसे पर हस्ताक्षर किए, जिनके द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाया जा सके। ये समझौते, व्यापार वाणिज्य, रेलवे, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, मानव संसाधन और विविध क्षेत्रों से संबंधित है।

चीन के साथ आदान-प्रदान के क्षेत्र

- रक्षा सहयोग।
- सीमा क्षेत्र में और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के सैन्य मुख्यालयों के बीच एक हॉटलाइटन की स्थापना।

VISION IAS

- प्रांतीय नेतृत्व के स्तर पर सहयोग का मंच।
- प्रांतीय नेतृत्व के सहयोग मंच को लेकर समझौता ज्ञापन (मेमो-रण्डम आफ अण्डरस्टैण्डिंग)।
- प्रथम बार भारत ने प्रांतीय नेतृत्व सहयोग मंच की स्थापना किसी देश के साथ की है।
- जलवायु परिवर्तन।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त वक्तव्य जिसमें 'समान और उभयनिष्ठ, विभेदित उत्तरदायित्व' के सिद्धांत को दोहराया गया है तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNECC) तथा क्योटों प्रोटोकोल जैसे मुद्दों पर समय-समय पर समर्थन देने के तथ्य की पुनर्पुष्टि की गई है।
- व्यापार संबंधी मुद्दों के लिए टास्क फोर्स का गठन।
- भारत और चीन के मध्य होने वाले निर्यात से संबंधित मुद्दों के लिए एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के गठन पर भारत-चीन सहमत हुए है।
- यह टास्क फोर्स फार्मा, आई.टी, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र के द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात में आने वाली सभी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करेगा ।

सांस्कृतिक संबंध : पीपुल टू पीपुल कांटैक्ट

प्रधानमंत्री ने बोद्ध धर्म, योग और बालीवुड को चीन में और अधिक लोगों तक पहुँचाने पर बल दिया ताकि चीन की जनता के हृदय और मस्तिष्क में अपना स्थान बनाया जा सके।

- हैदराबाद एवं कुइंगडाऊ तथा औरंगाबाद एवं डुन हुआंग को 'सिस्टर सिटी" घोषित किया गया हैं।
- 2015 को 'विजिट इण्डिया' तथा 2016 को विजिट चाइना' वर्ष के रुप में मनाया जाएगा।
- चेंगदू एवं चेन्नई में वाणिज्य दूतावास की स्थापना।
- भारत और कुनमिंग तथा युनान के योग कालेज के बीच संबंध स्थापित करना।
- दूरदर्शन और चीन द्वारा संचालित सीसीटीवी (CCTV) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU)।
- आईसीसीआर और फुडान विश्वविद्यालय के मध्य गाँधीवादी दर्शन के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU)।
- प्रधानमंत्री ने चीन के नागरिकों "एक्सटेंडेड इलेक्ट्रानिक टुरिस्ट वीजा" को देने की घोषणा की।

आर्थिक संबंध :

- भारत चीन बिजनेस फोरम में 22 बिलियन डालर मूल्य के 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- ये समझौते उर्जा, आधारभूत ढाँचा, आई टी, विनिर्माण औद्योगिक पार्क और परियोजना वित्तीयन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है।

वरुण - 2015: भारत-फ्रांस नौसैनिक अभ्यास

- 14वां भारत-फ्रांस नौसैनिक अभ्यास वरुण गोवा में संपन्न हुआ। इस दस दिवसीय अभ्यास जिसमें तटीय और समुद्री दोनों चरण शामिल थे 23 अप्रैल 2015 को शुरु किया गया था।

पृष्ठभूमि (भारत-फ्रांस)

- भारत और फ्रांस के बीच संबंध पारंपरिक रुप से घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण रहे हैं। वर्ष 1998 की रणनीतिक भागीदारी की स्थापना के पश्चात् द्विपक्षीय संबंधों में नौसैनिक अभ्यास समेत सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति हुई है।
- भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास का आयोजन वर्ष 1983 से किया जा रहा है। रणनीतिक भागीदारी की स्थापना के बाद इस अभ्यास को 'वरुण 2001' के रुप में जाना गया।

यू.एन डैग हैमरस्क्जोल्ड अवार्ड से सम्मानित दो भारतीय

- 29 मई 2015 को संयुक्त राष्ट्र ने दो भारतीयों लांस नायक नन्दराम और राजू जोसेफ को मरणोपरांत डैग हैमरस्क्जोल्ड सम्मान से सम्मानित किया। लांस नायक नन्द राम ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र के स्थिरता (MONUSCO) अभियान मे भागीदारी थी।
- राजू जोसेफ ने सामान्य नागरिक की हैसियत से दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र अभियान (UNMISS) में भागीदारी की।
- वर्ष 2000 में स्थापित डैग हैमरस्क्जोंल्ड सम्मान, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति अभियानों में शामिल लोगों को मृत्यु हो जाने पर, उनके योगदान के फलस्वरुप दिया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वितीय महासचिव डैग हैमरस्क्जोल्ड स्वीडिश राजनयिक थे जिन्हें वर्ष 1961 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक विमान दुर्घटना में उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई।
- 29 मई को "यू.एन.शांतिसेवकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रुप में मनाया जाता है। यह 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था | इस दिवस की स्थापना के उद्देश्य सभी महिला एवं पुरूष शांति सेवकों के प्रति उनकी व्यवसायिक प्रतिबद्धता, समर्पण तथा साहस के लिए सम्मान प्रकट करना है | इसके साथ ही साथ शांति स्थापना के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करना भी इसका एक उद्देश्य है।
- 1948 में अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने 71 शांति स्थापना अभियानों को संचालित किया है जो अफ्रीका अमेरिका, एशिया, यूरोप और मध्य-पूर्व से संबंधित है। ऐसे शांति रक्षक सैनिकों की संख्या 'दस लाख' से अधिक है, जो कि पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की संख्या से अधिक है।

H-4 वीजा मुद्दा

- 26 मई 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने नए नियमों की सूची जारी की, जो तत्काल प्रभाव में आ गए हैं।
- यह नियम ऐसे H-4 वीजा धारकों पर लागू होते हैं जिनके जीवनसाथी H-1B वीजा धारण करते हैं और जिन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है।
- H-1B वीजा गैर अप्रवासी वीजा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नियोक्ताओं को विशिष्टता वाले क्षेत्र जैसे-सूचना प्रौद्योगिकी में विदेशी लोगों को रोजगार प्रदान करने की अनुमति देता है।

- H–4 वीजा, H–1B वीजा धारक के जीवनसाथी तथा 21 वर्ष से कम बच्चों को तत्काल जारी किया जाता है।
- भारतीय लोगों के अमेरिकी आई.टी उद्योग में बड़ी मात्रा में कार्यरत होने के कारण यह कदम भारत के लिए विशेष महत्व रखता है।
- यू.एस. द्वारा जारी H–1B वीजा धारको में भारतीय सर्वाधिक हिस्सेदारी रखते है।

विश्व स्वास्थ्य समागम

भारत ने 68वें विश्व स्वास्थ्य समागम की अध्यक्षता ग्रहण की जो 19 वर्षों के अंतराल के पश्चात् जिनेवा में आयोजित की गई। यह पद भारत की ओर से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा धारण किया गया। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नए आपातकोष के लिए 2.1 मिलियन राशि डॉलर का योगदान करने की घोषणा की।

- 68 वें विश्व स्वास्थ्य समागम की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसमें एण्टी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान स्वीकार किया गया। यह (AMR) के बढ़ते खतरे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और सदस्य देशों में ब्लू प्रिंट और विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने में सहयोग करेगा।

विश्व स्वास्थ्य समागम, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है।

अर्थव्यवस्था

भारत मे रणनीतिक तेल भंडारण

वैश्विक रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (GSPR), किसी देश की सरकार और निजी उद्योगों द्वारा धारित कच्चे तेल का कुल भण्डार (इन्वेन्टरी) होता है। इसका उद्देश्य उर्जा संकट के समय राष्ट्र को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना होता है।

पृष्ठभूमि

सन् 1990 में, जब पश्चिम एशिया खाड़ी युद्ध से ग्रस्त था, उस समय भारत को गंभीर ऊर्जा संकट से गुजरना पड़ा था। इस संकट के कारण उस समय भारत का कुल तेल भंडार इसकी जरुरतों के अनुसार केवल 3 दिनों तक की आवश्यकता पूरी कर सकता था। यद्यपि भारत इस ऊर्जा संकट का प्रबंधन करने में कामयाब रहा, किंतु तब से लेकर आज तक उर्जा की अबाध आपूर्ति का संकट मंडरा रहा है।

- भारत की ऊर्जा संकट की समस्या को देखते हुए सन् 1998 में रणनीतिक तेल भंडार अभियान की परिकल्पना की गई और सन् 2003 में इसकी स्वीकृति दे दी गई।
- योजना आयोग (वर्तमान NITI आयोग) ने अपनी सन् 2006 की एकीकृत ऊर्जा नीति में आपूर्ति, बाजार और तकनीकि जोखिम को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा माना। इसने 90 दिनों के तेल आयात के बराबर, रणनीतिक रिज़र्व भंडार का प्रबंधन करने की संस्तुति की।

योजना की वर्तमान स्थिति

- सरकार, इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) के माध्यम से 5.33 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाली भंडारण सुविधा, 3 स्थलों पर निर्मित कर रही है। यह सुविधा विशाखाप-ट्टनम (1.33 मिलियन मीट्रिक टन (MTT): भंडारण क्षमता), मंगलौर (1.5 मिलियन मीट्रिक टन भंडारण क्षमता), पाडूर-उडिपी (2.5 मिलियन मीट्रिक टन (MTT) भंडारण क्षमता) आदि स्थानों पर राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्मित की जा रही है।
- विशाखापट्टनम परियोजना इस वर्ष पूरी हो जाने की संभावना है, जबकि मंगलौर और पाडूर-उडिपी परियोजना अगले वर्ष तक पूरी होने की संभावना है।
- उपर्युक्त भंडारण क्षमता के प्रथम चरण के पूरा होने पर, राष्ट्र 13 दिनों के कुल आयात आवश्यकता के बराबर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चत करने में सक्षम हो सकेगा। वर्तमान में तेल उत्पादक कंपनियों एवं भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड से पास उपलब्ध भंडारण क्षमता 90 दिन का रणनीतिक भंडार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है कि राष्ट्र को 2019-20 तक 90 दिनों तक के तेल आयात के बराबर रणनीतिक तेल भंडार बनाए रखने के लिए 13.32 मिलियन मीट्रिक टन (MTT) कच्चे तेल के भंडारण की अतिरिक्त सुविधा की आवश्यकता होगी।
- कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारण की सुविधा में और अधिक वृद्धि करने के लिए,आई . एस .पी आर .एल ने इंजीनियर इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से एक विस्तृत संभावना रिपोर्ट तैयार करायी है।यह रिपोर्ट 12.5 मिलियन मीट्रिक टन (MTT) अतिरिक्त सुविधा निर्माण के लिए द्वितीय चरण में बीकानेर, राजकोट, चण्डीखोल और पाडूर-उडिपी आदि चार स्थलों से संबंधित है।

रणनीतिक भंडारण की आवश्यकता

- ऊर्जा सुरक्षासुनिश्चित करने के लिए।
- भारत अपनी कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का 80 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा करता है। सरकार नहीं चाहती है। कि किसी आपदा या संकट के समय आपूर्ति बाधित हो।
- आयात का अधिकांश भाग पश्चिम एशिया से संबंधित है। पश्चिम एशिया में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता ने रणनीतिक भंडार निर्मित करना बाध्यकारी बना दिया है।
- भूमिगत तेल भंडार युद्ध जैसी आयात स्थिति में ऊर्जा आवश्यकता को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा।

भंडारण की चुनौतियाँ

- इसके लिए आधारभूत ढाँचे के निर्माण और भंडारण की आर्थिक लागत।
- इस प्रकार के भंडारण सुविधाओं को, प्राकृतिक रुप से निर्मित चट्टानी गुफाओं में खुदाई के माध्यम से निर्मित किया जाता है। यह सुविधा निर्मित करना उतना कठिन नहीं है जितना इसको भरा जाना।
- इसमें भंडारित तेल चूँकि हमेशा भंडार के रुप में सुरक्षित रखा जाएगा। अत: इसके भंडारण की वित्तीय लागत काफी अधिक होगी।
- भंडारण की प्रक्रिया संपन्न होने में अधिक समय लग सकता है।

भूमिगत पथरीली गुफाएँ

- भूमिगत गुफाएँ हाइड्रोकार्बन के भंडारण के लिए सबसे सुरक्षित माध्यम है।
- कच्चे तेल के भंडारण से सम्बंधित - चट्टानी गुफाएँ में, पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है, जोकि रिफाइनरी क्षेत्र से बहुत दूर अवस्थित हैं।

निष्कर्ष

- तेल की कम कीमत ने सरकार को ऊर्जा क्षेत्र के सुधार और गठन का अवसर उपलब्ध करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध सस्ते कच्चे तेल ने एक रणनीतिक तेल भंडार निर्मित करने का अवसर भी उपलब्ध करवाया है।

बैंको में आंतरिक लोकपाल

- बैंक में ग्राहकों की सेवाओं में सुधार और उनकी शिकायतों के तीव्र निपटारे के लिए 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' ने सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंको को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की

VISION IAS

सलाह दी है।

प्रावधान

- आंतरिक लोकपाल को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी के (CCSO) पदनाम से जाना जाएगा।
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि बैंक में CCSO नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस बैंक में कार्य किया हुआ कर्मचारी या उस बैंक से संबंद्ध व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

शिकायत निपटान प्रणाली (बैंकिंग लोकपाल)

- रिजर्व बैंक ने सन् 1995 में बैंक उपभोक्ताओं को बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए, बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ की। रिजर्व बैंक का प्रयास था कि बैंक के ग्राहकों के लिए कम खर्चीला और शीघ्रता से शिकायतों के निपटारे का मंच उपलबध हो सके।
- बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित शिकायतों या कमियों को 27 आधारों के आधार पर सुनती है, जब कि प्रारंभ में योजना केवल 11 आधारों से संबंधित शिकायतों का ही निपटारा करती थी।
- वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत आते है।
- रिजर्व बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना का संचालन नि:शुल्क करता है, ताकि इस प्रणाली तक सभी की पहुँच आसान हो।

निष्कर्ष

- बैंको का आंतरिक लोकपाल एक ऐसा मंच होगा, जहाँ बैंक उप-भोक्ता को शिकायत निवारण संबंधी शीर्ष संस्था ,बैंक लोकपाल के पास बिना गए अपनी समस्या का समाधान प्राप्त होगा।

UPSC 2000

- भारत में बैंकिंग लोकपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?

(a) बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा की जाती है।

(b) बैंकिंग लोकपाल अप्रवासी भारतीयों के भारत स्थित खातों के संबंध में शिकायतों को स्वीकार कर सकता है।

(c) बैंकिंग लोकपाल के द्वारा दिया गया आदेश दोनों ही पक्षों पर अंतिम रुप से बाध्यकारी होगा।

(d) बैंकिंग लोकपाल द्वारा प्रदान की गई सुविधा नि:शुल्क होगी।

चीन के साथ व्यापार घाटा

भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बढ़कर 4 बिलियन डालर का हो गया है, इस मुद्दे के समाधान के लिए दोनों देश एक उच्च स्तरीय कार्यबल के निर्माण पर सहमत हो गए है।

प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश

- अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश (NRI), विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा निवेश (OCI), भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) द्वारा निवेश को घरेलू निवेश के रुप में माना जाएगा। उन्हें इसे विदेश ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
- अब से विदेशी निवेश के सन्दर्भ में (OCI) और (PIO) को (NRI) की परिभाषा में सम्मिलित कर दिया गया है (NRI) द्वारा किए गए निवेश को घरेलू निवेश माना जाएगा।
- अब तक एन आर आई द्वारा किए जाने वाले निवेश को केवल हवाई उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49 प्रतिशत के दायरे से बाहर रखा गया था। इस क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों को पूर्ण स्वामित्व की इजाजत दी गई है।

प्रभाव

- यह विनियमित क्षेत्रों में कार्य कर रही कम्पनियों को विदेशी निवेश बढ़ाने की स्वीकृति देगा क्योंकि विदेशों में रह रहे भारतीयों का निवेश अब विदेशी निवेशकों के द्वारा भरा जा सकेगा।
- घरेलू कम्पनियां विदेशों में निवास कर रहे नागरिकों के द्वारा और अधिक निवेश आकर्षित कर सकती हैं तथा नागरिकों को इस सन्दर्भ में विदेशी निवेश संबंधी मानकों का उल्लंघन भी नहीं करना होगा ।
- इस कदम से और अधिक विदेशी विनिमय आगमों के प्राप्त होने की आशा है। इससे राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।
- यह NRI और घरेलू कम्पनियों दोनों को ही प्रोत्साहन देने वाला है क्योंकि इस प्रकार का निवेश भारत में स्थित रुपया एकाउंट के माध्यम से होगा जो स्थायी प्रकृति का होगा और वापस नहीं भेजा जाएगा।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% की वृद्धि

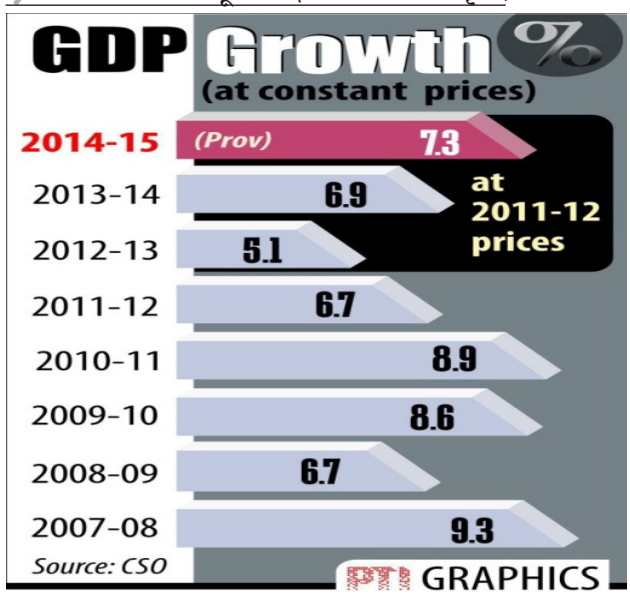

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2014-15 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- पूंजी निर्माण की दर 28.7 प्रतिशत रही जो वर्ष 2013-14 की 29.7 प्रतिशत की अपेक्षा कम रही। पूंजी निर्माण की दर में गिरावट लगातार दूसरे वर्ष जारी है।
- वर्ष 2013-14 के 5.3 प्रतिशत के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र में

VISION IAS

विकास दर 7.1 प्रतिशत रही।

- अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। कृषि, वनोद्योग और मत्स्य संग्रहण क्षेत्र इसके अपवाद रहे है। खनन और खान तथा लोक प्रशासन, रक्षा आदि क्षेत्रों में गिरावट का दौर जारी रहा।

सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी प्रतिभूतियाँ

- भारत का अमेरिकी प्रतिभूतियों का कुल धारण मार्च 2015 के अंत में 107.7 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है।
- मार्च 2015 के अंत में चीन की अमेरिकी प्रतिभूतियों का 107.7 डॉलर ट्रिलियन डालर की भागीदारी रही जो कि विश्व में सर्वाधिक है, जबकि जापान दूसरा सबसे बड़ा धारणकर्ता देश है (1.227 बिलियन डॉलर)
- ब्रिक देशों (ब्राजील, रुस, भारत, चीन) में, भारत तीसरा सबसे बड़ा अमेरिकी प्रतिभूतियों का धारणकर्ता है। रुस की कुल भागीदारी 69.9 बिलियन डालर के रुप में स्थिर रही है।

ब्रिक बैंक

- भारत के प्रतिष्ठित बैंकर, के.वी.कामथ को नए विकासशील बैंक का पहला अध्यक्ष नामित किया गया है बैंक संघाई में स्थापित होगा। पाँच वर्ष के भारतीय कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् अध्यक्ष का पद क्रम के अनुसार ब्राजील के पास जाएगा तथा इसके बाद रुस के पास।

ब्रिक्स क्या है ? (BRICS)

ब्राजील, रुस, भारत और चीन के वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक समूह के अर्थशास्त्री जिम ओ नील के द्वारा 'ब्रिक' शब्द का प्रयोग इन देशों के लिए संयुक्त रुप से किया गया।

- ब्रिक देशों ने वर्ष 2009 मे पहली बैठक की। इस समूह मे दक्षिण अफ्रीका बाद में शामिल हुआ। अत: ब्रिक अब ब्रिक्स (BRICS) का रुप ले चुका है।
- ब्रिक्स देशों में विश्व की कुल जनसंख्या की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था 16 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। यद्यपि यह संयुक्त रुप से विश्व की अर्थ-व्यवस्था का 1/5वा भाग है किंतु उन्हें (IMF) में 11 प्रतिशत मत ही प्राप्त है। जबकि अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड तथा फ्रांस 40 प्रतिशत मतदान शक्ति का प्रयोग करते है।
- ब्रिक्स बैंक में संस्थापक सदस्यों का बराबर मताधिकार होगा।

ब्रिक्स (BRICS) बैंक क्या है?

- जुलाई 2014 में ब्रिक्स देश एक ऐसे विकासशील देश की स्थापना पर सहमत हुए जिसका उद्देश्य न सिर्फ ब्रिक्स देशों बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी आधारभूत ढाँचे और सतत् विकास संबंधी संशोधनों को गतिशील करना है। बैंक यह कार्य सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं में ऋण, गारंटी और इक्विटी के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराकर करना चाहता है।
- बैंक 50 बिलियन डॉलर की अभिदत्त पूंजी से प्रारंभ होगा यह पाँच संस्थापक सदस्यों में बराबर-बराबर बाँटा जाएगा। जिसमें ये देश 10 बिलियन डॉलर अगले सात वर्षो में नगद के रुप में तथा 40 बिलियन डॉलर गारंटी के रुप में मुद्रा विनिमय भंडार स्थापित करने पर भी सहमत हुए है। इसका उपयोग सदस्य देशों के द्वारा भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं से निपटने में किया जायेगा।
- इन सभी देशों में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भण्डार वाला देश चीन, मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा योगदान करेगा। ब्राजील भारत रुस में से प्रत्येक देश 18 बिलियन डॉलर का योगदान करेगा जबकि दक्षिण अफ्रीका 5 बिलियन डॉलर का योगदान करेगा।

UPSC 2010

BRICS राष्ट्रों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए

1. चीन का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्तमान मे अन्य तीनों राष्ट्रों की संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा है।
2. चीन की जनसंख्या अन्य किन्हीं भी दो राष्ट्रों की संयुक्त जनसंख्या से ज्यादा है।

उपर्युक्त तथ्यों में कौन सा/से सही है।

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) न ही एक ना ही 2

पूंजी खाते में परिवर्तनीयता

परिभाषा

- पूंजी खाते में परिवर्तनीयता का अर्थ है रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता ताकि पुन: इसका वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सके।
- देशी पूंजीगत निधियों का विदेशी पूंजीगत निधियों में परिवर्तन, बाजार आधारित विनिमय दर पर किया जा सके।
- भारत में चालू खाते में परिवर्तनीयता स्वीकृत है, किंतु पूंजी खाते में परिवर्तनीयता स्वीकृत नहीं है।

पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लाभ

- पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता का प्राथमिक रुप से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ घरेलू परियोजनाओं में पूंजी का तीव्र गति से होने वाला प्रवाह है।
- फार्मों के लिए उधार लेने की लागत कम हो जायेगी।
- विविध प्रकार की मुद्राओं की उपलब्धता उद्योगपतियों और निवेशकों लिए लाभकारी रहेगीं।

पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के नकारात्मक प्रभाव

- बड़ी मात्रा में पूंजी के देश से बाहर निकल जाने पर अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है।
- पूंजी खाते में परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध के कारण ही सन् 2008-09 के वित्तीय संकट का भारत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा था।

VISION IAS

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का पक्ष

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कार्यपालन अधिकारी ने यह सुझाव दिया है कि भारत को पूंजी खाते में परिवर्तनीयता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए ताकि विदेशी निवेशक आसानी से वित्तीय लेन-देन कर सके।
- पूंजी खाते मे परिवर्तनीयता को उदार बनाना ही होगा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकाधिक वैश्विक आयाम ग्रहण करती जा रही है।

इस विषय को इतना बल क्यो ?

- सबसे बड़ा तर्क है कि सभी विकसित देशों में पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता स्वीकृत है। अत: सभी विकासशील देशों को विकास की प्रक्रिया में पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को अपनाना ही होगा।
- पूंजी का मुक्त प्रवाह वैश्विक बचत निधियों का बेहतर और अधिक प्रभावी आवंटन करने में सहायक होता है। वैश्विक बचतों का इस प्रकार अधिक उत्पादक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। विकासशील देशों के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी विश्व पूंजी बाजार तक और अधिक पहुँच हो जाती है। घरेलू बचतों में भी इससे वृद्धि होगी। पूंजी की सीमांत लागत कम होगी निवेश विकास को गति प्राप्त होगी।
- पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता निवेशकों के द्वारा पोर्टफोलियों निवेश के विविधीकरण में भी सहायता करेगी, ऐसा विकसित और विकासशील दोनों देशों में होगा।
- चूंकि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता तभी संभव है, जब राष्ट्र की समग्र समष्ठिगत आर्थिक नीतियाँ सशक्त हो अत: यह राष्ट्रों को समष्ठिगत अर्थव्यस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहने की बात करता है। यदि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति और नीतियाँ सशक्त न हुई तो पूंजी दूसरे बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देशों की ओर पलायन कर सकती है।

इस सन्दर्भ में भारत की स्थिति

- वर्तमान में भारत में चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता स्वीकृत है जैसे आयात-निर्यात आदि क्षेत्रों में ; जबकि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता स्वीकृत नही है। सरकारी ऋणों, और औद्योगिक ऋणों और इक्विटी की सीमा निर्धारित है।

एशियाई वित्तीय संकट से प्राप्त अनुभव

एशियाई वित्तीय संकट से यह स्पष्ट होता है कि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व विकासशील देशों में तीन शर्तें आवश्यक रुप से पूरी होनी चाहिए।

- चालू खाते में संतुलन।
- अल्प विदेशी ऋण।
- मजबूत बैंकिंग व्यवस्था जो कि किसी भी वैश्विक समस्या का सामना करने में सक्षम हो।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त पर भारत अभी खरा नहीं उतरता है।

क्या होना चाहिए

- विदेशी निवेशक अधिकांश हस्तांतरण पर अभी भी पूर्ण परिवर्तनीयता का लाभ उठाते हैं। भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में अधिग्रहण तथा ऋण आदि से सम्बंधित नियमों को सरल बनाया गया है।
- केवल व्यक्तिगत रुप से पूंजी के बहिर्गामी प्रवाह पर रोक लगी हुई है। इस संबंध में क्रमिक रुप से प्रतिबंधों को कम कर पूंजी पर नियंत्रण को समाप्त करना होगा।

पार्टीसिपेटरी-नोट्स के माध्यम से निवेश

भारतीय बाजार में पार्टीसिपेटरी-नोट्स के माध्यम से निवेश, पिछले माह सात वर्षो में सर्वाधिक रहने के पश्चात्, अप्रैल माह के अंत में 2.68 लाख करोड़ (42 बिलियन डॉलर) तक गिर गया।

पार्टीसिपेटरी-नोट्स का प्रयोग विदेशों के एच.एन.आई. (हाई-नेट वर्थ इन्डीविजुअल), हेज फण्ड और विदेशी संस्थाओं द्वारा पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के माध्यम से भारतीय बाजार में निवेश के लिए किया जाता है।

पार्टीसिपेटरी नोट्स क्या है ?

पार्टीसिपेटरी नोट्स विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किया गया वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें निवेश के इच्छुक हेज फण्ड और विदेशी निवेशक निवेश करते है। इसे 'ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट' भी कहते है।

पार्टीसिपेटरी-नोट्स कौन प्राप्त करता है ?

विदेशी संस्थागत निवेशक (F.I.I.) के द्वारा खरीदे गए शेयरों के आधार पर पार्टीसिपेटरी-नोट्स वास्तविक निवेशकों को जारी किए जाते है। विदेशी संस्थागत निवेशक (F.I.I.) उन सभी वित्तीय हस्तांतरणों पर नजर रखता है जो इसकी सूची में स्वामित्व व्यापार की श्रेणी में दर्ज होती है।

वर्चुअल नेटवर्क आपरेटर (V.N.O.)

परिभाषा: वर्चुअल नेटवर्क आपरेटर (V.N.O.) एक ऐसी इकाई होती है, जिसके पास दूरसंचार क्षेत्र में अपना नेटवर्क अथवा आधारभूत ढाँचा नहीं होता, किंतु यह दूसरी दूरसंचार कंपनियों से आधारभूत ढाँचे और नेटवर्क की सुविधाएँ खरीदकर दूरसंचार सुविधाएँ प्रदान करती है।

- V.N.O. ऐसे खुदरा दुकानदार की तरह है जहाँ अलग-अलग कंपनियों की वस्तुओं की बिक्री एक ही छत के नीचे होती है, किंतु उन सब के लिए एक ही बिल बनाया जाता है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने वाले V.N.O. की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

V.N.O. का महत्व

- यह दूरसंचार क्षेत्र में नई इकाइयों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और उपभोक्ता को अधिक विकल्प प्रदान करेगा।
- V.N.O. का मुख्य लक्षण आधारभूत ढाँचे की साझेदारी है। यह सुविधा भारत में दूरसंचार क्षेत्र के द्वारा सामना की जा रही अधिकांश चुनौतियों का हल हो सकती है।
- दूरसंचार प्रदाता ब्रान्डिंग और मार्केटिंग पर बिना खर्च के, उपभो-

VISION IAS

क्ताओं तक शीघ्रता से अपनी पहुँच बना सकेंगे। वहीं V.N.O. बिना किसी बड़े निवेश के दूरसंचार के लिए आवश्यक आधारभूत ढाँचे का प्रयोग कर सकेंगे ।

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के इस निर्णय से फिक्सड लाइन नेटवर्क को पुनर्जीवन मिल सकता है। भारत में कुल दूरसंचार कनेक्शनों में फिक्सड लाइन 2.2 प्रतिशत ही है जबकि चीन में इसका प्रतिशत 20 व संयुक्त राज्य अमेरिका में 43 प्रतिशत है।
- यह कदम फिक्सड लाइन ब्राडबैंड सेवाओं और उच्च गुणवत्ता की ब्रांडबैंड सुविधा के प्रसार की आधारशिला बन सकता है। यह सरकार की 'डिजिटल इंडिया' और 'स्मार्टसिटी' योजना के लिए 'महत्वपूर्ण' है।

प्री डेटरी प्राइसिंग

परिभाषा - प्रीडेटरी प्राइसिंग अथवा अल्प मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण की वह रणनीति है, जहाँ अपने प्रतिस्पर्धी का बाजार से बाहर करने अथवा नए शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी का बाजार में प्रवेश रोकने के लिए, वस्तुओं अथवा सेवाओं की अल्प कीमत निर्धारित की जाती है।

ई-कॉमर्स से संबद्ध मुद्दे

- ऐसी शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं कि ई-कॉमर्स कम्पनियाँ प्रीडेटरी प्राइसिंग अथवा अल्प मूल्य निर्धारण की रणनीति अपना रही है।
- कम्पनी कानून केवल बाजार में शक्शिाली स्थिति वाली कम्पनी को 'प्रीडेटरी प्राइसिंग' से रोकता है। कम प्रभावपूर्ण कम्पनी पर कानूनी दृष्टि से प्रीडेटरी प्राइसिंग संबंधी प्रावधान नहीं लागू होते हैं।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (C.C.I.)उभरते हुए वाणिज्य व्यापार के क्षेत्रों यथा इ-कॉमर्स, इंटरनेट आदि के द्वारा कंपनी कानूनों के उल्लंघन के मामलों पर अधिकाधिक नजर रख रहा है। यद्यपि हाल ही में इसने 5 से अधिक ऑनलाइन खुदरा व्यापार कंपनियों जिसमें फ्लिपकार्ट शामिल है, के खिलाफ कोई साक्ष्य न पाए जाने पर ऐसे आरोपों से मुक्त किया है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडी आई (FDI)

- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 1.76 लाख करोड़ रुपये हो गया हैं वर्ष 2013-14 में देश में 1.26 लाख करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हुआ। यह पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है।
- इण्डस्ट्रियल पालिसी और प्रमोशन विभाग के अनुसार अर्थव्यवस्था के शीर्ष 10 हैं क्षेत्र जिनमें सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, इसमें शामिल है–सेवा, आटोमोबाइल, टेली कम्युनिकेशन कंप्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर तथा फार्मास्युटिकल्स।
- भारत मारिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान तथा अमेरिका आदि देशों से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करता है।
- विदेशी निवेश का पर्याप्त आन्तरिक प्रवाह, भारत के भुगतान संतुलन को पक्ष में बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

भारत का खुदरा व्यापार क्षेत्र

- भारतीय उद्योग परिसंघ (C.I.I.) ने अपनी खुदरा व्यापार से संबंधित रिपोर्ट - 'द इण्डियन रिटेल मेडले' में निम्न पर्यवेक्षण प्रस्तुत किए है।
- भारतीय खुदरा व्यापार वर्तमान में 550 बिलियन डॉलर से चार गुना बढ़कर वर्ष 2025 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर हो जाने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है।
- वर्ष 2015-25 की अवधि में संगठित खुदरा व्यापार 7 गुना और ऑनलाइन व्यापार 26 गुना बढ़ जाएगा। हालांकि तब भी असंगठित खुदरा व्यापार 80 प्रतिशत की भागीदारी के साथ कुल खुदरा व्यापार में प्रभुत्व की स्थिति में ही रहेगा। साथ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से 10-12 मिलियन रोजगार भी सृजित होगा।

विकास के कारण

- भारत की युवा जनसंख्या
- बढ़ती समृद्धि
- बदलती जीवनशैली और खर्च के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण
- छोटे से छोटे शहर में आधारभूत सुविधाओं की भी बढ़ती उपलब्धता

आनलाइन खुदरा व्यापार

- आनलाइन खुदरा व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिसे इंटरनेट के बढ़ते प्रसार से और अधिक मदद मिली है। भारत विश्व का सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाला ई-कॉमर्स बाजार बन चुका है क्योंकि इंटरनेट लोगों की सोच, सम्पर्क और उपभाग में परिवर्तन ला रहा है।
- इंटरनेट अभी 19 प्रतिशत अर्थात 25 करोड़ लोगों तक पहुँचा है जिसके 70 प्रतिशत लोगों तक एक दशक में पहुँचने की संभावना है।

VISION IAS

- ई-कॉमर्स व्यापार में होने वाली तीव्र वृद्धि के मद्देनजर खुदरा व्यापार के वर्ष 2015 में 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 130 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।
- ऑनलाइन खुदरा व व्यवसाय असंगठित क्षेत्र को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से वे श्रेणी-3 और श्रेणी-4 शहरों तक अपनी पहुँच बना सकते है।
- **निष्कर्ष** - रिपोर्ट संगठित, असंगठित और आनलाइन खुदरा क्षेत्र के बीच सशक्त गठबंधन और सहयोग पर जोर देती है। सभी तीनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक साथ उपस्थित रह सकते हैं और एक दूसरे के बाजार का विस्तार कर सकते हैं, यह क्षेत्र इतना व्यापक है कि यह सभी भागीदारों को अपने में समाहित कर सकता है।

नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) इनिशिए-टिव (भारत नेट)

- देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2011 में सरकार ने नेशनल ऑप्टि-कल फाइबर नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दिया गया हैं। यह पर्याप्त बैंड विड्थ के साथ सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। ऐसा वर्तमान में उपलब्ध आर्टिकल फाइबर नेटवर्क का पंचायत स्तर तक प्रसार करके प्राप्त किया जाएगा।
- मार्च 2015 के अंत तक मात्र 20,000 पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी हैं, जबकि लक्ष्य 50,000 पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का रखा गया है।
- परियोजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की आधारशिला है, किंतु यह अपने लक्ष्य से पीछे चल रही है। वस्तु स्थिति को देखते हुए योजना को गति प्रदान करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।

कमेटी के द्वारा की गई संस्तुतियाँ

- जे॰ सत्यनारायन के नेतृत्व में गठित कमेटी ने (N.O.F.S.) को गति प्रदान करने के लिए निम्न संस्तुतियाँ की हैं :-
- समिति की रिपोर्ट में योजना में राज्यों को एवं निजी क्षेत्र को भी साथ शामिल करने का सुझाव दिया गया है, ताकि अपनी निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही योजना के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके।
- राज्यों को परियोजना में शामिल करने से कोष की राशि में भी वृद्धि होगी।
- कमेटी ने योजना का नाम परिवर्तित कर 'भारत नेट' करने की संस्तुति की हैं, जिसे 72,778 करोड़ की लागत से दिसंबर 2017 तक पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (N.P.P.A.)

- औषधि मूल्य विनियामक (N.P.P.A.) के द्वारा दवाओं के 30 संयोजन (फार्मुलेशन पैक) की कीमतें निर्धारित कर दी गई हैं, इसमें क्षयरोग, मधुमेह अस्थमा आदि के उपचार के लिए तथा कुछ एण्टीबायोटिक औषधियाँ शामिल हैं।
- N.P.P.A. ने कुल 680 में से 521 दवा संयोजनों की कीमतें पहले ही निर्धारित कर रखी हैं जो कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (N.L.E.M.) में शामिल है।

संबंधित सूचना

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (N.P.P.A.) सरकारी विनियामक संस्था है, जिसका कार्य भारत में दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण रखना है। प्राधिकरण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रों रसायन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
- N.P.P.A. का गठन 29 अगस्त 1997 को किया गया था इसके पास ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 1995/2013 को प्रवर्तित कराने की शक्ति है।
- इसके पास दवा की उपलब्धता तथा कमी पर निगरानी रखने तथा स्थिति में सुधार के उपाय करने की शक्ति है।
- प्राधिकरण पर दवाओं के आयात-निर्यात दवा कम्पनियों की बाजार में हिस्सेदारी व उनके लाभ संबंधी आंकड़ों के संग्रहण का उत्तरदायित्व भी है।
- इसके द्वारा निर्मित नीतियों के अनुपालन से उत्पन्न हुए कानूनी विवाद भी इसे निपटना होता है।
- यह भारत सरकार को औषधि संबंधी नीति और कीमतों के संबंध में सलाह देता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के क्रियान्वयन की स्थिति

- अब तक मात्र 11 राज्य ही योजना को परिचालित कर पाए है, जबकि 19 राज्य योजना के लिए आवश्यक पूर्व मजबूत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को भी पूरा नहीं कर पाए हैं।

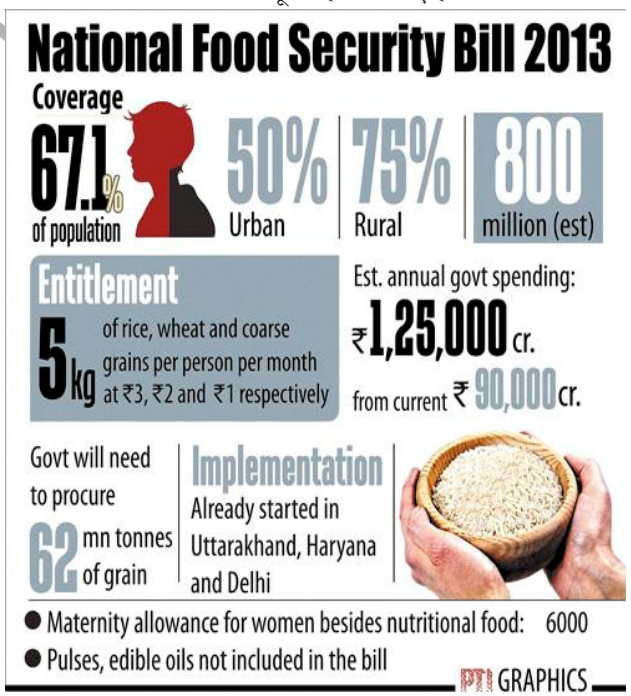

- केन्द्र सरकार के द्वारा इन राज्यों को लाभार्थियों की सूची, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (P.D.S.) के कम्प्यूटरीकरण तथा रणनीतिक स्थानों पर भंडारण सुविधाओं के निर्माण तथा निगरानी समितियों के गठन का कार्य पूरा कर लेने संबंधी समय सीमा को अनेक बार बढ़ाया जा चुका है।

- जिन राज्यों के द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया गया है, उनके द्वारा भी आंशिक रुप से ही इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये राज्य भी अपने हिस्से के सब्सिडी युक्त अनाज प्राप्त करने के लिए पुरानी सूची का प्रयोग कर रहे हैं। दृष्टव्य है कि राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यंत कम कीमत पर अनाज की मात्रा उपलब्ध कराई जाती है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसे सन् 2007 में प्रारंभ किया गया था। 2007-2013 के बीच इसके क्रियान्वयन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C.A.G.) की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C.A.G.) की एक रिपोर्ट हाल ही में संसद में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के हासिल करने के लिए निर्धारित 62 उपयोजनाएं जिन्हें 19 राज्यों में 1,405 करोड़ की लागत से संपन्न किया गया, में कमियों को चिन्हित किया गया है।
- कृषि क्षेत्र की गिरती विकास दर की पृष्ठभूमि में, राज्यों को ग्यारह-वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन की छूट प्रदान की गई ताकि कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों में अधिक विकास दर प्राप्त की जा सके। पुनरीक्षाधीन अवधि में 28 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 30,873 करोड़ रुपये जारी किए गए। किंतु यह खेद का विषय है कि प्रदान की गई कुल राशि में से 2,800 करोड़ रुपये यह खर्च नहीं किए जा सके।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C.A.G.) की रिपोर्ट में ऐसे कई बिंदु है, जहाँ योजना के संभावित लाभ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों तक नहीं पहुँच पाएँ।
- रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत 4,061 परियोजनाएं जो 19 राज्यों से संबंधित है, में से मात्र 2,506 को ही पूरा किया गया। 1,279 में कार्य जारी है, जबकि 85 को क्रियान्वित ही नहीं किया जा सका। 100 परियोजनाएँ रुकी हुई हैं जबकि 90 को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। रुकी हुई परियोजनाओं पर 134.95 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। जिन 393 परियोजनाओं का ऑडिट परीक्षण के लिए चयन किया गया, उनमें से 150 योजनाओं की उपलब्धि असंतोष जनक रही। जबकि 1,404.94 करोड़ रुपये लागत वाली 62 परियोजनाओं से जिनका संबंध 19 राज्यों से है में कमियों को चिन्हित किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C.A.G.) की रिपोर्ट इस तथ्य का भी उद्घाटन करती है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) के 91.24 करोड़ रुपये की राशि को अन्य 9 परियोजनाओं पर खर्च कर दिया गया ।

Your liitle help could make them realise their DREAM

Doctor

Ankush sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Actor

Vandna devi class:3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Engineer

Sadhana devi class:ukg
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Cartoonist

Rupa Devi class :3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Astronaut

Shivam maurya class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Writer

Mona sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Scientist

Akanksha devi class: LKG
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Comedian

Gaurav Kumar class:1
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

To Educationally adopt one of these children visit us at www.globalvillagefoundation.in

सामाजिक एवं स्वास्थ संबंधी मुद्दे

राष्ट्रीय क्षयरोग संशोधित नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन

संयुक्त निगरानी अभियान 2015 के द्वारा, राष्ट्रीय क्षयरोग संशोधित नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक कमियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही यह निगरानी अभियान परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट ट्युबरकुलोसिस (MDR-TB) संकट से प्रभावी ढंग से न निपट पाने की क्षमता पर भी प्रश्न चिह्न लगाता है।

कमियाँ/ अक्षमताएँ

- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (R.N.T.C.P.) के द्वारा ड्रग-रेजिस्टेंट T.B. पहचान कर पाने में असफलता तथा इसकी पहचान के लिए दशकों की पुरानी, असंवेदनशील रुमीयर माइक्रोस्कोपी तकनीक पर निर्भरता।इस कार्यक्रम की आलोचना की गयी है।
- R.N.T.C.P. रोगियों का इलाज उनकी प्रतिरोधी क्षमता के विषय में बिना जानकारी के करता है। T.B. के इलाज के लिए R.N.T.C.P. के अन्तर्गत, सप्ताह में रिफैम्पसिन दवा की तीन खुराक दी जाती है। दवा की यह खुराक रोगी की प्रतिरोध क्षमता को ध्यान में रखे बिना दी जाती है। इस स्थिति में यदि रोगी में दवा के प्रति पहले ही प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान है तो दवा की नई खुराक दिए जाने पर इसके प्रति प्रतिरोधकता और अधिक बढ़ जाती है।
- किसी भी निजी चिकित्सक द्वारा T.B. के रोगियों का उपचार किए जाने पर इससे संबंधी सूचना आवश्यक रुप से R.N.T.C.P. को प्रदान करने का प्रावधान है, किंतु R.N.T.C.P. के अन्तर्गत निजी चिकित्सकों द्वारा T.B. रोगियों के उपचार संबंधी सूचना नहीं प्रदान की गई है, यह अभियान की एक बड़ी असफलता है।
- 2012-17 के दौरान T.B. नियंत्रण इसके निदान उपचार और पहचान के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना एन.एस.पी. बनाई गई। एन.एस.पी. का उद्देश्य निदान और उपचार संबंधी सुविधाओं तक सभी लोगो की समान पहुँच को सुनिश्चित करना है। संयुक्त निगरानी अभियान अपनी रिपोर्ट में यह व्यक्त करता है कि 2012-17 की अवधि में N.S.P. का क्रियान्वयन उपयुक्त ढंग से नहीं किया जा रहा। रोग की पहचान के मामलों की संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। इसके लिए आवश्यक सामग्री के एकत्रीकरण में विलंब हो रहा है। N.S.P. के अन्तर्गत निर्धारित अनेक गतिविधियों को संपन्न नहीं किया जा रहा।

सुझाव और आगे की दिशा

- जहाँ निजी चिकित्सक उपचार के लिए प्रतिदिन दवा की एक खुराक का प्रयोग करते है, वही R.N.T.C.P. के अन्तर्गत सप्ताह में तीन खुराक देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अत: आवश्यक है कि तीन खुराक पद्धति को प्रतिदिन खुराक उपचार प्रणाली में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। इस रुपांतरण को यथाशीघ्र संपन्न कर लिया जाना चाहिए।
- N.S.P. अधिसूचित रोगियों के लिए अपनाई निक्षय व्यवस्था के स्थान पर इ-निक्षय व्यवस्था अपनाने की सलाह देता है।
- T.B. के उपचार का खर्च किसी भी परिवार के कुल वार्षिक खर्च के 39 प्रतिशत तक बढ़ गया है अत: परिवारों के उपचार खर्च में कमी लाने के लिए N.S.P. सरकार को T.B. उपचार के खर्च में सहायता देने और मुफ्त दवा उपलब्ध कराने" का सुझाव देता है।
- J.M.M., T.B. निदान और उपचार औषधियों को, कर के दायरे से बाहर चाहता है। अभियान के अनुसार T.B. को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा के रुप में लिया जाना चाहिए।
- J.M.M. के अनुसार सरकार को राज्य संचालित उत्कृष्ट T.B. नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए जिसके माध्यम से सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के चिकित्सकों द्वारा उपचार किए गए T.B. के मामलों पर सम्पूर्ण निगरानी और नियंत्रण रखा जा सके।

लेबर कोड (संहिता)

- सरकार के द्वारा सभी केन्द्रीय श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करने का निश्चय किया गया है। मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण जैसे प्रत्येक विषय से संबंधित, एक-एक संहिता का सृजन करते हुए 44 श्रम कानूनों को केवल 4 संहिताओं में निहित कर दिया जाएगा।
- औद्योगिक संबंध और मजदूरी से संबंधित 2 ड्राफ्ट कोड़ प्रस्तुत किए जा चुके है जबकि अन्य दो को वर्ष के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

औद्योगिक संबंधों पर ड्राफ्ट कोड

- यह ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इण्डस्ट्रियल एम्प्लायमेंट एक्ट (स्टैण्डिंग ऑर्डर) 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को एकीकृत करने का प्रस्ताव करता है।
- यह 300 से अधिक संख्या वाले फर्मों के कर्मचारियों की छटनी और फर्मों की बंदी संबंधी मानकों को आसान बनाने की स्वीकृति देता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि फर्म द्वारा छटनी अथवा फर्म की बंदी की स्थिति में कर्मचारियों को अधिक क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा राशि मिले।
- यह श्रमिक यूनियन के निर्माण संबंधी प्रावधान को और अधिक कठोर बनाता है। यह स्पष्ट करता है कि श्रमिक यूनियन के निर्माण के लिए किसी फर्म में कार्य करने वाले कुल श्रमिकों की संख्या का 10 प्रतिशत संख्या अथवा कम से कम 100 श्रमिक अनिवार्य होगें।

मजदूरी/ वेतन पर ड्राफ्ट कोड

- यह मजदूरी/वेतन संबंधी 4 श्रम कानूनों को एक साथ मिलाते हुए उनकी एकीकृत परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इन कानूनों में न्यूनतम मजदूरी/वेतन अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, तथा बोनस भुगतान अधिनियम 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 शामिल है।
- यह 'इंसपेक्टर' पद को 'फैसिलिटेटर' पद से प्रतिस्थापित करता है।
- सरकार शीघ्र ही सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण संबंधी ड्राफ्ट कोड प्रस्तुत करेगी।

VISION IAS

कैबिनेट के द्वारा बाल श्रम अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

- सरकार ने बालकों की शिक्षा और देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने को उचित ठहराया है। किंतु सरकार ने यह स्पष्ट किया है सभी प्रावधानों में सुरक्षा संबंधी मानकों का पूरा ध्यान रखते हुए, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे बालक की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े।
- बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम विधेयक, 2012 किसी भी रोजगार में नियोजित होने की आयु-सीमा तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित आयु के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास करता है।
- सरकार के द्वारा, जहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी व्यवसाय या कार्य में नियोजन को निषिद्ध कर दिया गया है, वही इससे संबंधी दो उन्मुक्तियाँ भी अपवाद के रुप में प्रदान की गई है। पारिवारिक उद्योग तथा श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग में बच्चों के कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बशर्ते इससे बच्चे की स्कूली शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े।
- संशोधन ने एक नया पद 'किशोर (एडोलोसेन्ट) 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए जोड़ते हुए, उनके खतरनाक उद्योगों में कार्य करने को लेकर प्रतिबंध लगाता है। वर्तमान कानून 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के खतरनाक उद्योगों एवं गतिविधियों में नियोजन को लेकर कोई रोक नहीं लगाता।

कठोर दंड

- परिवार और संरक्षकों पर कानून के उल्लंघन के लिए पहली बार किसी दंड का प्रावधान नहीं हैं। दूसरी बार अपराध करने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा। मौलिक कानून में परिवार और संरक्षकों को, नियोजनकर्ता के समान ही दंड का भागीदार बनाया गया था। अत: उपर्युक्त प्रस्ताव मौलिक कानून के प्रावधान में परिवर्तन है।
- बालश्रम के मामलों में सजा एक उदाहरण के रुप में प्रस्तुत हो, इसके लिए किसी नियोजक द्वारा बच्चे या किशोर को नियोजित किए जाने के अपराध को संज्ञेय बनाया गया है। नियोक्ता के पहली बार किसी बच्चे या किशोर को रोजगार में लगाने के लिए कारावास की सजा दी जा सकेगी। 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास के साथ ही 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जायेगा। मौलिक कानून में 3 माह से 1 वर्ष का कारावास तथा 10,000 से 20,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। दूसरी बार अपराध करने की स्थिति में न्यूनतम कारावास 1 वर्ष तक का है, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया सकेगा। अब तक इसमें 6 माह से 2 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान था।

संशोधन की आलोचना

- अल्प वयस्क लोगों को गैर खतरनाक पारिवारिक उद्योगों तथा दृश्य-श्रव्य मनोरंजन उद्योग में कार्य करने की स्वीकृति देना, वस्तुस्थिति के 'गलत पूर्वानुमान और गलत सुझावों' पर आधारित है। यह केन्द्र की बालश्रम के पूर्ण उन्मूलन की घोषित नीति की भावना के भी विरुद्ध है।
- बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि पारिवारिक उद्योग की परिभाषा में माचिस उद्योग, कालीन उद्योग रत्न पॉलिश उद्योग आते हैं, जहाँ बाल श्रमिकों की सर्वाधिक मांग है।
- पारिवारिक उद्योग असंगठित क्षेत्र हैं उसे एकीकृत वैधानिक इकाई के रुप में मानना, इस क्षेत्र में किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया के लागू करने को मुश्किल बना देगा। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, बालिकाओं के लिए और अधिक विषम स्थिति का निर्माण करेगा। भारतीय परिस्थितियों में उन्हें ही घरेलू कार्यों में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले बालकों की दशा और भी अधिक दयनीय होने की संभावना है। संभवत: बाल्यवस्था संबंधी किसी भी अधिकार से वे पूर्णत: वंचित कर दिए जाएं।
- 1986 के अधिनियम में परिवर्तनों की नहीं अपितु व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। एक ऐसे प्रावधान की आवश्यकता है, जिसमें खतरनाक कार्य दशाओं से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया हो। साथ ही खतरनाक दशाओं में मुक्त कराये गए बच्चों के पुनर्वास उनकी रक्षा और स्कूली शिक्षा के प्रावधान को संबंद्ध करने वाले प्रयासों की आवश्यकता है। बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में सभी मंत्रालयों और संगठनों के बीच समन्वय से इस कार्य को संपन्न किया जा सकता है।

भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) के द्वारा निर्धारित लक्ष्य से पिछड़ा

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) के 2015 के वार्षिक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के अनुसार सहस्राब्दी लक्ष्यों विकास के तहत निर्धारित दस लक्ष्यों में से भारत केवल चार में ही निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर पाया है एवं अन्य बचे हुए क्षेत्रों के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं प्रदर्शित हुई है।

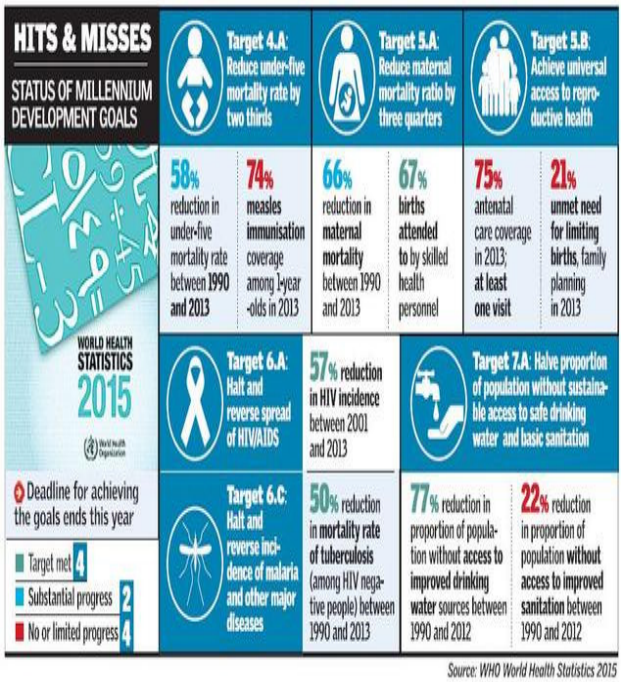

Source: WHO World Health Statistics 2015

VISION IAS

- भारत में 1990 से 2013 के बीच जीवन प्रत्याशा में 8 वर्ष का सुधार हुआ है।
- यद्यपि भारत में शिशु मृत्यु दर तेजी से घटी है, परन्तु अब भी विश्व में होने वाली शिशुओं की कुल मृत्यु के संदर्भ यह सर्वाधिक संख्या वाले देश के रूप मे भागीदारी करता है।
- असंक्रामक रोग (NCD) मृत्यु के सबसे बड़े कारण हैं, जबकि मृत्यु की वजहों से संक्रामक रोगों का स्थान दूसरा है।

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (C.B.C.S.)

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के द्वारा प्रस्तुत योजना जिसे च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के नाम से जाना जाता है।
- चूंकि च्वाइस बेस्ड क्रडिट सिस्टम 'कैफेटेरिया' दृष्टिकोण पर आधारित है।इस व्यवस्था के अनुसार आप अपनी सुविधा के पाठ्यक्रम का चयन अपनी सुविधा के स्थान पर कर सकते हैं। अतिरिक्त पाठ्यक्रम का चयन सुविधानुसार करके छात्र अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। अत: इस प्रकार की व्यवस्था बदलते परिवेश में वांछित सिद्ध हो सकती है।
- ग्रेडिंग व्यवस्था, विद्यार्थियों की एक संस्थान से दूसरे संस्थान में गतिशीलता को प्रोत्साहन देती है। इस व्यवस्था से किसी भी देश में रहकर अपने पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है। अत: रोजगार प्रदाता रोजगार प्रदान करने से पूर्व आसानी से विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस रुप में व्यवस्था अपने स्वरुप में लचीली क्रियाविधि प्रस्तावित करती है, अत: वर्तमान संदर्भों में यह बेहतर और वांछनीय सिद्ध हो सकती है।
- नई व्यवस्था सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यक्रम ,उभयनिष्ठ परीक्षा केन्द्र, साझे शिक्षक व क्रेडिट ट्रांसफर व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है।

(C.B.C.S.) का विरोध

- कुछ लोगों की मान्यता है कि इस कार्यक्रम को बढ़ावा, एकेडमिक विद्वानों और शिक्षकों से परिचर्चा के बिना जल्दबाजी में दिया जा रहा है।
- एक उभयनिष्ठ पाठ्यक्रम न ही वांछित है न ही संभाव्य। ऐसा पाठ्यक्रम सृजनात्मकता को समाप्त कर देगा। निम्न स्तरीय मानकों का निर्धारण करेगा ताकि उभयनिष्ठ पाठ्यक्रम व्यवस्था से इसकी संगति बैठायी जा सके।
- एक ऐसी विश्वविद्यालयी व्यवस्था आवश्यक है जो विविधता और विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दे।शुष्क एकरुपता को बढ़ावा देने वाली केन्द्रीकृत व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के समग्र विकास से तर्कसंगत नहीं है।
- शीर्ष विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर प्रभावित होगा।
- विश्वविद्यालय स्वायत्त नहीं रह जाएगा।
- 'अन्तर विश्वविद्यालयी गतिशीलता' सुविधा का प्रयोग नकारात्मक दंड व्यवस्था के रुप में किया जा सकता है। विशेष रुप से उस सन्दर्भ में जब विद्यार्थी और शिक्षक जारी व्यवस्था के विपरीत विचार रखते हो है और कार्य संपन्न करते हों।

व्यवस्था के पक्ष में तर्क

- रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
- दक्षता/कौशल विकास।
- विद्यार्थियों के लिए राष्ट्र व्यापी आसान गतिशीलता।

निष्कर्ष

- ऐसा प्रतीत होता है कि च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। व्यवस्था पाठ्यक्रम में नवाचारों को हतोत्साहित भी कर सकती है। अत: वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन के पूर्व सतर्क दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

विश्व शिक्षा मंच 2015

- विश्व शिक्षा मंच 2015 का आयोजन, दक्षिण कोरिया के बंदरगाह शहर इंचियोन में किया गया। शिक्षा मंच में शिक्षा विकास के भविष्यगामी लक्ष्यों के संबंध में घोषणा पत्र स्वीकृत किया गया।
- इससे पूर्व शिक्षा मंच का आयोजन वर्ष 2000 मे डकार में किया गया था। जहाँ 6 उद्देश्यों को स्वीकृत किया गया था।
- इन सभी लक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य, वर्ष 2015 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच को सुनिश्चित करना था। लक्ष्यों के निर्धारिण के 15 वर्षो के उपरांत भी हम इनसे कोसो दूर हैं।

इचियान घोषणा

- घोषणा, शिक्षा वर्ष 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (FFA) के अनुरुप क्रियान्वित की जाएगी।2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन(FFA), सतत् विकास लक्ष्यों के चौथे लक्ष्य को निर्धारित करता है। यह शिक्षा सम्बंधित शताब्दी विकास लक्ष्यों और सबके लिए शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य, जिनकी समय सीमा 2015 में समाप्त हो रही है का स्थान लेगा।
- 'शिक्षा का अधिकार मानव का मूल मानवाधिकार है। इंचियान घोषणा इस लक्ष्य को दोहराती है। घोषणा स्पष्ट करती है कि शिक्षा के अधिकार का संबंध सामान्य जनता के हित से है। यह अधिकार सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितिकीय न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
- उद्घोषणा स्पष्ट करती है कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।
- उदघोषणा सार्वजनिक कोष से सभी के लिए बारह वर्षों की गुण-वत्तापूर्ण, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। घोषणा, इसके लिए वर्ष 2030 की समय सीमा का उल्लेख करती है। दृष्टव्य है कि यह 12 वर्षो में से 9 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता पर बल देती है।
- शिक्षा के अधिकार के अन्य महत्वपूर्ण घटकों में शामिल है:
- इसमें पहुँच की सुनिश्चितता और समानता के मुद्दो पर ध्यान दिया गया है। मुख्यत: लैगिंक समानता जैसे मुद्दे का सबके लिए शिक्षा के अधिकार के सन्दर्भ में ध्यान रखा जाना चाहिए।
- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्ति के साथ यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सार्थक उद्देश्य हासिल किए जा सके।

VISION IAS

इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक जिन्हें शिक्षण संबंधित बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उपलब्ध होने चाहिए।

- यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय सरकारें अंतर्राष्ट्रीय व्यय मानक, सकल घरेलू उत्पाद का 4-6% और कुल सार्वजनिक व्यय का 15-20% शिक्षा पर व्यय निर्धारित करें।

सार्वभौम शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग की चुनौतियाँ

- वर्तमान में कुल वैश्विक सहायता का 4% ही शिक्षा को प्रदान किया जाता है। विश्व के प्रत्येक बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए 22 बिलियन डॉलर की आवश्कता है जो राष्ट्रों के 4 दिनों के सैनिक व्यय के बराबर है।
- वर्तमान मे दुनिया विश्व को 1.45 करोड़ प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि दुनिया स्कूलों को सक्षम बनाने की अपेक्षा सैनिक किलेबंदी में व्यस्त है।
- शिक्षा को समावेशी और समतापूर्ण बनाना महत्वपूर्ण चुनौती है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा शिक्षा को एक व्यवसाय का रुप दे दिया गया है जो कि कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन गई है। यह एक मानव अधिकार न रहकर खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु बनकर रह गई है। 'ज्ञान में अलगाव' पहले से ही वंचित लोगों को और अधिक दयनीय अवस्था में लाकर सामाजिक अशांति को जन्म देगा। कोई देश शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक न्याय प्रदान किए बना विकास नहीं कर सकता।

निष्कर्ष

- शिक्षा के समान अवसर और सामाजिक न्याय के बिना कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। शिक्षा का अधिकार अन्य अधिकारों की कुंजी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) : लेखा-जोखा

- ग्रामीण स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया। इसके प्रारंभ किए जाने के 10 वर्षों के उपरांत भी योजना आवश्यक कार्य-शक्ति और आधारभूत ढाँचे की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इसका बहुत हद तक कारण सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) का मात्र 1 प्रतिशत खर्च किया जाना है। दृष्टव्य है कि अमेरिका अपनी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 18 प्रतिशत तथा इंग्लैंड कुल सकल घरेलू उत्पाद का 9.12% खर्च करता है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 70,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य पर व्यय किए गए जबकि योजना के प्रारुप-पत्र में इसे 2,68,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।
- स्वास्थ्य खर्च में कटौती का स्वभाविक प्रभाव वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत ढांचे पर भी पड़ा है।
- एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) के द्वारा 20,000-30,000 मामलों के देखे जाने की अपेक्षा है, किंतु यह वर्ष 2014 में 25,020 पी.एच.सी. के द्वारा औसतन 33,323 मामलों को देखा गया।
- एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) के द्वारा 80,000-1,20,000 मामलों को देखे जाने की अपेक्षा है जबकि वास्तव में 5,363 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) के द्वारा मामले देखे जाने का औसत 1,55,463 रहा है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजीशियन और सर्जन की 70-80 प्रतिशत तक की कमी है।

WHAT IT PLANNED, WHAT IT BUILT

CENTRES	TARGET	IN PLACE	SHORTFALL
Sub-centres	1.79 lakh	1.52 lakh	20%
Primary Health	29,337	25,020	23%
Community Health	7,322	5,363	32%

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी। किन्तु इसे शहरी क्षेत्रों तक भी विस्तारित कर दिया गया। अत: योजना का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान कर दिया गया। योजना सार्वभौम स्वास्थ्य की प्रारंभिक अनिवार्य शर्त, मुफ्त जेनेटिक दवाओं की सबके लिए उपलब्धता को भी पूरा नहीं कर पाई।

कैंसर की महामारी

- "द ग्लोबल वॉर्डेन आफ कैंसर 2013" एक अध्ययन में प्रकट महत्वपूर्ण तथ्य।

THE GIANT KILLER

Cancer is the second leading cause of death globally

NUMBER OF NEW CANCER CASES

	WORLD	INDIA
1990	85,10,588	6,24,132
2013	1,49,42,583	11,70,071

COMMON CANCERS IN INDIA

MEN	WOMEN
Mouth cancer 84,782	Breast cancer 1,51,304
Other neoplasms 52,454	Cervical cancer 88,419
Lung cancer 49,494	Other neoplasms 55,273

VISION

वैश्विक आंकडें

- पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर 2,93,000 मरीजों की मौत का कारण और 1.4 मिलियन नए कैंसर मामलों का कारण है।
- महिलाओं में स्तन कैंसर 4,64,000 मरीजों की मौत का कारण और 1.8 मिलियन नए मामलों का कारण है।

भारत संबंधी आंकड़ें

- पिछले दशक में कैंसर के मामलों में वृद्धि हुई है यद्यपि मृत्यु दर में गिरावट हुई है।
- महिलाओं में स्तन कैंसर के मामलों में तीव्र वृद्धि हो रही है तथा कैंसर से होने वाली कुल मौतों मे सर्वाधिक संख्या स्तन कैंसर से प्रभावित लोगों की है। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है तथा फेफड़ों में कैंसर से प्रभावित मौतों में कैसर पीड़ित पुरुषों की संख्या सर्वाधिक रही है।

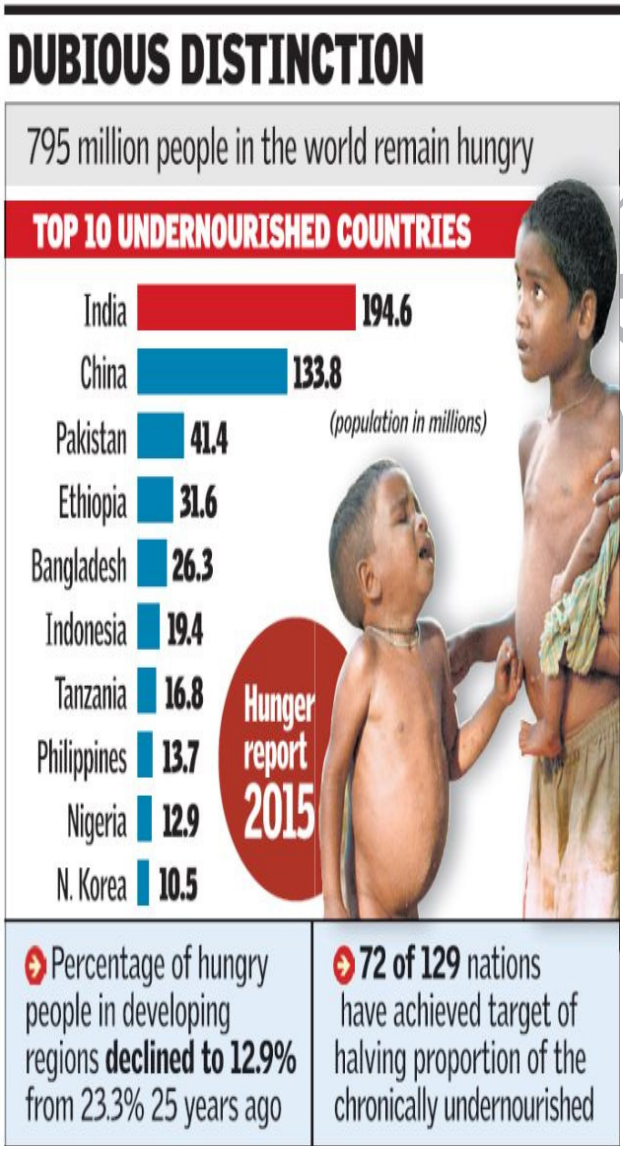

- भारत में कैंसर के मामलों की संख्या वैश्विक औसत से कम रही है। वैश्विक औसत के आधे के बराबर ही प्रतिवर्ष नए मामले भारत में दर्ज किये जाते हैं। यद्यपि प्रति मिलियन दर्ज होने वाले मामलों की संख्या 700 से बढ़कर 1000 हो गई है।
- विश्व में भूखे लोगों की सूची में भारत शीर्ष पर है ।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था (F.A.O.) के अनुसार भारत में अल्पपोषित लोगों की सर्वाधिक संख्या पायी जाती है भारत की कुल संख्या मे लगभग 15 प्रतिशत लोग कुपोषित हैं। कुपोषित लोगों की यह संख्या और कुल जनसंख्या में इनका अनुपात दोनों ही मामलों में यह चीन से अधिक है।

भारत संबंधी तथ्य

- भारत में ऊँची विकास दर, खाद्य पदार्थों की कुल खपत में वृद्धि के रूप में रुपांतरित नहीं हुई है। वस्तुस्थिति संकेत करती है कि गरीब और भूखे लोग विकास प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं।
- रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि विकास प्रक्रिया समावेशी नहीं रह गई है।
- विकासशील देशों में कुपोषित लोगों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास दर को और अधिक किया जा सकता है।
- यह तथ्य राहत देने वाला है कि भारत में 1990-92 की कुपोषित लोगो की संख्या में 36 प्रतिशत की गिरावट आई है । खाद्य वितरण व्यवस्था के विस्तार ने कुपोषित लोगों की संख्या कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

समूचे

- समूचें विश्व में 9 में से 1 व्यक्ति कुपोषित है तथा इनकी कुल संख्या 795 मिलियन है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र, कुपोषितों की कुल संख्या का 62 प्रतिशत धारित करते है। 1990-92 में ऐसे लोगों की संख्या 1 बिलियन थी जोकि 2014-15 में गिरकर 795 मिलियन रह गई। पूर्वी एशिया में विशेष रुप से चीन में, कुपोषित लोगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई है। (1990-92 में 18.6% से 2014-15 में 10.9%)।
- आंकड़ों के अनुसार मानक से कम वजन वाले बच्चों की संख्या 1990-92 के 49.2 प्रतिशत से गिरकर 2013 में 30 प्रतिशत रह गई। दक्षिण एशिया ऐतिहासिक रुप से कम वजन वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाला क्षेत्र रहा है, यहाँ भी कुपोषित बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
- सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के तहत निर्धारित कुपोषित बच्चों की संख्या पर पूरी तरह नियंत्रण पाने का लक्ष्य रखा गया है। 129 राष्ट्र जिनकी निगरानी (FAO) द्वारा की गई उनमें से 72 राष्ट्रों ने इसे प्राप्त कर लिया हैं। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में वर्ष 2015 तक कुपोषण की समस्या पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समग्र रुप से विकासशील देश अपने लक्ष्य से कुछ ही पीछे रह गए हैं।
- समग्र रुप से आर्थिक विकास, कृषि निवेश, सामाजिक संरक्षण और राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करके भूख की समस्या का पूरी तरह उन्मूलन किया जा सकता है।

VISION IAS

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

सैगा हिरण

सैगा संकटग्रस्त मृग की एक प्रजाती है। यह मूलत: यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अधिकांशत: के स्टेपी क्षेत्रों में तथा इससे सटे रुस और मंगोलिया के क्षेत्रों में पाया जाता है।

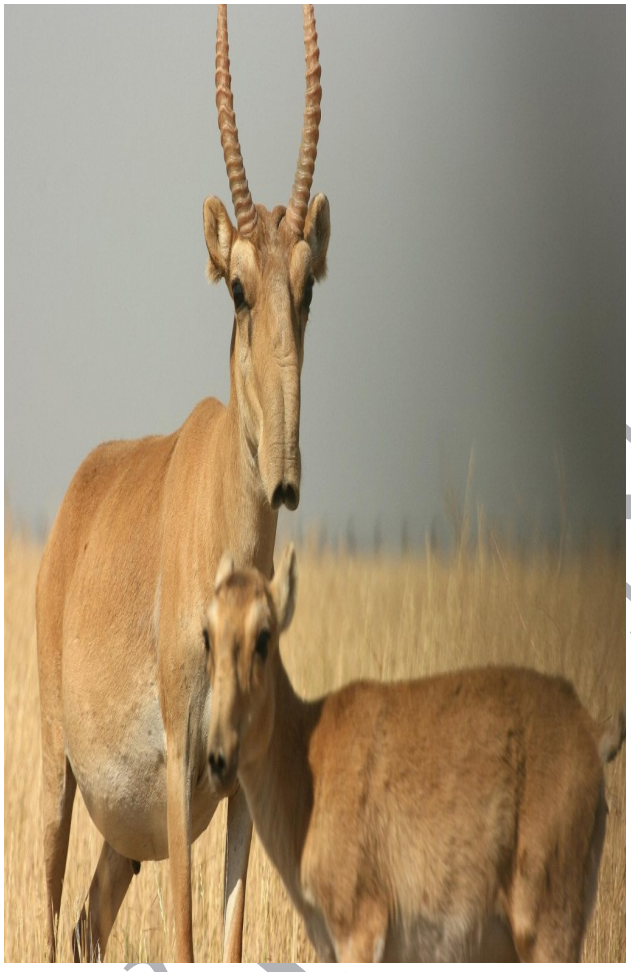

चर्चा में क्यों ? मई 2015 में एक रहस्यमयी बीमारी से अचानक इनकी बड़ी संख्या में मृत्यु होने लगी। रहस्यमयी महामारी के पास्टेरियोलिसिस होने की शंका व्यक्त की जा रही है। एक बार संक्रमित हो जाने पर पूरे समूह की मृत्यु की 100 प्रतिशत संभावना है। इस प्रजाति की कुल संख्या के 40 प्रतिशत हिरणों की मृत्यु हो चुकी है। कुल 2,50,000 की संख्या में से 1,20,000 के मृत शरीर के अवशेष प्राप्त हो चुके है।

भारतीय पैंगोलिन

मोटी पूँछ वाली भारतीय पैंगोलिन, पैंगोलिन की संकटग्रस्त प्रजाति है जो भारत, नेपाल और श्रीलंका के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक स्तनपायी, कीटभक्षी जीव है। यह चींटियों और दीमकों को अपना आहार बनाता है। यह बाघ आदि के द्वारा हमले की स्थिति में अपने शरीर को मोड़ कर गेंद का आकार धारण कर लेता है।

चर्चा में क्यों ? मैरीन इंजीनियरों को भारतीय पैंगोलिन के चीन में की जाने वाली वाली अवैध स्मगलिंग की गतिविधि में पकड़ा गया है।

इन साइट (In Sight) – इंटीरियर एक्सप्लारेशन यूजिंग सीस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियाडेसी एण्ड हीट ट्रांसपोर्ट, नासा द्वारा मार्च 2016 में मंगल गृह पर भेजा जाने वाला विशिष्ट लैण्डर है। यह लाल ग्रह पर गहराई तक आन्तरिक संरचना का पता लगाएगा। इसका उपयोग पृथ्वी समेत सभी चट्टानी संरचना वाले ग्रहों के उद्भव व विकास का पता लगाना है।

इन साइट लैण्डर पहला अभियान है जिसे मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए निर्मित किया गया है।

गिर में शेरों की जनगणना

2010	2015	% विकासदल	संस्था में वृद्धि
411	523	27%	109%

- यह एशियाई शेरों की विश्व भर में जंगलों में निवास करने वाली कुल संख्या है। आई. यू .सी .एन. के द्वारा इसे संकट ग्रस्त घोषित किया गया है।

गिर के शेरों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास

- मालधारी समुदाय के सदस्य जो गिर के जंगली क्षेत्र के सर्वाधिक निकट निवास करते है, का शेरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने वन विभाग का संरक्षण कार्य में व्यापक सहयोग प्रदान किया है।
- एक सरकारी योजना के अनुसार 300 वन्य प्राणी साथियों की भर्ती की गई है। ऐसा करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शेरों के भटक कर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच जाने पर उन पर आक्रमण ना किया जाये।

गिर वन में शेरों की संख्या में वृद्धि: विश्व भर में बड़े जानवरों की संख्या घटनें के बावजूद भारत में शेरों की संख्या में 27% वृद्धि हुई है। शेरों की

LIONS SHARE GOOD NEWS: BABY BOOM IN GIR FOREST

Going against the global trend of depleting numbers of big cats, the population of Asiatic lions in the Gir Forests has increased by **27%** in 5 years

523 ASIATIC LIONS in the forest, according to the recent survey

This includes

109	201	213
lions	lioness	cubs

411 was the total population of the big cats in 2010, according to the population estimate

"We have registered a robust growth in lion population, which was 411 in 2010 and now reached 523."
ANANDIBEN PATEL, Gujrat chief minister

THE KING OF THE FOREST

FOUND ONLY IN GUJARAT for more than a century now, Asiatic lions are spread on an approximately 22,000 sqkm that span eight districts of Saurashtra region in the state

THE MAJESTIC ANIMAL was once present in much of North India but since 1880, it became confined to only Gir forest in Gujarat.

संख्या में संतोषजनक वृद्धि हुई है। यह 2010 के 411 से बढ़कर 523 हो गई है।

गिर वन में नवीनतम सर्वेक्षण में 523 शेर पाए गए।

एशियाई शेर

1. केवल गुजरात में पाया जाता है। 22000 वर्ग किमी. के सौराष्ट्र क्षेत्र में।

यह शाही पशु पहले उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में पाया जाता था किन्तु अब यह गुजरात के सीमित क्षेत्र में पाया जाता है।

हीटवेव (ताप लहर)

परिभाषा: हीट वेव, उमस के साथ गर्म मौसम के लंबे समय तक बने रहने की मौसमी दशा का नाम है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार यदि पाँच या अधिक दिनों तक तापमान, दैनिक अधिकतम तापमान से 5°C अधिक बना रहे तो इसे हीट वेव कहा जाना चाहिए। 1961-1990 का समय सामान्य मौसमी दशा वाला रहा है।

हीट वेव के कारण

- हीट वेव की दशा, किसी स्थान पर तब निर्मित होती है, जब वहां

उच्च वायुमंडलीय दाब का विकास हो जाता है इस प्रकार के उच्च दबाव वाले तंत्र में वायु वायुमंडल के ऊपरी स्तरों से धरातल की ओर विस्थापित कर दी जाती है, जहाँ यह धरातल के संपर्क में आकर और संपीडित होकर और अधिक गर्म हो जाती है।

- उच्च वायुमंडलीय दाब संकेन्द्रण किसी अन्य मौसमी तंत्र के आगमन को रोकता है। यही कारण है कि ऐसी मौसमी दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जितने अधिक समय तक किसी क्षेत्र में ऐसा मौसमी तंत्र कायम रहता है, क्षेत्र उतना ही अधिक गर्म होता जाता है।

KILLER SCORCHERS

		Year	Estimated deaths
1	Europe	2003	71,310
2	Russia	2010	55,736
3	Europe	2006	3,418
4	India	1998	2,541
5	**India**	**2015**	**2,000+**
6	US, Canada	1936	1,693
7	US	1980	1,260
8	India	2003	1,210
9	India	2002	1,030
10	Greece, Turkey	1987	1,030

Source: EM-DAT, CERD, Brussels

- उच्च वायुमंडलीय दाब, हवा के प्रवाह को रोकता है और वायु की उपस्थिति महसूस नहीं होने देता है। उच्च वायुमंडलीय दाब बादलों के आगमन को भी क्षेत्र में आने से बाधित करता है। अत: सूर्य का प्रकाश भी तकलीफ देह लगता है और यह वायुमंडल को और अधिक गर्म कर देता है।
- इन सभी मौसमी दशाओं का संयोजन वायुमंडल को अत्यधिक गर्म कर देता है, जिसे हम हीट वेव के नाम से जानते है। सबसे खतरनाक हीटवेव भारत में 1998 में दर्ज की गई थी जिसमें 2,541 लोगों की मृत्यु हो गई थी। विश्व में सर्वाधिक खतरनाक हीटवेव यूरोप में आई थी, जिसमें 71,310 लोग मारे गये थे।

न्यू होराइजंस

यह नासा द्वारा निर्मित स्पेस प्रोब है जिसे बौने ग्रह प्लूटो, इसके उपग्रहों तथा कूपर बेल्ट में स्थित कुछ अन्य पिंडों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया है। अंतरिक्ष यान के 14 जुलाई 2015 को प्लूटो तंत्र के निकट से गुजरने की संभावना है। यह बौने ग्रह प्लूटो और उसके ज्ञात पाँच चंद्रमाओं की सतह के अध्ययन के साथ, वलय व्यवस्था के बारे में भी पता लगाएगा।

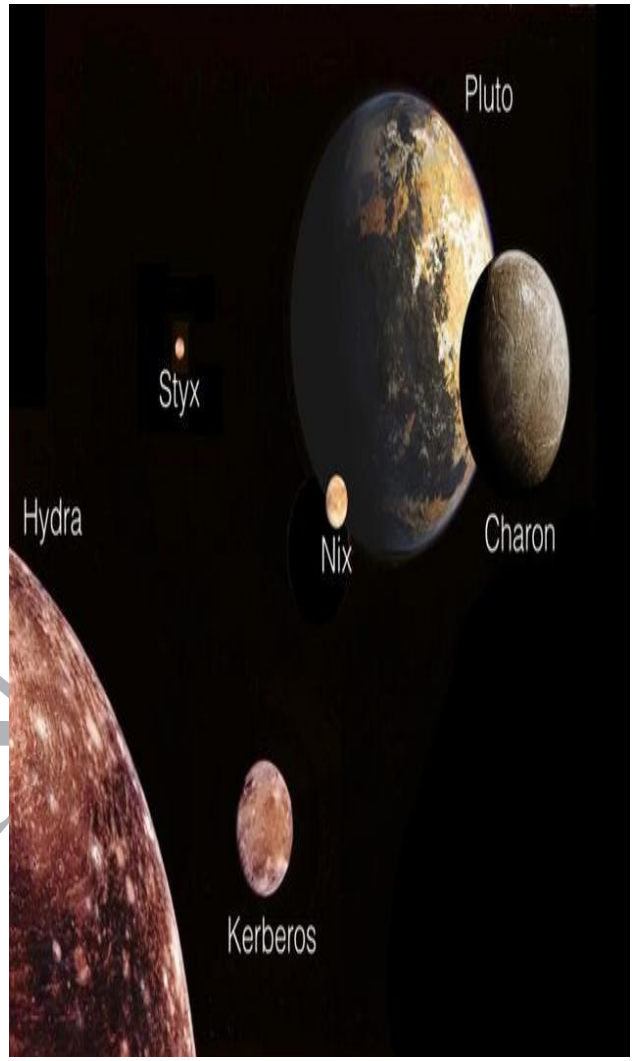

- वोयेजेर 2 अंतरिक्ष यान को नेपच्यून और इसके बर्फीले चन्द्रमा ट्राइटन के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। इस प्रथम उड़ान के 25 वर्षों बाद नासा का न्यु होराइजंस प्रोब मिशन संचालित किया गया ।इस अभियान के अन्तर्गत यान नेप्टयून की कक्षा से गुजरा।

प्लूटो के चन्द्रमा

- चेरोन, निक्स, हायड्रा करबेरोस और स्टिक्स नेपच्यून के पांच ज्ञात चन्द्रमा हैं।

कूपर बेल्ट

- कूपर बेल्ट जिसे कई बार एड्जवार्थ बेल्ट भी कहते है, ग्रहों की सीमा से परे सौर मंडल का क्षेत्र है। यह नेपच्यून की कक्षा से 30 AU की दूरी पर तथा सूर्य से 50 AU की दूरी पर यह क्षेत्र स्थित है।
- एस्ट्रोनोमिकल यूनिट (ए.यू.) लम्बाई का मात्रक है, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी के लगभग बराबर है।

भौंरा (बम्बलबीज)

- भारत मे भौंरे की ज्ञात 250 प्रजातियों में से 48 प्रजातियां पायी जाती हैं। यह उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में वनस्पतियों के परागण का एक मात्र माध्यम है।
- भौंरे सामान्यत: 2000 से 15000 फीट की ऊँचाई पर जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड राज्यो में पाए जाते हैं।

सामाजिक कीट

- मधुमक्खियों की भांति भौंरे भी सामाजिक कीट है जो कालोनियों में रहते हैं।
- कालोनी की संस्थापक रानी होती है जो समूचे शीतकाल में सुप्तावस्था (हाइबरनेशन) में रहती है।

चर्चा में क्यों ? जुलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के शतवार्षिकी समारोह में 'इण्डियन बम्बलबीज' नाम की पुस्तक का अनावरण किया गया।

महत्वपूर्ण क्यों ? हाइबरनेशन, उच्च अक्षांशों में परागण के लिए।

UPSC 2014

निम्न पर विचार करें

(1) चमगादड़ (2) भालू (3) चूहा

उपर्युक्त प्रकार के पशुओं में हाइबरनेशन (शीतनिद्रा) की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है?

(a) 1 और 2 केवल

(b) केवल 2

(c) 1, 2 और 3

(d) उपर्युक्त में किसी में भी हाइबरनेशन (शीत निद्रा) का निरीक्षण नहीं किया जा सकता।

व्हिटले पुरस्कार

व्हिटले पुरस्कार वार्षिक रुप से व्हिटले फंड फॉर नेचर (WFN) कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किये जाते हैं। पुरस्कार का उद्देश्य विश्व भर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावपूर्ण संरक्षक नेतृत्व को पहचान देना और उनके प्रयासों की समारोहपूर्वक सराहना करना है।

- इस पुरस्कार के तहत 30,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है (सन् 2007)। वर्तमान में यह पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण पुरस्कारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। जिसे 'ग्रीन आस्कर' के नाम से जाना जाता है। वन्य जीवन संरक्षण के लिए दो भारतीयों को व्हिटले पुरस्कार प्रदान किया गया है।

डा. आनंद कुमार दक्षिण भारत में मनुष्य और हाथियों के बीच संप्रेषण की अनोखी पद्धति का प्रयोग करने के लिए।

डा. प्रमोद पाटिल - थार डेजर्ट में प्रसिद्ध 'ग्रेट इडियन बस्टर्ड' के संरक्षण कार्य के लिए।

मैसेन्जर (MESSENGER) मर्करी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जिओ केमेस्ट्री एण्ड रेजिंग, स्पेस क्राफ्ट

मैसेन्जर (मर्करी सरफेस स्पेस एनवायरमेंट जिओ केमेस्ट्री एण्ड रेजिंग) नासा का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जिसने बुध की कक्षा में वर्ष 2011 से 2015 के बीच चक्कर लगाया।

- नासा का मैसेन्जर अंतरिक्षयान सन् 2004 में प्रक्षेपित किया गया था जिसने वर्ष 2011 मे बुध की कक्षा में प्रवेश किया और परिभ्रमण से करना प्रारंभ किया।
- अतंरिक्षयान 11 वर्षो के ऐतिहासिक अभियान के बाद बुध की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। अंतरिक्षयान के द्वारा ग्रह के हजारों महत्वपूर्ण चित्र और आंकड़ें संप्रेषित किए गए। इसने कुल 4 वर्षों तक बुध की कक्षा में परिभ्रमण किया।

अभियान से प्राप्त जानकारी

- इसका उद्देश्य बुध की रासायनिक संरचना, भूसंरचना और चुम्बकीय क्षेत्र का अध्ययन करना था।
- बुध का चुम्बकीय क्षेत्र उपग्रह के केन्द्र से उत्तर की ओर खिसक रहा है।
- भूतकाल में ग्रह की सतह पर संपन्न हुई ज्वालामुखी गतिविधियों के संबंध मे जानकारी प्राप्त हुई।
- बुध के उत्तरी ध्रुव में स्थित क्रेटर में जलीय बर्फ और कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति।
- बुध के उत्तरी ध्रुव का बेहद करीबी छायाचित्रों को लेने में सफल रहा। बुध की धरातलीय संरचना और बर्फ से ढके क्रेटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की।

भूमंडलीय तापन का प्रभाव

- नए शोध अध्ययनों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और भू-मंडलीय तापन के कारण प्रत्येक प्रजातियों 6 में से एक प्रजाति के लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।

कारण

- जलवायु परिवर्तन के परिणाम तुरंत नहीं दिखाई पड़ते हैं। लंबे समय में जब प्रजातियाँ नया अधिवास नहीं ढूंढ पाती हैं तो वे विलुप्ति की कगार पर पहुँचने लगती हैं।
- संभव है कि ऐसी प्रजातियों के लिए केवल इतना छोटा क्षेत्र आवास के रुप में बचे जो ऐसी प्रजाति के अस्तित्व में बने रहने के लिए उपर्युक्त न हो अथवा उनका आवास पूरी तरह ही समाप्त हो जाए।
- कुछ पौधे और पशु अत्यंत धीमी गति से विविध क्षेत्रों में अपना विस्तार करते हैं। अत: तेजी से बढ़ता तापमान उनके प्रसार को विस्तारित होने से पूर्व ही बाधित कर उनके अस्तित्व को संकट उत्पन्न कर सकता है। यह भी संभव है प्रजातियाँ और उनकी आने वाली संततिया इसके पूर्व की वे नया अधिवास ढूँढे पाने से पूर्व ही नष्ट हो जाए।

एस्ट्रोसैट (ASTROSAT)

चर्चा में क्यो: एस्ट्रोसैट का एकीकरण पूर्ण हो चुका है और इसका अंतिम परीक्षण जारी है।

VISION IAS

एस्ट्रोसैट क्या है? यह खगोल विज्ञान को पूर्णत: समर्पित भारतीय उपग्रह है जिसे P.S.L.V. के माध्यम से अक्टूबर 2015 में प्रक्षेपित किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएँ -

- यह भारत का मल्टी वेव लैंथ खगोलिकी अभियान है जो अंतरिक्ष का विभिन्न आवृत्ति एवं तरंग दैध्र्य (पराबैंगनी से लेकर दृश्य तथा उच्च एवं निम्न उर्जा के एक्स किरण बैण्ड तक) वाली तरंगो के माध्यम से स्कैन करेगा।
- यह दूरस्थ तारों, आकाशगंगाओं, ब्लैक होल और अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों का अध्ययन करेगा।
- इसकी कार्यावधि पाँच वर्ष होगी।

सार्थकता

- देश के खगोलविज्ञों वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण आंकडें प्रदान करेगा।
- उन वैज्ञानिकों को विशेष रुप से लाभ मिलेगा जो आंकड़ों के लिए अन्य एजेंसियों और दूसरे स्रोतों पर निर्भर हैं। प्राय: हमारे देश के वैज्ञानिक हबल आदि दूरबीनों द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर रहते हैं।
- एक्स किरणों के स्रोतों के कालिक और गैर-कालिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है।
- यह भारत को अमेरिका रुस, जापान तथा यूरोप आदि देशों के विशिष्ट तकनीकी सपन्न राष्ट्रों के समूह में स्थान प्रदान करेगा।

मल्टी आब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार (MOTR)

- भारत को अमेरिका जापान, इजराइल और कनाडा आदि देशों के उस विशिष्ट क्लब की सदस्यता प्राप्त हो गयी है,जिनके पास अंतरिक्ष में मल्टीपल मूविंग आब्जेक्ट को ट्रैक करने की तकनीकि विद्यमान है। इस तकनीकि के प्रयोग के लिए विशिष्ट तकनीकी क्षमता वाले राडार की आवश्यकता होती है।

लक्षण

- यह 1000 किमी. की परास में एक साथ 10 विभिन्न पिंडों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। जबकि वर्तमान राडार केवल 300-400 किमी. की परास वाले होते हैं।
- वर्तमान मे उपलब्ध रडारों की सहायता से प्रक्षेपण प्रक्रिया के दौरान केवल एक पिण्ड को ट्रैक किया जा सका है। इस प्रकार की नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से रॉकेट के प्रथम और द्वितीय चरण के मलबे को भी ट्रैक किया जा सकता है।

उपयोग और लाभ

- यह इसरो के अंतरिक्ष संसाधनों पर दैनिक रुप से नजर रखने में सहायक सिद्ध होगा।
- सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्र (SHAR) में प्रक्षेपण वाहनों के प्रक्षेपण के तुरंत बाद, मार्ग से अति निम्न विचलन की भी पहचान कर लेगा। इससे समस्या को प्रारंभिक स्तर पर ही दूर किया जा सकेगा।

स्कैटसैट (SCATSAT)

- यह मिनिएचर वेदर फॉर कास्टिंग सैटेलाइट है। इसका उपयोग महासागरों में चक्रवात के उद्भव के पूर्वानुमान में किया जाएगा।
- यह इसरो की अंतरिक्ष अनुप्रयोग इकाई, अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया है।

विशेषताएँ - इसके ओसियन सैट-2 के कुछ कार्यों के ग्रहण किये जाने की संभावना है। दृष्टव्य है कि उड़ीसा में वर्ष 2013 में आये चक्रवात की भविष्यवाणी ओसियन सैट-2 के द्वारा की गई थी।

- यह महासागरों के वायु की गति और दिशा का सटीक मापन करेगा।
- यह चक्रवात निर्मित होने का पूर्वानुमान, इनके उद्भव के 4-5 दिन पूर्व कर सकेगा।
- इसके द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का उपयोग नासा, इयू मेट सैट (यूरोपियन आरगनाइजेशन फार द एक्स्प्लोइटेशन आफ मीटरोलोजिकल सैटेलाइट और एन.ओ.ए.ए. (नेशनल ओसियनिक एण्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) आदि एजेसियों के द्वारा किया जाएगा।
- संभावित कार्यविधि - 5 वर्ष

अस्त्र (ASTRA MISSILE) प्रक्षेपास्त्र

विशेषताएँ:

- स्वदेश निर्मित (डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित)
- हवा से हवा में मार कर सकने मे सक्षम
- लम्बाई 3.8 मीटर
- विविध दूरी और ऊँचाइयों पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम। अपनी इसी क्षमता के कारण यह लघु दूरी (20 किमी.) और अधिक दूरी (80किमी. तक) के लक्ष्य साध सकता है।
- इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में लगी हुई युक्तियाँ शत्रु के रडार से निकले सिग्नलों को रोक कर देती हैं। अत: शत्रु के रडारों द्वारा इसका पता लगाना दुष्कर हो जाता है।
- मैक-4 इसकी अधिकतम गति है।
- कुछ और परीक्षणों के पश्चात् इसे सेना में वर्ष 2016 में शामिल कर लिया जायेगा।

चर्चा में क्यों ? भारत की द्रश्य सीमा से परे, हवा से हवा में प्रहार करने वाले अस्त्र प्रक्षेपास्त्र का सुखाई-30 लड़ाकू विमान से परीक्षण किया गया।

नेलोंग घाटी

- **चर्चा में क्यों ?** सन् 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय बंद कर दी गयी यह घाटी समय हाल ही में पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दी गई है।
- भारत-चीन सीमा से निकटता के कारण भारत-चीन युद्ध के समय इसे बंद कर दिया गया था।

घाटी की विशिष्टता

- भारत चीन-सीमा के निकट।
- उत्तर काशी जिले के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में अवस्थित है।
- यह घाटी 11,600 फुट की ऊँचाई पर स्थित एक शीत मरुस्थल है।
- 1962 के पूर्व यह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। पाए जाने वाले पशु - बर्फीला तेंदुआ, हिमालयी नीली भेड़, मस्क डियर (Musk Deer)।

VISION IAS

उत्तर भारत का अत्यधिक धूलभरा तूफ़ान (डस्ट स्टार्म)

- जब धूल कणों को सशक्त, वेगवान वायु द्वारा अत्यधिक उर्जा के साथ अत्यधिक ऊँचाई तक उठाया जाता है, तब इस परिघटना को धूलभरा तूफान या डस्ट स्टार्म कहते हैं। इन परिस्थितियों में सतह पर बहुत कम दूरी तक दिखाई देता है। एक सिनोप्टिक रिपोर्ट तभी तैयार की जा सकती है जब दृश्यता 1000 मी. से कम हो।

धूलभरे तूफान का कारण

- मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार धूलभरे तूफान के निम्न कारण हो सकते है :
- चक्करदार वायु का उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर गतिशीलता।
- उच्च दाब प्रवणता और तापन
- पश्चिमी राजस्थान, मानसून पूर्व के समय इस प्रकार के तूफान का प्राय: सामना करता है।

डस्ट स्टार्म के कारण

- जब तीव्र गति से चलती हुई वायु भुरभुरी मिट्टी अथवा रेस के ऊपर से गुजरती है तथा इस प्रकार के पदार्थों का बड़ा हिस्सा उड़ा ले जाती है तो दृश्यता अत्यधिक कम हो जाती है।
- मरुस्थलीय भागों मे धरातल के समीप की वायु अत्यधिक गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे अस्थिरता धरातल से लेकर क्षोभमंडल तक समाप्त हो जाती है। इस कारण धरातल पर अत्यधिक शक्तिशाली हवाएं प्रवाहित होने लगता हैं।
- मरुस्थलों के ऊपर सामान्यत: ऐसे धूल भरे तूफान आते रहते हैं।

पक्षी भी रखते हैं गरिमा के साथ जीने का अधिकार

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पक्षी भी गरिमा के साथ जीने का मौलिक अधिकार रखते हैं। तथा खुले पिंजड़े या अन्य किसी बंधन के बिना आकाश में उड़ने का अधिकार उन्हें भी है। पक्षियों को किसी भी प्रकार की निर्दयता का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए।
- मनुष्य के पास उन्हें पिंजरे में रखने या किसी व्यवसाय के लिए, किसी भी प्रकार से प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।
- उन्हें न तो बाजार में बेचा जा सकता है, न ही उनका निर्यात किया जा सकता है।
- 2014 में दिए गए एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय के द्वारा पशुओं और पक्षियों के पाँच मूल अधिकारों को मान्यता दी थी।

भारत बना सर्न (CERN) का एसोसिएट सदस्य

- केन्द्र ने भारत के सर्न (यूरोपियन आर्गनाइजेशन फार न्युक्लियर रिसर्च) का एसोसिएट सदस्य होने की पुष्टि कर दी है। सर्न दुनिया की कण भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जहाँ लार्ज हेड्रान कोलाइडर (LHC) संबंधी प्रयोग किये जाते हैं।

21 सदस्यों वाले सर्न में भारत का दर्जा अभी पर्यवेक्षक देश का है।

एसोसिएट सदस्य होने के लाभ

- यह भारत की वैज्ञानिक विश्वसनीयता में वृद्धि करेगा।
- भारतीय विनिर्माण कंपनियों को सर्न के निर्माण कार्यों में ज्यादा ठेके मिलेगें।
- शोध की उपलब्धियों तक पहुँच और बौद्धिक संपदा तक पहुँच।
- भविष्य की परियोजनाओं में, भारतीय संस्थाओं और कंपनियों को और अधिक भागीदारी प्राप्त होगी।
- उच्च कोटि के अध्ययन और अनुसंधान जो विश्व में कहीं भी किए जा रहे होगें और देश के अन्दर उससे संबद्ध शोधों के बीच बेहतर समन्वय हो सकेगा।
- साथ ही विभिन्न संस्थाओं और अकादमिक विद्वानों के बीच फिजिक्स और इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में ज्यादा बेहतर साझेदारी संभव हो पाएगी।
- एसोसिएट सदस्य के रुप में भारत सर्न की खुली और प्रतिबंधित दोनों प्रकार की बैठकों में हिस्सा ले पाएगा। संगठन की वित्तीय समितियों में अपने प्रतिनिधि भेज सकेगा। भारतीय वैज्ञानिक सर्न में सीमित अवधि के लिए स्टाफ सदस्य के रुप में भी नियुक्त हो सकेंगे तथा फेलो के रुप में भी उनकी सदस्यता संभव होगी।

आकाश (AKASH)

- आकाश मध्यम दूरी की सतह से वायु में प्रराह करने में सक्षम एक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली है। आकाश का वायुसैनिक संस्करण पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है।

विशेषताएँ:

- आकाश का प्रत्येक रेजीमेन्ट छ: मिसाइल लांचर से निर्मित होगा जहाँ कि प्रत्येक मिसाइल लांचर तीन प्रक्षेपास्त्रों से सुसज्जित होगा
- वायु के विभिन्न कोणों और ऊँचाइयों पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम
- सभी मौसमी दशाओं में विविध लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकता है।
- इसका कार्यात्मक परिक्षेत्र 30 मीटर से लेकर 20 किमी. तक विस्तृत है।
- हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने के साथ मान-वरहित विमानों को भी निशाना बना सकता है।
- यह उच्च गतिशीलता प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा किसी भी परिचालन सम्बन्धी आवश्यकता की स्थिति में अत्यंत तीव्रता के साथ गतिशील हो सकता है।
- यह निर्णायक शस्त्र प्रणालियों के विकास का महत्वपूर्ण परिचायक है।

ब्रह्मोस भू-तल प्रहारक क्रूज प्रक्षेपास्त्र

चर्चा में क्यों ? सतह से सतह पर प्रहार करने के अनुरुप डिजाइन की गई ब्रह्मोस (ब्लाक–III) संस्करण का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। विशेष बात यह है कि यह परीक्षण, मोबाइल आटोनामस लांचर के द्वारा ,इसकी पूर्ण परास 290 किमी. की क्षमता के लिए किया गया।

विशेषताएँ:

- सुपरसोनिक क्रूंज मिसाइल: 2.8 मैक की गति
- यह भूमि, समुद्र, निकट समुद्र और वायु से समुद्र और भूमि पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकती है।

VISION IAS

- ब्रह्मोस का वायु सैनिक संस्करण, भारतीय वायुसेना के SU–30MKI लडाकू विमानों के द्वारा फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है।
- भारत और रुस के द्वारा संयुक्त रुप से विकसित किया गया है।
- क्रूज प्रक्षेपास्त्र क्या है? क्रूज मिसाइल, निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, किसी लक्ष्य पर संधान के दौरान (सतह या समुद्र स्थित लक्ष्य) उड़ान के बड़े हिस्से में इसकी गति नियत रहती है। यह पूर्णत: पूर्व निर्देशित तथा निम्न ऊँचाई वाले गैर बैलेस्टिक पथ पर उड़ान भरने में सक्षम है।

आइ.एन.एस. सरदार पटेल : भारतीय नौसेना में शामिल

आइ.एन.एस. सरदार पटेल युद्धपोत के भारतीय नौ सेना में शामिल होने से पोरबंदर भी महत्वपूर्ण नौसैनिक आधार बन गया है।

महत्व

आइ.एन.एस. सरदार पटेल जहाजों, पनडुब्बियों और वायुयान जो गुजरात क्षेत्र में तैनात किए जाएगें, की गतिविधियों में समन्वय के लिए परिचालन सम्बन्धी सहयोग प्रदान करेगा।

- आइ.एन.एस. सरदार पटेल के जलावतरण से भारतीय नौसेना के गुजरात स्थित नौसैनिक आधारभूत ढाँचे को पूरक ढाँचागत आधार प्राप्त होगा। इस प्रकार आई एन एस सरदार पटेल के नौसैनिक संसाधनों में शामिल हो जाने से समूचे गुजरात क्षेत्र में इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी।
- यह नौसेना और अन्य सामुद्रिक एजेंसियों के बीच समन्वय और क्षमता एकीकरण को बढ़ाएगा।
- गुजरात के औद्योगिक विकास में इसके सामुद्रिक घटक अनिवार्य रुप से शामिल है साथ व्यापक औद्योगिक आधारभूत ढाँचा इसे सदैव शत्रु शक्तियों की आँख में गड़ने वाला क्षेत्र बना देते हैं। यही कारण है कि न केवल युद्ध काल में अपितु शांति के समय भी इस पर सुरक्षा संकट छाया रहता है इस सन्दर्भ में पोरबंदर में नौसैनिक आधार का विकसित होना महत्वपूर्ण है।
- गुजरात के बंदरगाह 300 मिलियन टन कार्गो वार्षिक रुप से प्रचालित करते हैं, जो भारत भर में प्रचालित कार्गो का 30 प्रतिशत है। देश को कुल तेल आयात का 71 प्रतिशत कच्छ की खाड़ी से ही किया जाता है। अत: आइ.एन.एस. सरदार पटेल की गुजरात तट पर तैनाती, ऊर्जा सुरक्षा एवं समुद्री व्यापार की सुरक्षा की द्रष्टि से महत्वपूर्ण है।

भारत में परमाणु उर्जा उत्पादन

- भारत परमाणु सामग्री से विद्युत उत्पादन करने के मामले में विश्व में 13वें स्थान पर है।
- वर्तमान में स्थापित परमाणु उर्जा क्षमता 5,780 मेगावाट है।
- सरकारी स्रोतों के अनुसार परमाणु उर्जा उत्पादन को 5,780 मेगावाट से बढ़ाकर 2019 तक 10,080 मेगावाट तक कर दिया जाएगा।

भारत के परमाणु उर्जा संयत्र

- काकरापार परमाणु सयंत्र (केएपीएस), गुजरात
- नरौरा परमाणु उर्जा सयंत्र (एनएपीएस), उत्तर प्रदेश
- कुंडनकुलम परमाणु उर्जा संयत्र (तमिलनाडु)
- कैगा उर्जा उत्पादन केन्द्र (KGS), कर्नाटक
- राजस्थान परमाणु उर्जा सयंत्र (RAPS), राजस्थान
- तारापुर परमाणु उर्जा सयंत्र (TAPS), महाराष्ट्र
- मद्रास परमाणु उर्जा सयंत्र (MAPS), तमिलनाडु

गुरुत्वीय तरंगे

- 1916 में आइन्स्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वीय तरंगों की उपस्थिति की संभाव्यता व्यक्त की थी।
- गुरुत्वीय तरंगे दो ब्लैक होल के टकराने, सुपरनोवा तारे के क्रोड के विस्फोट होने जैसे विध्वंसक घटनाओं के द्वारा अंतरिक्ष व्यवस्था में उत्पन्न विक्षोप या हलचल हैं।
- ये त्वरणशील द्रव्यमान के द्वारा उसी प्रकार उत्पन्न की जाती हैं जैसे त्वरणशील आवेश, रेडियों तरंगों को उत्पन्न करते हैं। (एन्टीना में इलेक्ट्रोनों की भांति)
- गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन से गुरुत्व की प्रकृति को और अधिक समझा जा सकेगा।
- वास्तव में गुरूत्वीय तरंगों को सीधे-सीधे नहीं पहचाना गया है। 1974 में हल्स टेलर बाइनरी पल्सर की कक्षीय भ्रमण गति के अचानक कम हो जाने से इसके अस्तित्व की अप्रत्यक्ष रुप से पुष्टि हुई थी। हल्स टेलर पलसर के कक्षीय भ्रमण काल में ठीक उसी प्रकार कमी आ गई थी जैसे की सामान्य सापेक्षिकता सिद्धांत में संभावित किया गया था।
- ऐसी मान्यता है कि पूरा ब्रह्मांड एक निकाय के रुप में गुरुत्वीय तरंगे नि:सृत करता है। द्रव्यमान के सापेक्षिक रुप से गतिशील होने के कारण गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति होती है।

लेजर इण्टरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव आब्जर्वेटरी (LIGO)

- एल.आई.जी.ओ. वृहत पैमाने पर संचालित किया जाने वाला भौतिक प्रयोग है, जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगो की सीधे-सीधे पहचान करना है।
- यह डिटेक्टर हाल ही में नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरा है। इससे यह पहले से 10 गुना अधिक संवेदनशील हो गया है। नवीनीकरण और सुधार प्रक्रिया के पश्चात यह 1000 गुना ज्यादा, खगोल भौतिकी से संबंद्ध लोगों तक गुरुत्वीय तरंगों से संबंधित संकेत पहुँचाएगा।

एलगल ब्लूम परिघटना की तात्क्षणिक पहचान

- सेन्टर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज (CMLRE), कोच्चि के सागर वैज्ञानिकों के एक समूह का दावा है कि उनके द्वारा ऐसी सटीक एलगोरिथम का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से एल्गल ब्लूम नाम की परिघटना के बारे तत्क्षण पता लगाया जा सकता है।
- **कैसे:** अरब सागर में नोक्टिलुका सिन्टिलिनअस का पता सुदूर संवेदन तकनीकी के माध्यम से लगाकर।

VISION IAS

नोक्टिलुका सिन्टिलिअन्स

नोक्टिलुका सिन्टिलअन्स जिसे समान्यत: समुद्री चमक के नाम से भी जानते हैं। मुक्त संचरण करने वाली गैर-परजीवी ,समुद्री प्रजाति है। जो छेड़े जाने पर बायोल्युमिनिसेन्स अर्थात चमक प्रदर्शित करती है। यह प्रवृत्ति सामान्य लोगों में मैरील के नाम से जानी जाती है।

नोक्टिलुका सिन्टिलअन्स एक परपोषी है जो फैगोसाइटोसिस खाद्य में समाहित रहता है। फैगोसाइट्स वे पदार्थ हैं जो अपनी पोषकता दूसरे छोटे पदार्थों को अपने में समाहित कर लेते है। उदाहरण के तौर पर प्लैंक्टन, डायटम डायनोफ्लजेलेट, मछली के अण्डे और बैक्टीरिया आदि।

UPSC 2011

भारतीय समुद्रों में 'एलगल ब्लूम' जैसी हानिकारक परिघटना का घटित होना चिंता का कारण है। इस प्रवृत्ति के पीछे कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते है?

1. एस्चुरीज के द्वारा पोषक पदार्थों का निस्सरण
2. मानसून के दौरान भूमि से आने वाला जलीय अपवाह
3. समुद्रों में अपवेलिंग (नीचे से समुद्रीजल का उपर आना), तट पर पहुँचने की घटना।

दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें -

(a) केवल एक (b) 1 और 2 केवल

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड/ गोडावण

- कभी भारत के बड़े हिस्से में सामान्यत: पाया जाने वाले गोडावण या ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड को अब गंभीर रुप से संकटग्रस्ट प्रजाति में शामिल किया गया। यह तथ्य इण्टरनेशनल यूनियन फार कन्जर्वेशन (आई यू सी एन) की 'संकटग्रस्त पक्षी' के नाम से जारी सूची में पता चला है।

- भूमि का चारागाह भूमि में परिवर्तन, चारागाह भूमि के कृषि भूमि का परिवर्तन ने इस पक्षी के प्राकृतिक अधिवास को नष्ट कर दिया है।
- इसके अधिवास को निरंतर क्षय होते जाना, इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है।
- इनका शिकार एक अन्य गंभीर समस्या है।
- विश्व में गोडावण की कुल संख्या 150 है, जिसमें कुल संख्या का 70 प्रतिशत अकेले राजस्थान में पाया जाता है।

थार मरुस्थल

- थार मरुस्थल विश्व का एक मात्र स्थल है जो ग्रेट इंडिया बस्टर्ड अर्थात गोडावण के जनन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रदान करता है।
- हजारों की संख्या में चालित पवन चक्कियाँ जो मरुउद्यान के आस-पास स्थित है, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के लिए विशेष खतरा उत्पन्न करती हैं।
- **चर्चा में क्यों:** पवन चक्किया गोडावण की मृत्यु का प्रभाव का समान सिद्ध हो रही हैं।

योजना एवं परियोजना

उस्ताद (USTAAD) योजना

योजना का उद्देश्य

- अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पोषित, पारंपरिक कला की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तथा पारंपरिक कलाकोश एवं शिल्प-कारों की क्षमता का विकास करना।
- पारंपरिक कलात्मक अभिव्यक्ति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ संबंद्ध करना। कलाकारों के श्रम को गरिमा प्रदान करना तथा रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना।
- अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना भी, योजना के उद्देश्यों में से एक है।

कोष

- योजना के लिए आवश्यक धन केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसका उपयोग कुशल और अकुशल कलाकारों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में सहयोग देने के लिए किया जाएगा। ताकि पारंपरिक कलाकारों द्वारा निर्मित उत्पाद अंतराष्ट्रीय बाजारों में बड़ी कम्पनियों के उत्पादों का सामना कर सके।
- उस्ताद(यू.एस.टी.ए.ए.डी.), 17 करोड़ की राशि से शुरु किया गया कार्यक्रम है जो पारंपरिक कौशल को संरक्षण और उनके उत्पादों की बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करेगा।

क्रियान्वयन एजेंसी

यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरे देश में संचालित की जाएगी।

विवरण

- उस्ताद कार्यक्रम में अन्य संगठनों के व्यवसायिक विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एन. आई.डी.) अन्य संगठनों के सहयोग से, इस कार्य के लिए विशेष कार्यक्रमों का निर्माण करेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विविध ग्राहक समूहों में, पारंपरिक उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ेगी।
- उस्ताद योजना के तहत शिल्पकारों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा और आनलाइन खुदरा व्यापार के माध्यम से वे ज्यादा बड़े ग्राहक वर्ग तक पहुँच पाए इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पारंपरिक कला और शिल्प के सम्मुख चुनौतियाँ

- आधुनिक तकनीकी और स्वचालन सुविधाओं के विकसित होने के कारण पारंपरिक कला और शिल्प को पावरलूम उद्योग से विशेष चुनौती का सामना करना पड़ा है।
- पीढ़ियों से पारंपरिक कला और शिल्प का पोषण करने वाले परिवारों की नई पीढ़ी, परंपरागत कला और शिल्प को सीखने की इच्छुक नहीं है, यह एक बड़ी चुनौती है।
- अधिकांश दस्तकार, पेशे में घटती आमदनी के कारण अभाव की स्थिति में जीने को विवश हैं ।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

- यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधारों को प्रारंभ करेगी। इसके पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रारंभ की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGY) को भी नवीन योजना में समाहित कर दिया गया है।

घटक

योजना के प्रमुख घटक निम्नलिखित है:

- कृषि कार्य के लिए प्रयोग होने वाले फीडर को अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले फीडर से, ग्रामीण फीडर संप्रेषण कार्यक्रम के तहत प्रथक किया जाएगा।
- उपट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाया जाएगा।
- प्रत्येक बिंदु पर अनुमापन/मीटरिंग (इनपुट बिंदु, फीडर और ट्रांसफार्मर) पर।
- माइक्रोग्रिड और आफग्रिड वितरण नेटवर्क तथा ग्रामीण विद्युती-करण।

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में सुधार करना।
- अत्यधिक लोड को कम करना।
- मीटर से अनुमानित खपत के आधार पर बिलिंग प्रणाली सुधार।
- ग्रामीण परिवारों की विद्युत उर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

बजट समर्थन और आवश्यक वित्तीय व्यवस्था

- योजना सामान्य राज्यों को 60 प्रतिशत अनुदान के रुप में जब कि विशेष श्रेणी के राज्यों को 85 प्रतिशत अनुदान के रुप में दिया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि सामान्य श्रेणी के राज्यों को एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर 75 प्रतिशत तक राशि अनुदान के रुप में तथा विशेष श्रेणी के राज्यों को निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर 90 प्रतिशत तक राशि अनुदान के रुप में प्रदान की जाएगी।
- अतिरिक्त अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित किये गए मानक : 1. समय पर योजना का पूरा किया जाना 2. सकल तकनिकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करना 3. राज्य सरकार के हिस्से में निर्धारित अग्रिम सहायता राशि समय पर जारी किया जाना शामिल हैं।
- सिक्किम सहित सभी उत्तर-पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशेष राज्यों की श्रेणी में शामिल है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, योजना के क्रियात्मक संचालन के लिए नोडल एजेंसी होगी।

महिला सशक्तीकरण के लिए योजना

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा महिलाओं के लिए दो विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला उद्यमियों को इक्विटी प्रदान करने के लिए महिला उद्यम निधि तथा आय प्रदान करने वाले कार्यों को करने के लिए विकासात्मक सहायता देने के लिए महिला विकास निधि।

प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई सामाजिक सुरक्षा से संबंधित तीन योजनाएँ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (P.M.J.J.B.Y.) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (P.M.S.B.Y) और अटल पेन्शन योजना (A.P.Y.) के रुप में सामाजिक सुरक्षा की तीन योजनाओं को प्रारंभ किया।
- इन योजनाओं का उद्देश्य, प्रत्येक लाभार्थी व्यक्ति के खाते को योजनाओं से संबंधित कर सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना है।
- प्रथम दो योजनाओं का संबंध बीमा सुविधा प्रदान करने से एवं एक का संबंध पेन्शन सुविधा प्रदान करने से है। योजनाओं का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र और आर्थिक रुप से नि:शक्त लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु अन्य व्यक्ति भी योजना के लाभार्थी के रुप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

योजनाओं की आवश्यकता:

योजना, समाज के अति निम्न स्तर पर जीवनयापन रहे लोगो की आपात स्थिति में सुरक्षा तथा वृद्ध व्यक्तियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है।

- 80 प्रतिशत से अधिक जनता को अभी बीमा सुरक्षा नहीं प्राप्त है जबकि मात्र 11 प्रतिशत को ही पेन्शन की सुविधा प्राप्त है।
- महज 20 प्रतिशत लोग जीवन बीमा प्राप्त कर्ता हैं।
- मात्र 4 प्रतिशत लोगों को आपात बीमा सुरक्षा प्राप्त है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएं

	PMJJBY पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	PMSBY पी.एम.एस.बी.वाई.	APY ए.पी.वाई.
प्राधिकृत सुविधाएँ	2 लाख रुपये की पुनर्नवीकृत जीवन बीमा सुविधा।	2 लाख रुपये की बीमा सुविधा। मृत्यु या अक्षमता की किसी आपात स्थिति में आंशिक या स्थायी अक्षमता की स्थिति में।	असंगठित क्षेत्र पर केन्द्रित। 60 वर्ष की आयु हो जाने पर योगदान के आधार पर 100रुपये से 5000रुपये प्रतिमाह राशि प्राप्त होगी।
अर्हता	18-50 वर्ष के सभी बचत खाता धारक	18-70 वर्ष के सभी बचत खाता धारक	18-40 वर्ष के सभी बचत खाता धारक
प्रीमियम	प्रति बीमित व्यक्ति 330रुपये वार्षिक	12 रुपये वार्षिक प्रति बीमित	18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 42 से 210 रुपये प्रतिमाह
माध्यम से संचालित	बैंक/बीमा कंपनियों	बैंक/बीमा कंपनियाँ	पेन्शन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण

विश्लेषण

- वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करेगा।
- बैंको के लिए व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि करेगा।
- जनता के बड़े वर्ग में बीमा सुविधाओं का विस्तार करेगा।
- असंगठित क्षेत्र में लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- आर्थिक सुरक्षा लोगों की उपभोग शैली में स्थिरता लाएगी। यह आय में होने वाले आकस्मिक गिरावट की स्थितियों को वहन करने की क्षमता प्रदान करेगा। इन सभी स्थितियों के समग्र प्रभाव के रुप में आर्थिक विकास की स्थिर दर प्राप्त की जा सकेगी।
- तीनों योजनाओं को बैंक खातों से संबद्ध करने का कदम दीर्घ-कालीन दृष्टिकोण से लाभदायक है। यह देश में अधिक से अधिक लोगों तक बीमा एवं पेंशन सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित कर, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने वाले, सामाजिक सुरक्षा के ताने-बाने का निर्माण करेगा।

सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- गरीबी: इन योजनाओं का लाभ हाशिए पर स्थित जन-समूह तक पहुँचने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा गरीबी है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में से 70 प्रतिशत खातों में कोई धन नहीं है। इन परिस्थितियों में निर्धन वर्ग इन सुविधाओं का लाभ कैसे उठा पाएगा, जिसके लिए न्यूनतम प्रीमियम राशि चुकाए जाने की अनिवार्यता है।
- **निरक्षरता:** जनता योजनाओं से अनभिज्ञ है जिसका बड़ा कारण निरक्षरता है।
- **अज्ञानता:** बहुत सारे लोगों को योजना का कोई ज्ञान नहीं है।
- बैंक सुविधाओं का अभाव: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का घनघोर अभाव है तथा बैंक की शाखाओं की बहुत कम उपलब्धता है।
- **दावों का निपटारा (Claim Settlement):** योजनाओं की सफलता वित्तीय संस्थाओं की सक्रिय भूमिका पर निर्भर है ताकि बिना किसी कठिनाई के दावों का निपटारा किया जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता परियोजना

- सीमावर्ती और समुद्रतटवर्ती क्षेत्रों में सड़क सबंद्धता प्रदान करने वाली क्रमश: भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं के प्रांरभ किए जाने के पश्चात सरकार ने देश के 676 में से 100 जिला मुख्यालयों को विश्वस्तरीय राजामार्गों से जोड़े जाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता परियोजना की संकल्पना में 60,000 करोड़ की राशि से 6,600 किमी. लंबे राजमार्गो के निर्माण किए जाने की योजना है।

नमामि गंगे योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी महत्वाकांक्षी योजना, 'नमामि गंगे' को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। गंगा को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए किये जा रहे सभी प्रयासों को एकीकृत करने वाली

यह एक व्यापक योजना है । योजना आठ राज्यों में गंगा सहित कुल बारह नदियों के संरक्षण संबंधी प्रयासों को अपने अन्दर समाहित रखती है।

- **योजना के केन्द्रीय उद्देश्य:** नमामि गंगे योजना मुख्यत: प्रदूषण नियंत्रणकारी उपायों पर ध्यान केन्द्रित करेगी। खुली हुई नालियों एवं नालों में प्रवाहित होने वाले अवशिष्ट जल का पता लगाना, गंगा में इसके मिलने को रोकना तथा इसे जैव उपचार, प्रदूषण स्थल पर ही किसी उपर्युक्त उपचार प्रणाली, किसी नवाचारी पद्धति, सीवर उपचार संयत्र (STP) वाहित जल उपचार संयत्र (E.T.P.) आदि के माध्यम से नदी में मिलने से पूर्व उपचारित करना।

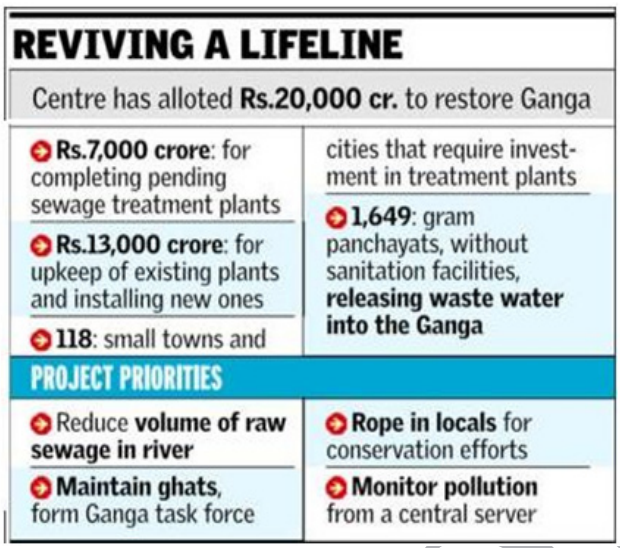

क्रियान्वयन तंत्र

- योजना को, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (एन.एम.सी.जी.) और राज्यों में इसी के अनुरुप संस्था राज्य योजना प्रबंधन समूह (एस. पी.एम.जी.) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। एन.एम. सी.जी. जहाँ कही भी आवश्यक होगा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करेगा। क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें शामिल होंगें:
- राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सचिव की अध्यक्षता में गठित, उच्च स्तरीय कार्यदल जिसकी सहायता (N.M.C.G.) करेगा।
- राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियाँ जिसकी सहायता (SPMG) करेगा।
- जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियाँ
- नमामि गंगे अभियान विभिन्न केन्द्रीय/ राज्य स्तरीय मंत्रालयों और ऐजेंसियों के बीच तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय पर बल देता है।
- योजना के प्रवर्तन को और अधिक सशक्त आधार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा 'गंगा-ईको टॉस्क फोर्स' की चार बटालियन गठित करने की योजना है। गंगा ईकों टास्क फोर्स अथवा गंगा परिस्थितिकी कार्य बल टेरीटोरियल सेना की एक इकाई होगी। इसके अतिरिक्त प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए और नदी की रक्षा के लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा।

जन भागीदारी आधारित

- सरकार गंगा के किनारे निवास करने वाले लोगों को इस अभियान में भागीदार बनाना चाहती है ताकि स्थायित्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किया जा सके।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान और राज्य योजना प्रबंधन समूह द्वारा शहरी स्वशासन और पंचायती राज्य जैसी तृणमूल स्तर तक की संस्थाओं को योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनाया जाएगा।
- कोष: केन्द्र विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की सौ प्रतिशत लागत का वहन करेगा।
- पूर्व में संचालित गंगा कार्य योजना के असंतोषजनक परिणाम से सीख लेते हुए, केन्द्र ने समूची कार्य योजना के क्रियान्वयन और संसाधनों के प्रबंधन का अगले दस वर्षों तक सतत उत्तर दायित्व ग्रहण किया है। जहाँ महत्त्वपूर्ण और गहन प्रदूषण स्थलों पर (P.P.P.) और(S.P.V.) एस.पी.वी. दृष्टिकोण के माध्यम से कार्य करना।
- योजना क्रियान्वयन के अन्तर्गत इसमें अगले पाँच वर्षों में 20,000 करोड़ की राशि खर्च करने का प्रावधान है। दृष्टव्य है कि यह पिछले 30 वर्षो से किये गये कुल खर्च का चार गुना है। (भारत सरकार 1985 से अब तक लगभग 4000 करोड़ की राशि इस योजना पर खर्च कर चुकी है)।

सामाजिक-आर्थिक लाभ

- नमामि गंगे कार्य योजना मुख्यत: सामाजिक-आर्थिक आयामों पर आधारित है। योजना नदी पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने, विशाल जनसंख्या को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करायेगी।
- अपेक्षा से कम सफलता का इतिहास
- गंगा कार्य योजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण का 1985 में प्रारंभ किया गया। इस चरण में गंगा के किनारे के 25 शहरों को शामिल किया गया जिन पर 862.59 करोड़ खर्च किए गए। द्वितीय चरण में 59 शहर शामिल किए गए और 505.31 करोड़ खर्च किए गए। यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा के लिए अलग-अलग कार्य योजनाएँ प्रारंभ की गई परंतु कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।
- **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) यू.पी.ए. सरकार के द्वारा किया गया प्रयास:** पूर्व में किए गए प्रयासों के ठोस परिणाम न प्राप्त होने की स्थिति में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का गठन किया गया। कार्यक्रम नदी बेसिन केन्द्रित दृष्टिकोण पर आधारित था। पाँच राज्यों से 43 शहर चुने गये। 31 मार्च 2015 तक 1027 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

कार्यकताओं(एक्टिविस्ट) का दृष्टिकोण

- गंगा बचाओं अभियान से जुडे कार्यकर्ताओं का कहना है कि समूची योजना केवल सीवेज उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) पर आधारित है । इसमें गंगा के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित किए जाने के मुद्दे

VISION IAS

पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। यह योजना की असफलता का सबसे बड़ा आधार सिद्ध होगा।

- नदी जोड़ो योजनाएँ, नए बांधों का निर्माण, जल की प्रवाह की दिशा परिवर्तन, पेयजल के लिए जल को नदी से निकालना तथा अन्य उद्देश्यों के लिए अत्यधिक प्रयोग किए जाने ने, गंगा की जीवनदायी शक्ति को कमजोर किया है। इसके जल की गुणवत्ता में कमी आई है। सरकार द्वारा गंगा प्रदूषण के इस आयाम पर रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया गया है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS